



सतर्कता संकलन

2022



भ्रष्टाचार के दानव से, रेल को मुक्त कराना है ।
आओ करें प्रतिज्ञा कि, भ्रष्टाचार मिटाना है ।।

सतर्कता संगठन, पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

सतर्कता गतिविधियाँ



दिनांक 27.10.2021 को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर मुख्यालय हाजीपुर में रेलकर्मियों को सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा दिलाते हुए महाप्रबंधक श्री अनुपम शर्मा साथ में वरिष्ठ उप महाप्रबंधक श्री सुजीत कुमार मिश्रा



दिनांक 28.10.2021 को आयोजित सतर्कता जागरूकता कार्यशाला के दौरान पूमरे के उच्च अधिकारियों को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधान कार्यपालक निदेशक श्री सुनील माथुर/सतर्कता/रेलवे बोर्ड



दिनांक 13.04.2022 को सतर्कता बैठक में भाग लेते हुए प्रधान कार्यपालक निदेशक (सतर्कता)/रेलवे बोर्ड श्री सी.वी. रमण एवं सतर्कता/पूमरे के अधिकारीगण



अनुपम शर्मा
महाप्रबंधक
Anupam Sharma
General Manager



पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर – 844101
East Central Railway
Hajipur- 844101
Phone : + 91-06224-274728
Fax - 271513, 274738
E-mail : gm@ecr.railnet.gov.in



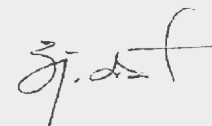
शुभकामना संदेश

सतर्कता संगठन, पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर आप सभी रेलकर्मियों के बीच 'सतर्कता संकलन-2022' प्रस्तुत कर रहा है।

दण्डात्मक सतर्कता का प्रभाव सीमित होता है। मात्र भय या डर से इस व्यवस्था में कुछ सीमा तक सुधार किया जा सकता है, परन्तु इससे पूर्ण प्रणालीगत सुधार संभव नहीं हो सकता। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सतर्कता संगठन कार्य के विभिन्न क्षेत्रों में आम कमियों/त्रुटियों को दूर भगाने की दिशा में पिछले 10 वर्षों में अनेक प्रणाली सुधार पत्र जारी किए हैं। इन सुधार पत्रों का संग्रहण 'सतर्कता संकलन 2022' जारी कर पूर्व मध्य रेल ने एक सराहनीय कार्य किया है जिसका मुख्य उद्देश्य रेल कर्मचारियों तथा अधिकारियों को उनके कार्य निष्पादन में सजगता लाना है और अज्ञानतावश या जल्दबाजी में होने वाली त्रुटियों के प्रति उन्हें सचेत करना भी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 'सतर्कता संकलन 2022' रेलकर्मियों के दैनिक कार्यों में काफी उपयोगी साबित होगा।

सतर्कता संगठन, पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर द्वारा जारी किए प्रणालीगत सुधार संकलन जनजीवन में वृहत् सत्यनिष्ठा लाने की दिशा में बहुमूल्य सहयोग करेगी जिससे आरोपों/शिकायतों में कमी आएगी और पारदर्शिता तथा शीघ्र निर्णय लेने का प्रोत्साहन मिलेगा।

सतर्कता संगठन को 'सतर्कता संकलन 2022' प्रकाशित करने के लिए मैं अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि इससे सभी रेलकर्मियों में जागरूकता का प्रसार होगा और भ्रष्टाचार उन्मूलन की दिशा में एक सहयोगी कदम होगा।


(अनुपम शर्मा)



सी.वी. रमण

प्रधान कार्यपालक निदेशक/सतर्कता



सत्यमेव जयते



एक कदम स्वच्छता की ओर

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड, रेल भवन
नई दिल्ली-110001
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD, RAIL BHAVAN
NEW DELHI-110001



शुभकामना संदेश

सतर्कता संगठन, पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर द्वारा कार्य के विभिन्न क्षेत्रों में आम कमियों/त्रुटियों को दूर करने हेतु पिछले 10 वर्षों में अनेक प्रणाली सुधार पत्र जारी किये गये हैं। इन सुधार पत्रों का संग्रहण 'सतर्कता संकलन 2022' जारी कर पूर्व मध्य रेल ने एक सराहनीय कार्य किया है जो रेलकर्मियों को शिक्षित करने, उनमें जागरूकता पैदा करने, कार्य में पारदर्शिता लाने और दक्षता में सुधार लाने के साथ-साथ रेलकर्मियों को सक्षम बनाने में अग्रणी भूमिका अदा करेगी।

सतर्कता संगठन द्वारा सुझाए प्रणाली सुधारों को अपनाकर अपने मातहतों को प्रणाली की गड़बड़ियों के प्रति सतर्क करते हुए हम भ्रष्टाचार निवारण में अपना बहुमूल्य योगदान दे सकते हैं।

मैं इस पुस्तिका को प्रकाशित करने के मैराथन कार्य के लिए वरिष्ठ उप महाप्रबंधक/पू.म.रे. को बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि संगठन में सतर्कता जागरूकता लाने के उनके प्रयास जारी रहेंगे।

(सी.वी. रमण)



सुजीत कुमार मिश्रा
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक
Sujit Kumar Mishra
Sr. Dy. General Manager



पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर – 844101
East Central Railway
Hajipur- 844101
Phone : + 91-06224-272494(O)
Fax : 06224-274133
E-mail : sdgm@ecr.railnet.gov.in



प्राक्कथन

सतर्कता संगठन ने अनेक प्रणाली सुधार पत्र जारी किए हैं जिनका मुख्य उद्देश्य रेलवे के विभिन्न सिस्टम में पारदर्शिता, जवाबदेही, नियम सम्मत कार्यवाही और निर्णयों में समरूपता को बढ़ावा देना है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रणाली सुधार पत्रों का संकलन 'सतर्कता संकलन-2022' का प्रकाशन किया गया है।

इस संकलन का उद्देश्य विगत दस वर्षों में सतर्कता विभाग द्वारा जारी प्रणाली सुधार पत्रों को एक जगह संकलित कर पूर्व मध्य रेल के उच्चाधिकारियों से लेकर अंतिम पायदान पर खड़े कर्मचारियों तक पहुँचाना है।

मुझे खुशी है कि 'सतर्कता संकलन 2022' का ई-बुलेटिन पूर्व मध्य रेल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं सभी संबंधितों से आग्रह करता हूँ कि इस संकलन को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं दैनिक कार्य-कलापों में होनेवाली गलतियों से बचें तथा भारतीय रेल को क्षति से बचाएं।

भ्रष्टाचार सिर्फ एक मनोवृत्ति के अलावे कुछ भी नहीं है और हम सभी अपनी मनोवृत्तियों को बदलने में निश्चित रूप से समर्थ हैं, सिर्फ दृढ़ संकल्प की जरूरत है। भ्रष्टाचार को रोकना हम सभी की जिम्मेदारी भी है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस संकलन को सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा अपनी कुशलता बढ़ाने तथा प्रबंधकीय कार्यों में जवाबदेही, दक्षता, पारदर्शिता एवं सर्वोत्तम निष्पादन में वृद्धि लाने की दिशा में अत्यंत उपयोगी साबित होगा।

(सुजीत कुमार मिश्रा)



स्वत्व त्यजक

यह बुलेटिन केवल दिशा-निर्देश प्रदान करने के प्रयोजन हेतु एवं कार्यालय उपयोग के लिए है। इसे किसी भी कार्यालय संदर्भ में प्राधिकार के रूप में उद्धृत नहीं किया जाना चाहिए और न ही इसे कोर्ट में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कोई भी संदर्भ, जहां कहीं भी आवश्यक हो, हमेशा विषय के मूल आदेशों से संदर्भित किया जाना चाहिए।



सतर्कता संकलन

विषय-सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	शुभकामना संदेश - महाप्रबंधक	01
2.	शुभकामना संदेश - पी.ई.डी / सतर्कता	02
3.	प्राक्कथन - वरिष्ठ उप महाप्रबंधक	03
4.	स्वत्व त्यजक	04

महत्वपूर्ण प्रणाली सुधार पत्र :

1.	यातायात	06-12
2.	कार्मिक एवं लेखा	13-36
3.	इंजीनियरिंग	37-66
4.	भंडार, मेडिकल व सुरक्षा	67-101
5.	विद्युत, यांत्रिक व सि. एवं दू.	102-116

प्रस्तुति

सतर्कता संगठन, पूर्व मध्य रेल
मुख्यालय, हाजीपुर, बिहार-844101



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 05/2014

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.—ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक — 10.02.2014

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर ।

विषय : पीआरएस/बुकिंग कार्यालय के कर्मचारियों को जारी आईडी के पासवर्ड की गोपनीयता और सेवानिवृत्त/स्थानांतरित कर्मचारी के आईडी को निष्क्रिय करने के संबंध में ।

सोनपुर मंडल के काढ़ागोला रोड स्टेशन के बुकिंग कार्यालय (यूटीएस सह पीआरएस) में निवारक जाँच में यह पाया गया कि ड्यूटी पर कार्यरत कर्मचारी एक वर्ष पूर्व स्थानांतरित हो चुके किसी अन्य कर्मचारी के पीआरएस आईडी पर कार्य कर रहा है। जाँच में आगे यह पता चला कि उक्त लोकेशन से स्थानांतरित कर दिए गए कर्मचारी का आईडी बंद नहीं किया गया है और कार्यरत कर्मचारी का आईडी इसलिए एक्सपायर/समाप्त हो गया क्योंकि उसे सिस्टम में प्रयोग नहीं किया गया। आजकल सतर्कता जाँच में आईडी के दुरुपयोग के कई मामले पाए गए हैं, जो नियम विरुद्ध है।

मंडलों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश पुनः दिए जाएं और पासवर्ड और आईडी की गोपनीयता सुनिश्चित की जाए।

इस संबंध में की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत कराएँ।

(शिखा श्रीवास्तव)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (यातायात)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

**चयन में यह सुनिश्चित करें कि
चयन समिति का गठन ठीक से किया गया है अर्थात्
समिति में एक ही विभाग के दो अधिकारी शामिल हैं
जिसके लिए चयन किया गया है और एक कार्मिक विभाग से है।
सदस्यों में से एक को SC / ST वर्ग से
संबंधित होना चाहिए।**



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 03/2016

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.—ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक — 07.09.2016

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर ।

विषय : खान-पान ठेका में अनियमितता

रक्सौल स्टेशन पर खान-पान एवं भेन्डिंग के आवंटन एवं कार्य प्रणाली से संबंधित परिवाद के अन्वेषण के दौरान यह पाया गया कि उक्त ठेका किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया था जबकि वास्तविक रूप से लम्बे समय से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा इसे संचालित किया जा रहा था। जाँच के दौरान यह भी पाया गया कि मूल संवेदक एक सरकारी उपक्रम का कर्मचारी है, जिसे नियमतः उक्त ठेका नहीं दिया जा सकता है। यह पाया गया कि सभी मंडलीय पत्र संवेदक को उसके मूल पते पर न भेजकर स्टेशन अधीक्षक के द्वारा दिए जाते थे, जो संभवतः स्थानीय स्टेशन कर्मियों की मिलीभगत से इस धोखा-धड़ी को कायम रखने में सहायक हुआ। संवेदक अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि के अधिकार-पत्र के बिना ही रेलवे द्वारा चिकित्सा प्रमाण-पत्र, अनुमति-पत्र इत्यादि जारी किये गए। लम्बे समय से उक्त ठेका को मूल संवेदक के द्वारा न चलाकर दूसरे व्यक्ति के द्वारा चलाए जा रहे ठेका का पता न लगा पाने के कारण उक्त स्टेशन के पर्यवेक्षकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए वर्तमान प्रणाली को सुदृढ़ एवं बेहतर बनाने तथा संवेदक का ठेका संचालन में सीधे तौर पर सहभागिता सुनिश्चित करने ताकि इस प्रकार की धोखा-धड़ी की पुनरावृत्ति न हो, से संबंधित एक प्रणाली सुधार पत्र जारी किया जाए।

उपरोक्त सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित है।

(शिखा श्रीवास्तव)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (यातायात)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

**डीटीसी बुक और अन्य स्टेशन रिकॉर्ड में
ओवरसाइटिंग और परिवर्तन से बचें।**



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 04/2017

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक – 26.05.2017

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर ।

मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर ।

विषय : अवैध/काल्पनिक स्वतंत्रता सेनानी पास पर रियायती यात्रा सह आरक्षण टिकट जारी करने के संबंध में ।

प्राप्त स्रोत सूचना के आधार पर गाड़ी सं०- 12309 में किये गये एक निवारक जाँच में द्वितीय वातानुकूलित शयनयान में रियायती स्वतंत्रता सेनानी पास के विरुद्ध शून्य मूल्य पर आरक्षित बर्थ पर अनधिकृत/बिना टिकट यात्रियों को ढोने एवं ट्रेन वर्किंग चार्ट में चार्ट नामित यात्रियों को उपस्थित दिखाने का मामला उजागर हुआ। जाँच करने पर पाया गया कि उक्त सभी 12 बर्थ जाली/अवैध स्वतंत्रता सेनानी पास पर जारी किये गये थे।

आगे विस्तृत अनुसंधान में निम्न तथ्य उजागर हुए :-

- स्वतंत्रता सेनानी पासों पर जारी यात्रा सह आरक्षण टिकटों के आकड़ों का गहन विश्लेषण के उपरान्त यह खुलासा हुआ कि एक खास मंडल के विभिन्न लोकेशन के तीन आरक्षण कर्मियों द्वारा उनके आईडी के अंतर्गत प्रमुख रूप से पटना राजधानी एक्सप्रेस के लिए निरंतर रूप से टिकट जारी किया जा रहा था।
- ऐसे लगभग 340 आरक्षण माँग पत्र बरामद हुए जिनपर उक्त तीन आरक्षण कर्मियों द्वारा लगभग छः महीने के अवधि में गाड़ी सं० 12309/12310 हेतु यात्रा टिकट विभिन्न तिथियों में जारी किये गये थे।
- माँग करने पर क्रिस (CRIS), नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त तीन आरक्षण आई. डी. के ट्रान्जेक्शन रिपोर्ट जो स्वतंत्रता सेनानी पास पर आधारित थे, के गहन विश्लेषण में यह पाया गया कि जाँच अवधि के दौरान कुल 184 स्वतंत्रता सेनानी पास संख्या, जो विभिन्न रेलवे द्वारा जारी दर्शाया गया, का दुरुपयोग करते हुए लगभग 1100 पीएनआर जारी किये गये जो 2930 यात्रियों के लिए थे।
- संबंधित रेलवे द्वारा जारी स्वतंत्रता सेनानी पास के प्रमाणिकता की जाँच से यह पता चला कि सभी पास अवैध और अस्तित्व में नहीं हैं।
- 12309/12310 के विगत तीन महीने के ऐसे कोचों के वर्किंग चार्ट जो संबंधित चेकिंग दल के सभी सदस्यों द्वारा कार्य किया गया था, तथा इन पर स्वतंत्रता सेनानी पास सं. पर बर्थ आरक्षित थे, संबंधित कार्यालयों से प्राप्त किया गया। लगभग 150 ऐसे ट्रेन वर्किंग चार्ट उपलब्ध हुए जिनमें यह पाया गया कि इन सभी अनियमित यात्रियों को उपस्थित दर्शाया गया था। यद्यपि सभी पास सं० अवैध थे अथवा अस्तित्व में नहीं थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि

ट्रेन चेकिंग स्टाफ जो राउंड ट्रिप (राजेन्द्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली) और वापस काम करते थे। वे भी इस साँठ-गाँठ में शामिल थे।

- स्पष्टीकरण माँगने पर उक्त सभी आरक्षण कर्मी तथा चेकिंग स्टाफ औचित्यपूर्ण स्वीकार्य जवाब देने में असफल रहे। उनका यह तर्क कि जाली स्वतंत्रता सेनानी पासों को पकड़ पाने में समर्थ नहीं थे, बावजूद इसके कि उन्हें बार-बार यात्रा के दौरान विभिन्न नामों और नंबर के विरुद्ध ये यात्री यात्रा के लिए उपस्थित होते थे, एकदम आधारहीन एवं बेतुका है। उनके इस साँठ-गाँठ और दुराचार पूर्ण आचरण से रेलवे राजस्व की अपूरणीय क्षति हुई है।

इस प्रकार उपरोक्त मामला यह संकेत करता है कि जब तक इन रियायती पासों के रिकॉर्ड, उनकी वैधता का अंकीकरण कर इसे पीआरएस प्रणाली से जोड़ा नहीं जाएगा तब तक इन जारी पासों पर रियायती यात्रा सह आरक्षण टिकट जारी किया जाना संभव है। आज कोई भी आरक्षण कर्मी छः अंक के नंबर द्वारा रियायती जेसीआरटी जारी कर सकता है। इस बात की बहुत अधिक गुंजाइश है कि कोई अनैतिक आरक्षण कर्मी इस पासों का दुरुपयोग कर शून्य मूल्य के टिकटों को जारी करने में समर्थ हैं।

प्रणाली सुधार के अंतर्गत तात्कालिक सुधार के मद्देनजर यह संतुष्टि की जाती है कि चिकित्सा रियायत की तरह ही स्वतंत्रता सेनानी पासों के मामले में भी आरक्षण कर्मी पास की एक छाया प्रति अपने पास रखें।

दीर्घकालीन सुधार हेतु अलग-अलग प्रकार के पासों को जारी करने के समय उनका अंकीकरण किया जाए तथा सभी आंकड़ों को पीआरएस नेटवर्क के साथ जोड़ा जाए। जिससे टिकट बुकिंग के समय पास की वैधानिकता की जाँच की जा सके तथा इस प्रकार के बड़े पैमाने पर होने वाली धोखाधड़ी के मामलों को भविष्य में रोका जा सके।

अंततः यह निवेदन की जाती है कि इस मामले को उपर्युक्त स्तर पर व्यवस्थित किया जाए। जिससे कि रियायती शून्य मूल्य के यात्रा आरक्षण टिकटों को अलग-अलग पासों पर जारी करते समय धोखाधड़ी को रोका जा सके।

(शिखा श्रीवास्तव)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (यातायात)
कृते महाप्रबंधक / सतर्कता

प्रतिलिपि :- कार्यकारी निदेशक / सतर्कता (यातायात) को इस संबंध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

**चयन में कार्मिक विभाग का प्रतिनिधित्व करने वाले
चयन बोर्ड के सदस्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि
चयन की सही प्रक्रिया का पालन किया जाए।**



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 06/2017

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.—ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक — 29.05.2017

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर ।

विषय : टिकट जाँच कर्मियों के जीवमिति (बायोमेट्रिक) उपस्थिति की शुरुआत ।

सतर्कता दल द्वारा की गई जाँच में पाया गया कि टिकट जाँच कर्मी अनधिकृत रूप से अपने आवंटित कोचों अथवा गाड़ी से अनुपस्थित रहते हैं। यह पाया गया कि या तो वे अपने आधार स्टेशन से गाड़ी में चढ़ते ही नहीं हैं या बिना किसी सूचना के गाड़ी को बीच में ही छोड़ देते हैं। अनधिकृत अनुपस्थिति का मामला जाँच के दौरान बारंबार पाया गया है। कोचों के जाँच कर्मी दल रहित होने के परिणामस्वरूप न सिर्फ रेल राजस्व की हानि बल्कि रेल की छवि भी खराब होती है।

उपरोक्त के आलोक में वर्तमान में रनिंग कर्मियों के लिए, चालक दल प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से प्रचलित ज्यामितीय उपस्थिति के अनुरूप ही टिकट जाँच कर्मियों के लिए भी ज्यामितीय उपस्थिति के शुरुआत की अनुशंसा की जाती है, ताकि उनकी औचित्यपूर्ण कर्तव्य एवं उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके।

इस संबंध में पुष्टिकरण बहुत सराहनीय होगा।

(सुधांशु शर्मा)

वरिष्ठ उप महाप्रबंधक

प्रतिलिपि :- सचिव (सतर्कता)/रेलवे बोर्ड/नई दिल्ली को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

**इंडेंट तैयार करते समय मात्रा का संकेत
अंकों और शब्दों दोनों में देना सुनिश्चित करें।**



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 13/2017

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.—ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक — 07.11.2017

मंडल रेल प्रबंधक

पूर्व मध्य रेल, धनबाद ।

विषय : रेलवे यार्ड में गिरे हुए कोयले के निलामी के संबंध में ।

संदर्भ : (i) इस कार्यालय का पत्रांक सं०:—ईसीआर/विज./सिस्टम इम्प्रूवमेंट/50 दिनांक:—15.09.15

(ii) सी०सी०एम(एफएम)/ईसीआर का पत्रांक सं०: ईसीआर/सीआरएम एफएमएस/02/ओएल दिनांक:—30.10.15

(iii) सी०सी०एम (एफएम)/ईसीआर का पत्रांक सं० ईसीआर/सीआरएम एफएमएस/02/ओएल दिनांक :—16.10.17

कोयला क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय/धनबाद के एक केस के अन्वेषण के दौरान कोयले की नीलामी से संबंधित कई फाइलों की सूक्ष्मता से जाँच की गई। जाँच के दौरान यह पाया गया कि रक्षित/गिरे हुए कोयले के पब्लिक नीलामी के लिये सूचना “जैसा है जहां है” के आधार पर समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी। अवलोकन से ज्ञात हुआ कि संबंधित विभाग, वाणिज्य, सिविल इंजीनियरिंग, यातायात, लेखा, परिचालन और सुरक्षा के निरीक्षकों की टीम के द्वारा गिरे हुये कोयलों के वजन का अनुमान कर देने के बाद भी प्रकाशित सूचना में अनुमानित वजन का वर्णन नहीं किया गया था। प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक के पत्र (संदर्भ—ii) के अनुसार नीलामी की वस्तु के संक्षिप्त विवरण में उसका आयतन, क्षेत्रफल और कोयले के स्थान विद्युत पोल की संख्या के साथ निहित नहीं होता है जिससे बोली लगाने वाले कोयले के क्षेत्र की पहचान कर सकें। कोयला हटाने में लगने वाले समय का भी विवरण दिया जाना आवश्यक है। सतर्कता प्रणाली सुधार पत्र (संदर्भ—i) के आलोक में वाणिज्य प्रबंधक कार्यालय द्वारा दिशा—निर्देश (संदर्भ—ii) दिनांक 30.10.15 को जारी किया गया था। इस संबंध में मुख्यालय द्वारा जारी दिशा—निर्देश (संदर्भ—ii) से स्पष्ट है कि सामग्री के सभी विवरणों के अन्तर्गत नीलामी सूचना जारी करना होता है। सभी विवरणों में सामग्री/गिरे हुये कोयले की मात्रा/वजन भी समावेष्ट है। लेकिन धनबाद मंडल द्वारा जो सूचना प्रकाशित की गई उसमें कोयले का अनुमानित वजन, जैसा कि निरीक्षकों द्वारा सुझावित था, का उल्लेख नहीं किया गया है।

इस संबंध में, मुख्य वाणिज्य प्रबंधक से पत्राचार के बाद दिनांक 16.10.2017 को संदर्भ—iii के तहत एक पत्रांक मुख्य वाणिज्य प्रबंधक/एफएम द्वारा जारी किया गया है जिसमें इंगित है कि नीलामी सूचना में आकलित वजन का उल्लेखन किया जाना चाहिए तथा संयुक्त आकलन टीम में वाणिज्य यांत्रिक विभाग के भी निरीक्षक/पर्यवेक्षक को भी समावेष्ट किया जाए।

(शिखा श्रीवास्तव)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (यातायात)

कृते महाप्रबंधक/सतर्कता



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 07/2021

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक – 29.06.2021

प्रमुख मुख्य यांत्रिक अभियंता
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर।

विषय : रेलवे बोर्ड (सतर्कता) द्वारा ट्रेन संख्या 12309 में ता0 15.05.2016 को कानपुर एवं नई दिल्ली के बीच निवारक जाँच।

- संदर्भ :** (1) रेलवे बोर्ड पत्र सं0 2016/भी एस एस/ईसीआर/ पीसी/2 दिनांक: 31.03.2021।
(2) आपका पत्र संख्या ECR/HQOMECH (CHG)/74/2020 dt. 15.07.2021
(3) सीनियर सीडीओ/आरएनसीसी का पत्र संख्या ECR/MECH/RNCC/Reply/Vigilance dt. 14.07.2021

रेलवे बोर्ड (सतर्कता) द्वारा ट्रेन संख्या 12309 में दिनांक 15.05.2016 को कानपुर एवं नई दिल्ली के मध्य औचक निवारक जाँच के दौरान पाया गया कि श्री संजय पासवान पुत्र श्री जयलाल पासवान संविदा कर्मि मेसर्स जय माता दी सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ द्वारा एक बिना टिकट यात्री से रु. 3000/- (तीन हजार मात्र) लेकर बी-2 कोच के 48 बर्थ पर यात्रा करने की अनुमति दी गई थी जिसे सतर्कता विभाग के हस्तक्षेप से उस यात्री को लौटाया गया। वर्तमान संविदा में परिचारक द्वारा अनधिकृत यात्री के ट्रेन में ले जाये जाने पर दण्ड का प्रावधान नहीं है।

रेलवे बोर्ड ने यह भी सलाह दी है कि पूर्व मध्य रेल अपने सभी संविदा/करार में ऐसा प्रावधान करें कि अगर फर्म या उसके कर्मचारी यथा OBHS/ACCA इत्यादि किसी गलत कार्य में लिप्त पाये जाने पर वैधानिक कार्यवाही का स्वरूप तय किया जाय ताकि अनधिकृत यात्रियों के ले जाने पर रोक लग सके।

अतः उपरोक्त के मद्देनजर उचित आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने हेतु अनुरोध किया जाता है। जारी दिशा-निर्देश की एक प्रति वरिष्ठ उप महाप्रबंधक कार्यालय को भेजी जाय, ताकि रेलवे बोर्ड को सूचित किया जा सके।

(बी0 एन0 लाल)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (यातायात)
कृते महाप्रबंधक (सतर्कता)



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 05/2013

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक - 08.02.2013

मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर ।

विषय : — विभागीय पदोन्नति के समय 3 आर.पी. (यूपी) अधिनियम के अंतर्गत मामलों के संबंध में आर.पी.एफ. (रेसुब) से क्लीयरेंस (अनुमति) ।

रेलवे बोर्ड के वर्तमान अनुदेशों के अनुसार, किसी आपराधिक मामले के अनिर्णय के दौरान किसी रेल कर्मचारी को पदोन्नत नहीं किया जाना है । एक मामले में जाँच से यह उद्घाटित हुआ है कि किसी कर्मचारी को ग्रुप 'सी' से ग्रुप 'बी' में पदोन्नत किया गया जबकि 3 आर.पी. (यूपी) अधिनियम के अंतर्गत एक आपराधिक मामला उसके विरुद्ध लंबित था । इस चयन में डीएआर एवं एसपीई/सतर्कता क्लीयरेंस लिया गया और उपलब्ध स्थिति के आधार पर चयन को अंतिम रूप दिया गया । यद्यपि बाद में पता चला कि कर्मचारी को रेसुब के 3 आर.पी. (यूपी) एक्ट के तहत माननीय कोर्ट द्वारा सिद्ध दोष ठहराया गया । चयन समिति को इस तथ्य की जानकारी नहीं थी । जब मामला ध्यान में आया तो कर्मचारी को ग्रुप 'सी' में पदावनत कर दिया गया । इस केस के उपरांत महाप्रबंधक ने ग्रुप 'बी' चयन हेतु रेसुब से 3 आर.पी. (यूपी) एक्ट के संबंध में क्लीयरेंस लेने का एक निर्देश दिया । तदनुसार , ग्रुप 'बी' चयन में इस प्रकार का क्लीयरेंस लिया जा रहा है । बहरहाल , ग्रुप 'सी' के अंतर्गत और ग्रुप 'डी' से ग्रुप 'सी' में अन्य पदोन्नतियों में ऐसा कोई क्लीयरेंस नहीं लिया जा रहा है ।

यह उल्लेखनीय है कि 3 आर.पी. (यूपी) एक्ट के अंतर्गत ऐसे मामले आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं । अतएव, 3 आर.पी. (यूपी) एक्ट के तहत किसी लंबित आपराधिक मामला के साथ किसी रेलवे कर्मचारी के पदोन्नत होने की संभावना से बचने के लिए यह वांछनीय है कि सभी विभागीय पदोन्नति में 3 आर.पी. (यूपी) एक्ट के तहत मामलों के संबंध में रेसुब से क्लीयरेंस लिया जाये । अतः अनुरोध है कि इस संबंध में सर्वसंबंधित को आवश्यक अनुदेश जारी किया जाये ।

इस संबंध में की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराया जाये । यह वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक द्वारा अनुमोदित है ।

(अभिषेक कुमार)
उपमुसताधि (लेखा)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 38/2014

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक - 15.09.2014

अध्यक्ष

रेलवे भर्ती बोर्ड

मुजफ्फरपुर ।

विषय : प्रमाण-पत्रों के सत्यापन (VOC) के संबंध में ।

रेलवे भर्ती बोर्ड/मुज. द्वारा डीएमएस पद के पैनल को फाइनल करने में अनियमितता से संबंधित एक परिवाद इस कार्यालय में प्राप्त हुआ था। इस परिवाद की जाँच के दौरान, यह पाया गया कि VOC के दौरान प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में अभ्यर्थियों को प्रमाण-पत्र जमा करने हेतु रेलवे भर्ती बोर्ड, मुज. द्वारा अतिरिक्त समय दिये जाने की प्रथा है। इसके अनुसार, यदि कोई अभ्यर्थी अपना प्रमाण-पत्र/दस्तावेज VOC के दौरान प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसे इसके लिये अतिरिक्त समय दिया जाता है परन्तु किन-किन अभ्यर्थियों को समय दिया गया एवं उनके द्वारा कब अपना प्रमाण-पत्र/दस्तावेज जमा किया गया, इसका कोई रिकॉर्ड रेलवे भर्ती बोर्ड/मुज. द्वारा नहीं रखा जाता है। इससे शिकायत एवं उत्पीड़न की गुंजाइश को बल मिलता है। यह भी पाया गया कि सत्यापन पत्रक में कटिंग अभिप्रमाणित नहीं किया गया था एवं अध्यक्ष का हस्ताक्षर भी बिना तिथि का पाया गया।

अतः उपरोक्त को ध्यान में रखते हुये, VOC प्रणाली में सुधार हेतु विशेषकर अभ्यर्थियों द्वारा प्रमाण-पत्र/दस्तावेज जमा करने के संबंध में एक रजिस्टर रखने का निर्देश दिया जाता है। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सत्यापन पत्रक पर तिथि सहित हस्ताक्षर हो तथा कटिंग आदि अभिप्रमाणित हो।

कृपया इस संबंध में की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत कराया जाये।

(जे.के. वर्मा)

वरिष्ठ उप महाप्रबंधक

**ड्यूटी पूरा होने के तुरंत बाद लिखित पावती के तहत
नामांकित कार्यालय में सरकार की कमाई जमा करें।**



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 01/2016

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.—ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक — 31.03.2016

विसमुलेधि
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर ।

विषय : कर्मचारी के समापक भुगतान के समय वेतन के पुनर्निर्धारण के कारण हुए अधिभुगतान राशि की कटौती की वसूली-बिल की विधिक्षा के संबंध में।

एक परिवार की जाँच के दौरान यह पाया गया कि एक मंडल के एक कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी के सेवा-काल के दौरान उसके अवैतनिक अवकाशों के कारण उसके वार्षिक वेतन-वृद्धि को पीछे न किए जाने के कारण हुए अधिभुगतान राशि की कटौती कर उसके समापक भुगतान एवं सेवानिवृत्ति लाभों में से वसूली की गई थी। यह भी पाया गया कि यद्यपि कर्मचारी का वेतन पुनर्निर्धारित किया गया था एवं आवश्यक वसूली भी की गई थी, किन्तु इसकी वित्तीय विधिक्षा नहीं ली गई थी। जाँच के दौरान मंडल के द्वारा यह बताया गया कि मंडल में प्रचलित परंपरा के अनुसार ऐसे सभी मामलों में वित्तीय विधिक्षा नहीं करायी जाती है।

चूँकि किसी कर्मचारी की सेवा-निवृत्ति के समय किया जाने वाला समापक भुगतान अंतिम होता है, अतः किया जाने वाला भुगतान अथवा वसूली पूर्णतया सही है इसे सुनिश्चित करने के लिये वित्तीय विधिक्षा आवश्यक है, चूँकि इसमें वित्तीय फलार्थ (Financial Implication) अंतर्निहित होता है। यह पाया गया कि पूर्व मध्य रेल के कुछ दूसरे मंडलों में इस तरह के मामलों में वित्तीय विधिक्षा किये जाने का प्रावधान पूर्व से ही प्रचलन में है। अतः सभी मंडलों के क्रिया-कलापों में एकरूपता लाने के उद्देश्य से भी इस मंडल में आगे से वसूली के बिलों की वित्तीय विधिक्षा लिये जाने की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए।

उपरोक्त के आलोक में सभी संबंधित को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया जाए। इस संबंध में कृत कार्यवाही से भी इस कार्यालय को अवगत कराया जाए।

(ए.के.पाठक)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (लेखा)
कृते महाप्रबंधक (सतर्कता)

नेमप्लेट और बैज के साथ हमेशा निर्धारित वर्दी पहनें।



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 04/2016

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.—ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक — 23.09.2016

मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर ।

विषय : रेल कर्मचारियों को हॉस्टल सब्सिडी की मंजूरी/स्वीकृति के संबंध में।

रेल कर्मचारियों को अनुमेय शैक्षणिक भत्ता/हॉस्टल सब्सिडी के पहलू पर इस रेल के एक अधीनस्थ कार्यालय में निवारक जाँच की गई। जाँच के दौरान यह पाया गया कि हॉस्टल सब्सिडी भुगतान की मंजूरी इस संबंध में रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E (W) 2008/ED-2/4 दिनांक 07.06.2013 (RBE 55/2013) में निहित अनुदेशों/निर्देशों के अनुरूप नहीं है।

मौजूदा अनुदेशों/निर्देशों के अनुसार हॉस्टल सब्सिडी से तात्पर्य कर्मचारी द्वारा किए गए उस खर्च की भरपाई से है जो उनके बच्चों को वैसे आवासीय विद्यालय/संस्थान में रखने से संबंधित है जिनकी दूरी उनके निवास स्थान से 50 कि.मी. से अधिक की हो। परन्तु, यह पाया गया कि 50 कि.मी. से कम की दूरी पर स्थित आवासीय विद्यालय/संस्थान से संबंधित दावे मंजूर एवं भुगतान किए गए। इस संदर्भ में संबंधित कार्यालय के बिल क्लर्क द्वारा यह कहा गया कि रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E (W) 2008/ED-2/4 दिनांक 07.06.2013 (RBE 55/2013) में निहित अनुदेशों/निर्देशों की जानकारी नहीं है/थी। साथ ही कार्यालय में इसकी अनुपलब्धता के बारे में भी बताया गया।

अतः उपरोक्त के आलोक में शैक्षणिक भत्ता/हॉस्टल सब्सिडी की मंजूरी के संबंध में निहित अनुदेश/निर्देश जो रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या E (W) 2008/ED-2/4 दिनांक 07.06.2013 (RBE 55/2013) द्वारा जारी है, की उपलब्धता सभी संबंधित को सुनिश्चित की जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि इस संबंध में दावे प्रस्तुत करते समय कर्मचारी से बोर्ड के निर्देशों के अनुरूप दूरी से संबंधित स्पष्ट प्रमाण—पत्र प्राप्त कर ली गई है।

इस संबंध में कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराया जाए।

(संजीव मित्तल)
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक

प्रतिलिपि :— विसमुलेधि/पूमरे/हाजीपुर : को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(केस संख्या पूमरे/सतर्कता/वी-2/मुगल/08-16 एकेएस 2 पीस-39)

ईएफटी जारी करते समय डबल पक्षीय कार्बन पेपर का उपयोग करें।



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 03/17

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक - 28.04.2017

सभी विभागाध्यक्ष

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर।

विषय : डाक के केन्द्रीयकृत प्राप्ति एवं प्रेषण हेतु प्रणाली सुधार।

सतर्कता अन्वेषण के दौरान यह पाया गया कि आपके नियंत्रण में आने वाले कार्यालयों के डाकों के केन्द्रीयकृत प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग के अनुपलब्धता के कारण सीधे तौर पर जवाबदेही अधिरोपित नहीं की जा पा रही है।

अतः अनुरोध किया जाता है कि अपने नियंत्रित कार्यालयों में पत्रों के केन्द्रीयकृत प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग की व्यवस्था की जाय, ताकि सभी पत्राचार तत्काल सही जगह पर प्रस्तुत की जा सके। यह व्यवस्था दस्तावेजों से छेड़छाड़, शिकायतों के प्राप्त न होने वाले शिकायत आदि के मामले में दायित्व निर्धारण में सहायक होगा।

इस संबंध में पुष्टिकरण बहुत सराहनीय होगी।

(सुधांशु शर्मा)
वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक

प्रतिलिपि :- सचिव, महाप्रबंधक/पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर : को महाप्रबंधक महोदय के सादर सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

**इंडेंट तैयार करने व इंडेंट पर हस्ताक्षर करने से पहले
अनुमानित दर या अंतिम खरीद दर की जांच करें।**



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 05/2017

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.—ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक — 25.05.2017

मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर ।

विषय : नव-नियुक्त कर्मचारियों के सेवा-पुस्तिकाएँ का निवारक जाँच के संबंध में ।

पूर्व मध्य रेल के एक युनिट में सतर्कता टीम द्वारा निवारक जाँच के दौरान यह पाया गया है कि कुछ नव-नियुक्त कर्मचारियों के अंगुली का छापों को सेवा-पुस्तिका में सही ढंग से नहीं लिया गया था और ये छापें स्पष्ट दिखायी नहीं पड़ती थीं ।

इस संबंध में पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों को कर्मचारियों के नियुक्ति के समय सेवा-पुस्तिका में अंगुलियों के निशान सही ढंग से लेने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने की सलाह दी जाती है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके ।

(ए.के.पाठक)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (लेखा)
कृते महाप्रबंधक (सतर्कता)

**बुकिंग कार्यालय में
अद्यतन किराया सूची प्रदर्शित करें और सुनिश्चित करें कि
टिकट काउंटर पर किराया संकेत बोर्ड
काम करने की स्थिति में है।**



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 08/2017

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.—ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक — 22.06.2017

मुख्य कार्मिक अधिकारी

पूर्व मध्य रेल / हाजीपुर ।

विषय : ग्रुप 'डी' से ग्रुप 'सी' में प्रोन्नति प्राप्त एवं अनुकंपा पर नियुक्त उम्मीदवारों के टाइपिंग योग्यता परीक्षा के संबंध में ।

रेलवे बोर्ड सतर्कता टीम द्वारा इस रेल के एक मंडल में किये गये निवारक जाँच के दौरान यह पाया गया कि कुछ कर्मचारियों को 16-2/3% सीमित विभागीय परीक्षा के तहत ग्रुप 'डी' से ग्रुप 'सी' में प्रोन्नत किया गया एवं कुछ अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति अनुकंपा आधार पर कार्यालयी संवर्ग (Ministerial Cadre) में की गई थी । रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आर.बी. संख्या-23/1997 एवं आर.बी. संख्या- 69/1997 में दिये गये निर्देशों के अनुसार इन उम्मीदवारों को अपनी नियुक्ति की तिथि से दो वर्षों के भीतर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट एवं हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से टाइपिंग प्रवीणता प्राप्त करना अपेक्षित था और नियत अवधि के भीतर निर्धारित टाइपिंग अर्हता प्राप्त करने तक इनकी नियुक्ति अंतिम मानी जानी थी । आर.बी.संख्या-66/2000 में दिये गये निर्देशों के अनुसार यह भी स्पष्ट किया गया है कि संबंधित कर्मचारी को दो वर्षों की समय-सीमा पूरी होने से पहले टाइपिंग परीक्षा में अर्हता हासिल करने के लिए कम-से-कम तीन मौके प्रदान किये जाने चाहिए ।

हालांकि, जाँच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि वैसे कर्मचारी जो ग्रुप 'डी' से ग्रुप 'सी' में प्रोन्नत हुए थे एवं जिनकी नियुक्ति अनुकंपा आधार पर हुई थी, नियत समय-सीमा के भीतर निर्धारित टाइपिंग जाँच परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं कर सके एवं इसके बावजूद उनके विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की गयी । आश्चर्यजनक रूप से इनमें से कुछ अभ्यर्थियों की प्रोन्नति बिना अपेक्षित टाइपिंग अर्हता प्राप्त किये ही कनिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ लिपिक में भी कर दी गई । यह भी पाया गया कि इनमें से कुछ योग्य अभ्यर्थियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर टाइपिंग परीक्षा में शामिल होने के लिए एक भी मौका प्रदान नहीं किया गया । यह भी पाया गया कि मंडल के योग्य अभ्यर्थियों के लिए अपेक्षित टाइपिंग परीक्षा का आयोजन कराने एवं इसकी प्रगति पर नज़र रखने के लिए कोई व्यवस्था प्रचलन में नहीं थी, जिससे योग्य अभ्यर्थियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर समुचित मौके प्रदान किये जा सके ।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में, मंडल के कार्मिक विभाग में एक केन्द्रीयकृत व्यवस्था विकसित किये जाने की आवश्यकता है, जिससे कि योग्य अभ्यर्थियों के लिए नियमित अंतराल पर अपेक्षित टाइपिंग परीक्षा का आयोजन एवं इसकी प्रगति पर नज़र रखा जा सके एवं योग्य अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर समुचित मौके प्रदान किये जा सकें । वैसे अभ्यर्थी जो नियत समय-सीमा के भीतर अपेक्षित टाइपिंग परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहते हैं, उनके विरुद्ध आर.बी.ई. संख्या-23/1997, 69/1997 एवं 41/2014 में दिये गये निर्देशों के तहत उचित कार्यवाही करने के लिए कदम उठाये जाने चाहिए ।

उपरोक्त के आलोक में, आपसे आग्रह है कि आर.बी.ई.संख्या-23/1997, 69/1997, 66/2000 एवं 41/2014 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक कदम उठाये एवं इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर इस कार्यालय को सूचित करते हुये सर्वसंबंधित को तदनुसार निर्देशित करें ।

कृपया इसे अति-आवश्यक समझें ।

(ए.के.पाठक)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (लेखा)

कृते महाप्रबंधक (सतर्कता)



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 06/2018

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक - 04.05.2018

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर।

विषय : दस्तावेज सत्यापन हेतु प्रणाली सुधार ।

विभिन्न सतर्कता मामलों के जाँच के दौरान यह पाया गया है कि उम्मीदवारों द्वारा उनकी नियुक्ति के समय शैक्षणिक योग्यता आदि के समर्थन में जमा किए गए दस्तावेज नकली या कूटरचित थे। इन मामलों की जाँच के दौरान यह भी पाया गया कि रेलवे प्रशासन द्वारा उम्मीदवारों की नियुक्ति के समय उनके प्रमाण पत्रों की जाँच नहीं की गई।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए कार्मिक विभाग में नियुक्ति के समय उम्मीदवारों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों का सत्यापन उन्हें जारी करने वाली संस्था से कराने हेतु एक उचित तंत्र विकसित किये जाने की आवश्यकता है ताकि ऐसे धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति सेवा में नहीं बने रहे। इस संबंध में एक सिस्टम सुधार की आवश्यकता है। पुनः असत्यापित मामलों के सत्यापन कार्य को पूरा करने हेतु एक विशेष अभियान शुरू किया जाना चाहिए। इस संबंध में कृत कार्यवाही की रिपोर्ट इस कार्यालय को भी भेजी जाए।

इसे “अतिआवश्यक” समझा जाए।

(सुधांशु शर्मा)

वरिष्ठ उप महाप्रबंधक

निविदाओं के मूल्यांकन के दौरान हमेशा
पूर्व स्वीकृत दरों और / या बाजार विश्लेषण के संदर्भ में
दरों की यथोचितता सुनिश्चित करें जैसा कि मामला हो सकता है।



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 06/2019

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक – 23.01.2019

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर।

विषय : विभिन्न चयन परीक्षाओं के मॉडल उत्तर को संरक्षित रखने के संबंध में।

एक सतर्कता जाँच के दौरान यह पाया गया कि इस रेलवे में ग्रुप- बी पद के एक चयन हेतु आयोजित लिखित परीक्षा का मॉडल उत्तर न तो कार्मिक विभाग और न ही संबंधित कार्यकारी विभाग के पास उपलब्ध था, जिसके कारण यह सतर्कता विभाग को जाँच कार्य के लिए सुपुर्द नहीं किया जा सका। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आर.बी.ई. सं- 181/2011 में दिए गए निर्देशों के अनुसार 30% LDCE हेतु आयोजित लिखित परीक्षा के मूल्यांकित उत्तर-पुस्तिकाओं को पैनल के प्रकाशन तिथि से 03 वर्षों तक संरक्षित किया जाना चाहिए। तदनुसार, मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं के साथ ही उसके मॉडल उत्तर को भी पैनल के प्रकाशन तिथि से 03 वर्षों तक संरक्षित किया जाना चाहिए। मॉडल उत्तर की अनुपलब्धता के कारण संबंधित सतर्कता मामले में लिखित परीक्षा के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में अनियमितता के मुद्दे पर जाँच कार्य को पूरा नहीं किया जा सका एवं इस कारण सतर्कता कार्य प्रभावित हुआ।

इन परिस्थितियों में विभिन्न चयन लिखित परीक्षाओं के मॉडल उत्तर को संरक्षित रखने के लिए एक सुरक्षित प्रणाली को विकसित किये जाने की नितांत आवश्यकता है, ताकि यथाआवश्यक प्रश्न पत्रों, उत्तर पुस्तिकाओं एवं मॉडल उत्तर की उपलब्धता हो सके।

अतएव इस संबंध में प्रणाली सुधार संबंधी पत्र जारी किया जाये एवं सभी संबंधित यूनिटों को तदनुसार आवश्यक कदम उठाने के लिए सूचित किया जाये।

कृप्या इसे अति आवश्यक समझा जाए।

(ए0 के0 पाठक)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (लेखा)

कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

“देश के प्रति निष्ठा सभी निष्ठाओं से पहले आती है,
और यह पूर्ण निष्ठा है क्योंकि
इसमें कोई अपेक्षा नहीं कर सकता कि
बदले में उसे क्या मिलता है।”

– लाल बहादुर शास्त्री



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 13/2019

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक - 28.03.2019

प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर।

विषय : पूमरे के अधिकारियों के पक्ष में सैलून की बुकिंग एवं इतर रेलवे में ड्यूटी के संबंध में ।

मुख्यालय के परिचालन विभाग में एक निवारक जाँच के दौरान यह पाया गया कि कुछ कर्मचारियों को इतर रेलवे में ड्यूटी की बुकिंग का अनुमोदन कनिष्ठ वेतनमान अधिकारी के द्वारा किया गया था, जो कि शक्तियों की अनुसूची के स्थापना (अराज.) मामले के अनुच्छेद 16 में दिये गये निर्देशों के विरुद्ध है। शक्तियों की अनुसूची के स्थापना (अराज.) मामले के अनुच्छेद 16 के अनुसार किसी भी कर्मचारी को अपने रेलवे से बाहर की ड्यूटी की बुकिंग को अनुमोदित करने का अधिकार कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान ग्रेड या इससे ऊपर के अधिकारी को दिया गया है और कनिष्ठ/वरिष्ठ वेतनमान के अधिकारी को अपने अधीनस्थ किसी भी कर्मचारी को, अपने रेल से बाहर ड्यूटी पर जाने के लिए, प्राधिकृत करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है।

यह भी पाया गया है कि एक मामले में किसी अधिकारी के पक्ष में इतर रेलवे स्टेशन तक के लिए सैलून की बुकिंग की गई थी जो कि उस अधिकारी के अनुमोदित दौरा कार्यक्रम से मेल नहीं खाता है। यह भी पाया गया कि सैलून की बुकिंग के लिए परिचालन विभाग के किसी राजपत्रित अधिकारी का अनुमोदन नहीं लिया गया है।

उपरोक्त के आलोक में यह सलाह दी जाती है कि किसी भी अधिकारी के पक्ष में सैलून की बुकिंग के लिए परिचालन विभाग के राजपत्रित अधिकारी का अनुमोदन लिया जाना चाहिए ताकि संबंधित अधिकारी के अनुमोदित दौरा कार्यक्रम के अनुसार सैलून की बुकिंग को सुनिश्चित किया जा सके। शक्तियों की अनुसूची के स्थापना (अराज.) मामले के अनुच्छेद 16 में दिये गये निर्देशों से सभी संबंधित यूनिटों को अवगत कराया जाना चाहिये ताकि इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जा सके। इस संबंध में उठाये गये कदमों से भी इस कार्यालय को अवगत कराया जाए।

कृप्या इसे अति आवश्यक समझें।

(ए० के० पाठक)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (लेखा)

कृते महाप्रबंधक/सतर्कता



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 25/2019

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक — 16.09.2019

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर।

विषय : चयन में परिहार्य विलंब।

अधिसूचना के उपरांत चयन प्रक्रिया में विलंब के मामले में एक परिवाद के सतर्कता जाँच के दौरान यह पाया गया था कि 90 से भी कम अभ्यर्थियों के आवेदन परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु नियत अवधि पर प्राप्त हुए थे। फिर भी तीन महीने से भी अधिक अभ्यर्थियों के पात्रता निर्णय करने में लग गये। स्पष्ट निर्देश के उपरांत भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था समय से नहीं किया गया तथा तीन/चार सप्ताह का प्रशिक्षण संपादन करने में सात से आठ महीना की अवधि लग गया।

अंततः रेलवे बोर्ड द्वारा जारी पुर्नसंरचना आदेश के आलोक में चयन प्रक्रिया निरस्त हो गई। अगर यह चयन प्रक्रिया समय से निष्पादित हो जाती तो पुर्नसंरचना प्रावधान का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता।

उक्त के आलोक में सर्वसंबंधित को यह निर्देश दिया जाए कि चयन प्रक्रिया के केलेण्डर का सावधानीपूर्वक पालन किया जाए जिससे कि चयन प्रक्रिया में होने वाली विलंब से बचा जा सके।

(ए० के० पाठक)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (लेखा)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

“अनुशासन किसी के ऊपर
थोपा नहीं जाता, अपितु
आत्म अनुशासन लाया जाता है।”

— अटल बिहारी वाजपेयी



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 16/2020

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक – 09.10.2020

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर।

विषय : खेल-कूद कोटा के तहत नियुक्त अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्र के सत्यापन पर निवारक जाँच।

पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में सतर्कता विभाग द्वारा निवारक जाँच के दौरान पाया गया कि खेल-कूद में उपलब्धि के प्रमाण-पत्र के आधार पर एक अभ्यर्थी को योग्य पाया गया था। उपलब्धि प्रमाण-पत्र की सत्यता की पुष्टि के लिये संबंधित खेल-कूद अधिकारी के पास पत्र भेजा गया। सत्यता की पुष्टि करते समय खेल-कूद अधिकारी ने नया मद उपलब्धि प्रमाण-पत्र में जोड़ दिया जिसका विभाग द्वारा जाँच नहीं किया गया और औपबंधिक नियुक्ति पत्र अभ्यर्थी के पक्ष में जारी कर दिया गया। तदनुसार उक्त अभ्यर्थी ने रेलवे में योगदान कर लिया।

दूसरे अभ्यर्थी की शिकायत के आधार पर उक्त अभ्यर्थी की उम्मीदवारी की जाँच किया गया और यह पाया गया कि अभ्यर्थी ने खेल-कूद के उपलब्धि प्रमाण-पत्र की सत्यता फॉर्म भरते समय छिपाया था। अंततः कर्मचारी को सेवा से पदच्युत कर दिया गया।

सर्वसंबंधित को निर्देश देने हेतु अनुरोध किया जाता है कि भविष्य में विवाद एवं उलझन से बचने के लिये खेल-कूद उपलब्धि प्रमाण पत्र के संबंध में संबंधित प्राधिकारी द्वारा की गई पुष्टि तथा अभ्यर्थी द्वारा आवेदन जमा करने के समय दिए गए दस्तावेजों/प्रमाण-पत्रों का मिलान सही ढंग से किया जाना चाहिए।

(उज्ज्वल आनंद)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/लेखा एवं कार्मिक
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

“मोह एक अत्यंत विस्मित जाल है,
जो बाहर से अतिसुन्दर और
अन्दर से अत्यंत कष्टकारी है;
जो इसमें फँसा
वो पूरी तरह उलझ ही गया।”

— अटल बिहारी वाजपेयी



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 17/2020

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक – 29.10.2020

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर।

विषय : कर्मचारियों के एन.पी.एस. खाता से आंशिक धन निकासी।

पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में निवारक जाँच के उपरान्त यह प्रकाश में आया कि कर्मचारियों द्वारा एन.पी.एस. खाता से आंशिक धन निकासी के मामले में विद्यमान नियमों PFRDA के पत्र सं PFRDA/2018/40/Exit, dated 10.01.2018 तथा स्थानीय स्तर पर जे.पी.ओ. सं० ECR/HRD/NPS/JPO/2019 Dt.03.05.2019 का पालन नहीं किया जा रहा है जिसमें निम्नलिखित अनियमितताएं पायी गयी हैं:-

1. कर्मचारी के आवेदन में अनिवार्य कॉलम (जैसे :- PRAN एवं Verified Date का कॉलम) का रिक्त होना।
2. भूमि क्रय हेतु धन निकासी का प्रावधान नहीं होने के बावजूद निकासी स्वीकृत किया जाना।
3. कर्मचारियों के एन.पी.एस. खाता से आंशिक धन निकासी हेतु बीमारियों की निर्धारित सूची में वर्णित बीमारियों का स्पष्ट उल्लेख कर्मचारियों द्वारा संलग्न दस्तावेज में नहीं किया जाना।
4. कर्मचारियों के आंशिक धन निकासी की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका में नहीं किया जाना।
5. Form: 601 PW Receipt No., PRAN एवं Verified Date का कॉलम रिक्त रखना तथा Subscriber, DDO एवं PAO के हस्ताक्षर के साथ तिथि अंकित नहीं करना।
6. कर्मचारियों के एन.पी.एस. खाता से आंशिक धन निकासी से संबंधित निकासी पंजिका में प्रविष्टि नहीं किया जाना।
7. निकासी आवेदन की हार्डकॉपी एन.एस.डी.एल., नई दिल्ली को नहीं भेजा जाना।

उपरोक्त के आलोक में कर्मचारियों द्वारा एन.पी.एस. खाता से आंशिक धन निकासी के किसी भी मामलों को स्वीकृति से पूर्व पायी गई अनियमितता का निराकरण किया जाना अपेक्षित है।

उपरोक्त तथ्य आपके संज्ञान में आवश्यक कार्यवाही हेतु लाये जा रहे हैं। कृपया कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराया जाए।

(उज्ज्वल आनंद)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/लेखा एवं कार्मिक
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 18/2020

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक – 20.10.2020

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर।

विषय : पुनर्नियोजित कर्मचारियों के पारिश्रमिक भुगतान में अनियमितता।

पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में सतर्कता जाँच के उपरान्त प्रकाश में आया कि एक सेवानिवृत्त कर्मचारी का पुनर्नियोजन (Re-engagement) के उपरांत उनके द्वारा पदस्थापना स्थल पर बिना योगदान दिये ही इनके पक्ष में लगातार आठ माह (नवम्बर/2018 से जून/2019) तक कुल 242536/-रुपये का भुगतान पारिश्रमिक के रूप में किया गया। इस मामले में संलिप्त कर्मचारी द्वारा पुनर्नियोजित कर्मचारी का ज्वाइनिंग रिपोर्ट/मास्टर रोल की जाँच किये बिना ही वेतन चार्ज कर दिया गया था जिसके लिये उन्हें दीर्घ दण्ड से अधिरोपित किया गया है। साथ ही पुनर्नियोजित कर्मचारी के पक्ष में भुगतान किये गये कुल राशि 242536/- रुपये की वसूली भी की गई।

सतर्कता जाँच के दौरान यह भी प्रकाश में आया कि सेवानिवृत्ति के उपरांत रेल सेवा में पुनर्नियोजित कर्मचारियों के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु तैयार वेतन विपत्रों के साथ पुनर्नियोजित कर्मचारियों का ज्वाइनिंग रिपोर्ट/मास्टर रोल लेखा कार्यालय को नहीं प्रेषित किया जाता है।

इस संदर्भ में, भविष्य में ऐसी किसी संभावित घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से पुनर्नियोजित सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु वेतन विपत्र को तैयार करने से पूर्व पुनर्नियोजित कर्मचारियों के ज्वाइनिंग रिपोर्ट/मास्टर रोल की अभिप्रमाणित प्रति की प्राप्ति सुनिश्चित किया जाना एवं वेतन विपत्र के साथ उसकी एक प्रति लेखा कार्यालय में प्रेषित करना आवश्यक है।

उपरोक्त प्रणाली सुधार सुझाव को प्रभावी बनाने की दिशा में कृपया यथोचित दिशा-निर्देश जारी करें। जारी किए गये निर्देश की एक प्रति कृपया इस कार्यालय को सूचना और रिकार्ड के लिए भेजी जाए।

(उज्ज्वल आनंद)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/लेखा एवं कार्मिक
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 01/2021

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक – 04.02.2021

प्रधान वित्त सलाहकार

एवं

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर।

विषय : नियुक्ति/विभागीय, पदोन्नति/सुयोग्यता जाँच आदि के लिए आयोजित
लिखित परीक्षा का विडियो रिकार्डिंग कराने के संबंध में।

पूर्व मध्य रेल के मंडलों में विभागीय पदोन्नति/सुयोग्यता जाँच अथवा सभी प्रकार के नियुक्ति संबंधित आयोजित लिखित परीक्षाओं के समाप्ति के उपरांत प्राप्त शिकायत के अनुसार सतर्कता विभाग को संज्ञान में आया है कि :-

1. परीक्षा के दौरान कर्मचारियों द्वारा मोबाईल के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर लिखते पाया गया है।
2. परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को एक-दूसरे के नजदीक बैठाया जाता है।
3. एक साथ बहुत से परीक्षार्थियों को बाहर जाने की अनुमति दे दिया जाता है।

उपरोक्त के अलावा परीक्षा में कदाचार/अनियमितता संबंधित काफी शिकायत प्राप्त होती रहती है। परन्तु परीक्षा समाप्ति के उपरांत विडियो रिकार्डिंग के अभाव में पूर्ण जाँच कर पाना संभव नहीं होता है।

उपरोक्त के आलोक में सुझाव दिया जाता है कि पूर्व मध्य रेल में होने वाले सभी विभागीय पदोन्नति/ सुयोग्यता जाँच, नियुक्ति आदि के लिये आयोजित लिखित परीक्षाओं का विडियो रिकार्डिंग करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(उज्ज्वल आनंद)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/लेखा एवं कार्मिक
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

जागरूकता जीवन में अति उपयोगी,
सतर्कता से इंसान बनेगा कर्मयोगी।



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 02/2021

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक - 04.02.2021

प्रधान वित्त सलाहकार

एवं

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।

विषय : स्कूटर/मोटरसाईकिल तथा कम्प्यूटर अग्रिम लेने के उपरांत मूलधन एवं ब्याज की राशि की वसूली में अनियमितता।

पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में स्कूटर/मोटरसाईकिल तथा कम्प्यूटर अग्रिम लेने के उपरांत क्रय तथा इसकी वसूली संबंधित दस्तावेजों का निवारक जाँच के दौरान निम्न अनियमितताएं पाई गई :-

1. स्कूटर अग्रिम की स्वीकृत के एक माह के अन्दर क्रय संबंधित दस्तावेज कार्यालय में जमा कर देना चाहिए, जो नहीं किया गया।
2. यदि स्वीकृत अग्रिम के विरुद्ध कर्मचारी क्रय नहीं करता है तो उसे मूलधन एवं ब्याज की एक मुश्त राशि जमा कर देनी चाहिए, जो नहीं किया गया।
3. स्वीकृत अग्रिम की कटौती, स्वीकृति माह के अगले माह के वेतन से प्रारंभ किया जाना चाहिए एवं मूलधन की कटौती पूर्ण होने के उपरांत ब्याज की गणना कर ब्याज की कटौती किया जाना चाहिए, जो नहीं किया गया।
4. इसी प्रकार स्वर्गवास/सेवानिवृत्ति/स्थानांतरण होने वाले कर्मचारियों का बकाया शेष रहने पर नो ड्यूज प्रमाण पत्र जारी किया गया जो जारी नहीं किया जाना चाहिए था।
5. कुछ कर्मचारियों ने नियत अवधि में स्वीकृत अग्रिम के विरुद्ध स्कूटर/कम्प्यूटर का क्रय नहीं किया था। वैसे कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना चाहिए था जो नहीं किया गया।
6. स्वीकृत अग्रिम के विरुद्ध निर्धारित ब्याज की गणना कर कटौती नहीं किया गया है। अतएव इसकी कटौती किया जाना चाहिए।

उपरोक्त के अलोक में अनुरोध है कि पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों/यूनिटों को निर्देशित किया जाए कि सभी प्रकार के स्वीकृत अग्रिम के विरुद्ध मूलधन एवं ब्याज के बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित किया जाए एवं इसकी सूचना इस कार्यालय को भी दी जाए।

उपरोक्त पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(उज्ज्वल आनंद)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/लेखा एवं कार्मिक
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 03/2021

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक – 01.04.2021

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर।

विषय : विभागीय परीक्षाओं के लिये जारी किये जाने वाले विरमण पत्र के एकरूपता की कमी।

सतर्कता विभाग द्वारा पूर्व मध्य रेल में हुये एक विभागीय परीक्षा में निवारक जाँच के दौरान देखा गया कि विभागीय परीक्षा हेतु जारी किये गये विरमण पत्रों में कोई एकरूपता नहीं है। कुछ मामलों में पाया गया कि उम्मीदवार का फोटोग्राफ/हस्ताक्षर को सक्षम अधिकारी के द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है। कुछ मामलों में उम्मीदवार का नमूना हस्ताक्षर/फोटोग्राफी नहीं पाया गया।

अतः पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों को विरमण पत्र में स्पष्ट फोटोग्राफ एवं नमूना हस्ताक्षर को सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित कर एक समान रूप में जारी किये जाने हेतु निर्देशित करने हेतु अनुरोध किया जाता है।

इस संबंध में विरमण पत्र की एक प्रोफार्मा संलग्न की गई है।

संलग्न : यथोक्त

(उज्ज्वल आनंद)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/लेखा एवं कार्मिक
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

“लोग तुम्हारी स्तुति करें या निन्दा,
लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर कृपालु हो या न हो,
तुम्हारा देहान्त आज हो या एक युग में,
तुम न्याय पथ से कभी भ्रष्ट न हो।”

– स्वामी विवेकानन्द



पूर्व मध्य रेल

कार्यालय

(कार्यालय का नाम)

सं०(संबंधित मिसिल सं०)

दिनांक.....(जारी करने की तिथि)

सेवा में,

.....

.....

विषय : विभागीय परीक्षा (परीक्षा का नाम) के लिए कर्मचारी का विरमण पत्र ।

संदर्भ : पत्र सं०.....दिनांक.....

उपरोक्त विभागीय परीक्षा हेतु निम्नलिखित कर्मचारी को इस कार्यालय से विरमित किया जाता है ।

कर्मचारी का सत्यापित फोटो एवं हस्ताक्षर का विवरण निम्न है :—

नाम :

पद :

परीक्षा का नाम :

परीक्षा का स्थल :

परीक्षा की तिथि :

रिपोर्ट का समय :

उम्मीदवार का हस्ताक्षर:

हस्ताक्षर सत्यापित

उम्मीदवार का फोटो :

फोटो सत्यापित

(प्राधिकृत अधिकारी)

जारी करनेवाला अधिकारी का नाम,

पदनाम, कार्यालय का मुहर



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 05/2021

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक – 06.06.2021

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर।

विषय : पदोन्नति/सुयोग्यता जाँच हेतु आयोजित विभागीय परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्र पूछे जाने के संबंध में।

मुख्यालय हाजीपुर में लेखा विभाग के कर्मचारियों के पदोन्नति/ सुयोग्यता जाँच हेतु आयोजित। Appendix-II, IREM-2019 की परीक्षा, पूर्व मध्य रेल, सीनियर सेकेन्ड्री स्कूल, दानापुर/खगौल में दिनांक-08.10.2020 से 10.10.2020 तक आयोजित किया गया जिसमें संज्ञान में आया कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न-पत्र पर परीक्षार्थी द्वारा अपना नाम एवं क्रमांक अंकित करने का कोई प्रावधान नहीं है। इससे प्रश्न-पत्र पर उत्तर में निशान लगाकर अदला-बदली करने की संभावना है। अतः प्रश्न-पत्र पर ही नाम एवं क्रमांक अंकित करने का प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि इस प्रकार की गड़बड़ी रोकी जा सके।

उपरोक्त के आलोक में पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलो/इकाइयों में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न-पत्र से ली जाने वाली पदोन्नति/सुयोग्यता जाँच हेतु विभागीय परीक्षा में प्रत्येक कर्मचारी द्वारा अपना नाम एवं रोल नम्बर प्रश्न-पत्र पर दर्ज करने का प्रावधान किया जाए।

उपरोक्त पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(उज्ज्वल आनंद)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/लेखा एवं कार्मिक
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 06/2021

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक – 23.06.2021

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर।

विषय : सभी अराजपत्रित कर्मचारियों को उपस्थिति पंजिका में अपनी उपस्थिति दर्ज करने के संबंध में।

सतर्कता विभाग द्वारा एक मंडल में किए गए निवारक जाँच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं संज्ञान में आयी हैं :-

1. विभिन्न इकाइयों में कार्यरत कुछ अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा उपस्थिति पंजिका में उपस्थिति दर्ज न करवाकर इसके स्थान पर मस्टर रोल में पी-पी दर्ज किया जाता है।
2. एक मामले में पाया गया कि दानापुर मंडल के एक स्टेशन पर सिगनल विभाग के कर्मचारियों के लिए उपस्थिति पंजिका ही नहीं थी जिसके कारण माह के 06 तारीख से 21 तारीख तक संबंधित कर्मचारियों द्वारा उपस्थिति नहीं बनायी गयी। इसे रोकने की जिम्मेवारी संबंधित विभाग के पर्यवेक्षक के साथ-साथ मुख्य कर्मचारी कल्याण निरीक्षक की भी थी। लेकिन मुख्य कर्मचारी कल्याण निरीक्षक द्वारा अपने बीट निरीक्षण के क्रम में उजागर नहीं किया जा सका।
3. दानापुर मंडल के एक स्टेशन पर कार्यरत कर्मचारी दो उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करते थे, जिसे मुख्य कर्मचारी कल्याण निरीक्षक द्वारा भी अपने बीट निरीक्षण के दौरान उजागर नहीं किया गया।

उपरोक्त के आलोक में यह सुनिश्चित किया जाए कि पूर्व मध्य रेल के सभी कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारी कार्यालय में उपस्थिति पंजिका में अपनी उपस्थिति दर्ज करें। समय-समय पर संबंधित बीट के कर्मचारी कल्याण निरीक्षक द्वारा अपने बीट निरीक्षण के क्रम में इसकी जाँच की जाए।

उपरोक्त पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(उज्ज्वल आनंद)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/लेखा एवं कार्मिक
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 11/2021

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक – 24.08.2021

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर।

विषय : पूर्व मध्य रेल में आयोजित होने वाले विभागीय परीक्षा में (सीबीटी) कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के आयोजन की उचित व्यवस्था तथा हैकिंग/साईबर— अपराध की रोकथाम के संबंध में।

निवारक जाँच के दौरान यह देखा गया है कि दानापुर मंडल में कार्मिक विभाग के द्वारा जूनियर इंजीनियर/सिगनल के पद के लिए दिनांक— 07.09.2021 को कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) तीन अलग-अलग पालियों में आयोजित करने की योजना थी। लेकिन अचानक तकनीकी खराबी आने के कारण वर्णित सीबीटी मोड को लिखित मोड (ओएमआर शीट) में बदल कर एक पाली में आयोजित किया गया। इसके परिणामस्वरूप परीक्षा में विलंब हुआ और परीक्षा की तिथि में अचानक परिवर्तन करना पड़ा। इससे पता चलता है कि उचित तैयारी का अभाव था।

इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि किसी भी कम्प्यूटर आधारित परीक्षा को आयोजित करने से पहले कम्प्यूटर आधारित परीक्षण पूर्व में ही कर लिया जाना चाहिए ताकि परीक्षा का संचालन सुचारु रूप से किया जा सके। साथ ही साथ सीबीटी के दौरान हैकिंग/साईबर—अपराध को रोकने के लिए भी उचित व्यवस्था किया जाना चाहिए।

उक्त पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(उज्ज्वल आनंद)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/लेखा एवं कार्मिक
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

दुर्घटना से देर भली, जागरूकता से दुर्घटना टली ।



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 14/2021

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक – 20.10.2021

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी,
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर।

विषय : बिना लिखित आदेश के एक इकाई से दूसरे इकाई में
कार्य करवाने से संबंधित प्रणाली सुधार पत्र।

पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में जांच के दौरान पाया गया कि एक इकाई के कई कर्मचारी लंबी अवधि से अपने इकाई (यूनिट) में मूल कार्य ना कर अन्य इकाइयों में कार्य कर रहे थे। इस संदर्भ में यह भी देखा गया कि संबंधित इकाई के पास इस तरह कार्य करवाने के अवधि के संबंध में कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था और केवल मौखिक आदेश पर बड़ी संख्या में कर्मचारी लंबे समय से अन्य यूनिटों में कार्य कर रहे थे। **इनकी उपस्थिति बाहर कार्यरत कर्मियों के पर्यवेक्षक द्वारा भेजे गए चेकशीटों के आधार पर किया जा रहा था।**

विषय कि चर्चा शाखाध्यक्ष से करने पर पाया गया कि इसकी जानकारी उनको भी नहीं थी क्योंकि यह परिपाटी काफी पुराने समय से जारी थी। संभव है कि इस तरह की परिपाटी विभिन्न मंडलों के कई और इकाइयों में भी प्रचलित हो सकती है।

अतः मामले को संज्ञान में रखकर ये अनुशंसा की जाती है कि यदि किसी भी कर्मचारी को अपने मूल इकाई से बाहर कार्य करवाया जाता है तो इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी के द्वारा लिखित आदेश प्राप्त किया जाना यथोचित है।

इस विषय पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(उज्ज्वल आनंद)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/लेखा एवं कार्मिक
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

जागरूकता को जीवन में उतारे, जागरूकता से जीवन सवारे।



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 17/2021

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक – 03.12.2021

कार्यकारी निदेशक स्थापना (आरआरबी)

रेलवे बोर्ड, कमरा सं0 457

रेल भवन, नई दिल्ली

विषय : रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित सीबीटी परीक्षाओं में अनियमितता होने की संभावना।

रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित केन्द्रीय रोजगार अधिसूचना सं0 01/2019 के अन्तर्गत एनटीपीसी पद के लिए RRB/Patna, RRB/MFP & RRB/RNC के द्वारा Computer based Test कराने हेतु पटना, गया, आरा मुजफ्फरपुर, दरभंगा, धनबाद एवं हजारीबाग के परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा करायी गई।

सतर्कता जाँच के दौरान परीक्षा केन्द्रों पर तैनात पर्यवेक्षक उसी केन्द्र/निजी संस्था के होते हैं। इनके द्वारा भी स्वयं परीक्षार्थी बन कर परीक्षा में बैठने की संभावना हो सकती है। उक्त अनियमितता होने की संभावना को रोकने के लिए निम्नलिखित निवारण किया जा सकता है :-

1. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा का संचालन कर रहे निजी संस्था के कर्मचारी परीक्षक (Invigilator) के रूप में तैनात न हों, बल्कि ECA(Examination Conducting Agency) के कर्मचारी परीक्षक के रूप में तैनात हो। रेलवे ऑब्जर्वर एवं रेलवे सुपरवाइजर के द्वारा इन परीक्षकों (Invigilator) के पहचान पत्र की जाँच सुनिश्चित की जाए।
2. परीक्षा केन्द्र में लैब के अंदर ECA द्वारा नामित परीक्षक (Invigilator), रेलवे ऑब्जर्वर, रेलवे सुपरवाइजर एवं परीक्षार्थियों के अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यक्ति उपस्थित न रहे।
3. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों के प्रवेश से पूर्व परीक्षा केन्द्र का भलीभांति जाँच वहाँ उपस्थित रेलवे के पर्यवेक्षक (Railway observer) के द्वारा किया जाना चाहिए।
4. परीक्षा केन्द्र पर तैनात ECA(Examination Conducting Agency) के परीक्षकों का साप्ताहिक स्थानांतरण किसी अन्य केन्द्र पर यादृच्छिक (Random) तरीके से किया जाए। यह स्थानांतरण अध्यक्ष/रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जाए।

उपरोक्त प्रणाली सुधार सुझाव को प्रभावी बनाने की दिशा में कृपया यथोचित दिशानिर्देश जारी करें। जारी किए गये निर्देश की एक प्रति कृपया इस कार्यालय को सूचना और रिकॉर्ड के लिए भेजी जाए।

उक्त पर वरिष्ठ उप महाप्रबंधक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

(उज्ज्वल आनंद)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/लेखा एवं कार्मिक
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

- प्रतिलिपि :
1. कार्यकारी निदेशक सतर्कता (लेखा)/रेलवे बोर्ड/नई दिल्ली
 2. अध्यक्ष, रेलवे भर्ती बोर्ड/महेन्द्रघाट, पटना।

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/लेखा एवं कार्मिक
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 16/2021

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक – 21.12.2021

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर।

विषय : सतर्कता विभाग द्वारा जारी आरोप पत्र निगत कराने के संबंध में ।

पूर्व मध्य रेलवे के एक मण्डल में निवारक जाँच के दौरान पाया गया कि सतर्कता विभाग द्वारा जारी किया गया आरोप पत्र संबंधित दंडित कर्मचारी को निर्धारित अवधि में निर्गत नहीं हो सका एवं वह रेल सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्त हो गया। इस मामले में ऐसा देखा गया कि आरोप पत्र निर्बंधित डाक द्वारा प्राप्त किया गया था। प्राप्ति लिपिक द्वारा इसको ई-ऑफिस पर अपलोड कर एक उच्च अधिकारी के ई-ऑफिस आई-डी पर भेज दिया गया। इस आरोप पत्र को उस उच्च अधिकारी के ई-ऑफिस आई-डी पर बिना किसी कारवाई के लंबे समय तक लंबित रखा गया। बाद में इसको कार्मिक विभाग के माध्यम से नहीं भेजा गया। इसी बीच संबंधित कार्मिक द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्राप्त कर लिया गया। अतः सतर्कता विभाग द्वारा जारी आरोप पत्र को संबंधित कर्मियों को प्रदान नहीं किया जा सका।

अतः भविष्य में उक्त घटना कि पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निम्न प्रक्रिया अपनाया जा सकता है :-

1. सभी उप मुख्य सतर्कता अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि सतर्कता विभाग द्वारा जारी आरोप पत्र केवल विशेष पत्रवाहक द्वारा संबंधित इकाई को निर्गत किया जाए। कार्मिक विभाग का यह दायित्व होगा कि इसको मण्डल रेल प्रबन्धक एवं शाखाध्यक्ष के संज्ञान में लाये एवं इसका निष्पादन करवाये।
2. इस मामले में यह भी पाया गया है कि कार्मिक विभाग द्वारा स्वयं अपने पास मौजूद दस्तावेजों के आधार पर बिना सतर्कता विभाग से संपर्क किए भी विजलेंस क्लीयरेंस जारी किया जा रहा है। यद्यपि सतर्कता विभाग द्वारा ही विजलेंस क्लीयरेंस जारी किया जाना उचित है, किन्तु यदि बड़ी संख्या में विजलेंस क्लीयरेंस के लिए सतर्कता विभाग को भेजना व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता है, तो कार्मिक विभाग द्वारा स्वयं अपने पास मौजूद दस्तावेजों के आधार पर विजलेंस क्लीयरेंस जारी करने की प्रक्रिया को केवल उन मामले में अपनाया जा सकता है, जिनका संबंध पदोन्नति, MACP, आंतरिक स्थानांतरण इत्यादि से हो। किन्तु उन मामलों में जहाँ रेलकर्मियों रेल सेवा से बाहर जा रहा हो अथवा रेल सेवा से उसका संबंध विच्छेद हो रहा हो यथा अधिवार्षिता, स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति, प्रतिनियुक्ति, तकनीकी सेवा विमुक्ति की स्थिति इत्यादि, सतर्कता विभाग से ही विजलेंस क्लीयरेंस प्राप्त किया जाना चाहिए।

कृपया उक्त के संबंध में उपयुक्त दिशानिर्देश से संबंधित प्रणाली सुधार पत्र जारी किया जाये जिसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी निर्गत किया जाए। उक्त पर वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक/पूमरे/हाजीपुर का अनुमोदन प्राप्त है।

(उज्ज्वल आनंद)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/लेखा एवं कार्मिक
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 31/2012

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.—ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक — 14.12.2012

प्रमुख मुख्य इंजीनियर
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर ।

विषय : एक ही शहर और उसके आस-पास एक से अधिक ओईएम के प्राधिकृत डीलर होने की स्थिति में — वार्षिक अनुरक्षण करार ।

सतर्कता जाँच के एक मामले में, महाप्रबंधक/पूमरे ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ की है :—

सार्वजनिक क्रय प्रणाली में, निविदा आमंत्रित करने के लिए खुली और पारदर्शी प्रणाली का होना वांछनीय है। यद्यपि, विशिष्ट कार्य जैसे डीजी सेट की मरम्मत, स्पेयर पार्ट्स की गुणवत्ता, अनुरक्षण करने की त्वरित और गुणवत्तापूर्ण सेवा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इस प्रकार ओईएम अथवा ओईएम के प्राधिकृत डीलर से निविदा आमंत्रित करना वांछनीय होगा।

उस स्थिति में किसी विशिष्ट कार्य के लिए, जब उस शहर में अथवा उसके आस-पास ओईएम का एक से अधिक प्राधिकृत डीलर है तब ओईएम के इन प्राधिकृत डीलरों से विशेष सीमित निविदा आमंत्रित डीलर है तब ओईएम के इन प्राधिकृत डीलरों से विशेष सीमित निविदा आमंत्रित किए जाने से प्रतियोगिता सुनिश्चित होगी और प्राप्त दरें बाजार निर्धारित होंगी। इस प्रकार, ओईएम के प्राधिकृत डीलरों से विशेष सीमित निविदा आमंत्रित करने की प्रणाली का अनुपालन किया जाना चाहिए। यदि उस शहर अथवा उसके आस-पास ओईएम का एक मात्र प्राधिकृत डीलर है तब एकल निविदा आमंत्रित की जा सकती है।

विशेष परिस्थितियों में, जब उस शहर में अथवा उसके आस-पास ओईएम का एक से अधिक प्राधिकृत डीलर उपलब्ध हो तब भी यदि कार्यकारी विभाग ओईएम के एक प्राधिकृत डीलर से एकल निविदा आमंत्रित करना चाहता है तो निविदा स्वीकृति प्राधिकारी के द्वारा विशेष सीमित निविदा के बजाए एकल निविदा आमंत्रित किए जाने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। यदि निविदा स्वीकृति प्राधिकारी एस.ए.जी. से नीचे के स्तर का हो तब एकल निविदा आमंत्रित किए जाने के पहले एस.ए.जी. अधिकारी का अनुमोदन लिया जाना चाहिए।

अनुरोध है कि रेलवे बोर्ड/एफए एंड सीएओ के परामर्श से एस.ओ.पी. पार्ट 'ए' मद-59 में आवश्यक शुद्धि-पत्र/परिशिष्ट या अतिरिक्त नोट का समावेश किया जाय।

(बी.पी.गुप्ता)

वरिष्ठ उप महाप्रबंधक

प्रतिलिपि : उप महाप्रबंधक (सा.) :— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 10/2013

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.—ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक — 03.04.2013

मंडल रेल प्रबंधक

पूर्व मध्य रेल

सोनपुर, समस्तीपुर, दानापुर, मुगलसराय व धनबाद ।

विषय : मंडल में वरिष्ठ अधीनस्थों एवं सहायक अधिकारियों को एस.ओ.पी.
स्थापना मामले (अराजपत्रित) की प्रति उपलब्ध कराना ।

मुख्य सतर्कता आयुक्त द्वारा अग्रेषित एक शिकायत मामले की सतर्कता जाँच में यह नोट किया गया कि क्षेत्रीय कार्यालयों के इंजीनियरिंग विभाग के लिपिक व निरीक्षक इतर रेलवे में कर्मचारी बुकिंग हेतु एस.ओ.पी. के बारे में अवगत नहीं थे। एस.ओ.पी. स्थापना मामले के अनुसार इतर रेलवे में कर्मचारी बुकिंग हेतु न्यूनतम कनि. प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित है, परन्तु, सहायक अधिकारियों के अनुमोदन से कर्मचारियों की बुकिंग की जा रही है। यह एस.ओ.पी. में किये गये प्रावधान का उल्लंघन है।

स्पष्टीकरण के दौरान कर्मचारी ने बताया कि वे स्थापना मामलों में एस.ओ.पी. प्रावधान से अवगत नहीं थे।

पूमरे का एस.ओ.पी. पूमरे की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यह सलाह दी जाती है कि प्रासंगिक मामले की एक प्रति शाखा अधिकारी द्वारा मुद्रित कराकर क्षेत्र में अपने वरिष्ठ अधीनस्थों को दिये जाएँ ताकि कर्मचारी को शास्तियों तथा प्रावधानों की जानकारी हो सके एवं एस.ओ.पी. का उल्लंघन जानकारी न होने के कारण न हो सके।

कृपया उपरोक्त के संबंध में की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत करायें।

(बी.पी. गुप्ता)

वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।

प्रति :— सभी प्रधान विभागाध्यक्ष/मुख्य विभागाध्यक्ष/पूमरे को सूचनार्थ ।

**काम के निष्पादन के दौरान घटिया
सामग्री के उपयोग की अनुमति न दें।**



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 17/2014

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.—ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक — 15.04.2014

प्रमुख मुख्य इंजीनियर
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर ।

विषय : फील्ड इकाई से कार्य की मात्रा सत्यापित किए बगैर स्वीकृत कार्य के विरुद्ध निविदा बुलाया जाना ।

एक शिकायत जाँच के दौरान यह पाया गया कि सीटीआर (एस.) कार्य को बिना फील्ड इकाई से कार्य की मात्रा का विवरण प्राप्त किये मंडल स्तर से ही पीडब्ल्यूपी में शामिल कर दिया गया । इस मामले में बाद में पता चला कि पीडब्ल्यूपी में शामिल प्रस्ताव के पूर्व ही कार्य के अधिकांश भाग को विभिन्न संविदा के माध्यम से पूरा किया जा चुका था । आगे यह भी पता चला कि कार्य का विस्तृत विवरण बनाते समय और निविदा बुलाते समय निष्पादित किये जाने वाले प्रस्तावित कार्य के क्षेत्र का सत्यापन कार्य स्थल से नहीं किया गया ।

आग्रह है कि इस संबंध में प्रत्येक स्तर पर फील्ड इकाई से पूर्ण विवरण प्राप्त करने हेतु सिस्टम इम्प्रूवमेंट पत्र जारी करें जैसे— निविदा बुलाते समय और विस्तृत आकलन तथा पीडब्ल्यूपी प्रस्ताव तैयार करते समय खासकर ट्रैक नवीनीकरण कार्य के मामले में क्योंकि संरक्षा के ख्याल से इस अंतरिम अवधि में इन कार्यों के निष्पादन की हमेशा संभावना रहेगी ।

इस संबंध में सिस्टम इम्प्रूवमेंट पत्र जारी कर इस कार्यालय को भी सूचित करें ।

(जे.के.वर्मा)

वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक

**चयन में, प्रश्न पत्रों की छपाई और वितरण में
पूर्ण गोपनीयता बनाए रखें।**



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 28/2014

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.—ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक — 10.07.2014

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/उत्तर एवं दक्षिण

पूर्व मध्य रेल

महेन्द्रघाट ।

एवं

प्रमुख मुख्य इंजीनियर

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर ।

विषय : मिट्टी कार्य के लिए मूल भूमि—तल दर्ज करने के संबंध में सतर्कता संगठन को सूचित करना ।

निवेदन है कि मिट्टी कार्य के लिए कम—से—कम एक माह पूर्व मूल भूमि—तल दर्ज करने के संबंध में उप मुसताधि/इंजी. को सूचित करने के लिए वरिष्ठ मंडल इंजीनियर/ उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) को उचित निर्देश जारी किये जायें जिससे कि आवश्यक समझे जाने पर सतर्कता संगठन जाँच करा सके ।

कृपया क्षेत्र इकाइयों को जारी किये गए निर्देश की प्रति इस कार्यालय को सूचनार्थ अग्रेषित की जाए ।

(जे. के. वर्मा)

वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक

**सुनिश्चित करें कि प्रत्येक पृष्ठ पर
संबंधित अधिकारियों द्वारा निविदा तुलनात्मक विवरण और
ब्रीफिंग नोट तैयार किए गए हैं और विधिवत हस्ताक्षरित हैं।**



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 01/2015

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक - 22.01.2015

प्रमुख मुख्य इंजीनियर
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर ।

विषय : टुकड़ों में मरम्मती कार्यों के क्रियान्वयन के पहले दोषपूर्ण टाइल्स/ग्रेनाइट/कोटा स्टोन आदि की स्थिति को दर्शाते हुए सर्वेशीट का अनुमोदन ।

एक निवारक जाँच के दौरान यह देखा गया है कि जिस जगह पर टाइल्स/ग्रेनाइट/कोटा स्टोन इत्यादि को बदलना है, उस जगह का विस्तृत अभिलेख तैयार किये बिना ही दोषपूर्ण टाइल्स/ग्रेनाइट/कोटा स्टोन इत्यादि को बदलने के लिए टुकड़ों में मरम्मती कार्य किया गया है। अनुवर्ती जाँच के दौरान, पुराने और नये कार्यों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार की स्थिति में, हर अवसर पर गलत भुगतान की संभावना रहती है।

उपरोक्त के आलोक में, एक प्रणाली सुधार पत्र जारी करने हेतु अनुरोध किया जाता है कि दोषपूर्ण टाइल्स/ग्रेनाइट/कोटा स्टोन इत्यादि के टुकड़ों में मरम्मती कार्यों के क्रियान्वयन के पहले, स्थल जहाँ बदलना है दर्शाते हुए एक सर्वेशीट तैयार करना चाहिए एवं सहायक इंजी. से अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए। अनुमोदित सर्वेशीट की एक प्रति सेक्शनल मण्डल अभियंता/प्रवर मण्डल अभियंता को भी सूचनार्थ भेजा जाए।

प्रणाली सुधार हेतु जारी किये गये पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को कृपया सूचनार्थ भेजें।

(जे. के. वर्मा)

वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक

**निविदाओं में नियमित रूप से कोटेशन पर
काम नहीं करना चाहिए और निर्धारित
वार्षिक वित्तीय सीमाओं का कड़ाई से
पालन करना चाहिए।**



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 06/2016

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.—ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक — 26.10.2016

प्रमुख मुख्य इंजीनियर
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर ।

विषय : कार्य आदेश रजिस्टर का रख-रखाव ।

एक शिकायती मामले में सतर्कता जाँच के दौरान यह पाया गया कि कार्य निरीक्षक, सहा. मंडल इंजीनियर स्तर पर कम से कम पाँच-छः वर्षों के विवरण सहित कोई उचित रजिस्टर नहीं बनाया गया था, जिसमें जोनवाइज, इयरवाइज कार्य आदेश तैयार करने का विस्तृत विवरण और उच्चाधिकारियों को अग्रसारित करने हेतु भेजने अथवा सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराने हेतु दिखाया गया हो। आगे, यह भी देखा गया कि कार्यालय आदेश को भेजने/प्राप्त करने की तिथि दर्शाते हुए अधीनस्थ कार्यालयों में कोई प्रेषण/पावती रजिस्टर नहीं बना था।

ऐसी स्थिति में वहाँ कार्य आदेश की तारीख बदलने की संभावना बनी रहती है और कुछ मामलों में यह पाया भी गया तथा उचित अभिलेख नहीं होने के कारण जिम्मेदारी तय करना मुश्किल हो जाता है।

मंडल में भी कोई मानक प्रपत्र उपलब्ध नहीं है जिसमें 'एट ए ग्लॉस' जैसा अभिलेख हो जो इयरवाइज विभिन्न जोनवाइज हो जो कार्य आदेश को तैयार करने/स्वीकृत कराने और उसके प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण हो। मंडल कार्यालयों के लिए एक प्रारूप प्रपत्र संलग्न किया जा रहा है। ठीक वैसा ही प्रपत्र कार्य निरीक्षक/समई के कार्यालय में रजिस्टर के रूप में बनाये रखा जा सकता है।

एक सिस्टम इम्प्रूवमेन्ट पत्र, मानक प्रारूप देते हुए जारी करने का अनुरोध किया जाता है जिसमें रजिस्टर पर जोनवाइज, इयरवाइज कार्य आदेश प्राप्त करने/स्वीकृत करने/बिल करने आदि का विस्तृत विवरण अंकित करते हुए और कार्य आदेश को भेजने एवं प्राप्त करने की तिथि दर्ज हो, मंडल कार्यालय में तथा कार्य निरीक्षक/समई कार्यालय में भी बनाये रखा जाय और अधीनस्थ इकाइयों को यथाशीघ्र लागू करने को कहा जाय, जैसा कि ऊपर परिकल्पना की गयी है।

इस तरह के जारी सिस्टम इम्प्रूवमेन्ट की एक प्रति कृपया इस कार्यालय को सूचनार्थ भेजा जाए।

(जे.के.सिंह)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/इंजी
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 09/2017

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.—ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक — 13.07.2017

सभी प्रधान विभागाध्यक्ष

सभी मंडल रेल प्रबंधक, पूर्व मध्य रेल ।

मुप्रअधि/जीइएलएफ/मधेपुरा

5वीं मंजिल, विस्कोमान टावर, पटना ।

विषय : फाइलों/अभिलेखों का उचित रख-रखाव एवं अनुरक्षण ।

एक मामले की जाँच के दौरान, यह पाया गया कि संविदा के क्रियान्वन की फाइल का उचित रूप से रख-रखाव नहीं किया गया था, जैसे कि फाइल के ऊपर के कवर पृष्ठ पर फाइल संख्या, कार्य का नाम आदि का उल्लेख नहीं किया गया था और यहाँ तक कि फाइल का नोटिंग पृष्ठ भी उपलब्ध नहीं था, जिसके द्वारा फाइल को उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा, कोई केन्द्रीकृत प्राप्ति/प्रेषण रजिस्टर नहीं था, जिसमें फाइलों/पत्रों का परिचालन देखा जा सके। ऐसी स्थिति में यह तय करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वास्तव में पत्रों को कब प्राप्त/प्रेषित किया गया या फाइलों को प्रस्तुत किया गया था।

इसलिए अनुरोध किया जाता है कि स्पष्ट निर्देश देते हुए एक सिस्टम इम्प्लूमेंट पत्र जारी किया जाए कि सभी फाइलों का अनुरक्षण उचित रूप से रखा जाए।

इस तरह के जारी सिस्टम इम्प्लूमेंट की एक प्रति इसके कार्यान्वयन सहित कृपया इस कार्यालय को भी सूचनार्थ भेजा जाए।

इस संबंध में पहले ही एक पत्र सचिव, महाप्रबंधक/पूर्व मध्य रेल/हाजीपुर के पत्र सं. ई.सी.आर./एडीएम/एसइसी/मिस./पीटी./2016, 26 सितम्बर 2016 द्वारा परिपत्रित किया गया है, जिसकी प्रति सुलभ संदर्भ के लिए इसके साथ संलग्न है।

(जे.के.सिंह)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/इंजी
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

**जहाँ तक संभव हो
प्रतिस्पर्धी टेंडरिंग प्रणाली को अपनाना चाहिए
जैसे कि ओपन टेंडर और बुलेटिन टेंडर में होता है।**



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 15/2017

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक - 28.11.2017

प्रमुख मुख्य इंजीनियर

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर ।

विषय : निविदा अनुसूची को अनुमोदित नक्शा के अनुसार बनाने के संबंध में प्रणाली सुधार हेतु।

सीमित ऊँचाई सबवे (1 x 5.0 मी० स्पैन सेगमेंटल बॉक्स) प्रदान करके किऊल-गया अनुभाग के कि०मी० 46/09-47/01 पर मानव रहित फाटक संख्या 19 सी के उन्मूलन के लिए काम की गुणवत्ता और मात्रा के संबंध में निवारक जाँच के दौरान यह देखा गया है कि सेगमेंटल बॉक्स के लिए निविदा अनुसूची ग्रेड एम-30 कंक्रीट का उपयोग करके तैयार की गई थी। लेकिन बॉक्स के निर्माण के लिए अनुमोदित नक्शा में ग्रेड एम-35 कंक्रीट का उल्लेख किया गया है। हालांकि बॉक्स का निर्माण टेंडर शेड्यूल में संशोधन किए बिना साइट पर ग्रेड एम-35 कंक्रीट उपयोग करके बनाया गया था और ग्रेड एम-30 कंक्रीट के लिए भुगतान किया गया था।

इसलिए भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अनुमोदित नक्शा के अनुसार निविदा अनुसूची तैयार करने के लिए संबंधित इकाई को उचित निर्देश जारी किया जाए।

जारी किए गए निर्देश की एक प्रति सूचना और रिकॉर्ड के लिए इस कार्यालय को भेजा जाए।

(जे.के.सिंह)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/इंजी
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

**इंडेंट की मात्रा को मंजूरी देते समय सुनिश्चित करें कि
मात्रा न्यूनतम और वास्तविक आवश्यकता के अनुसार है।**



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 01/2019

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक - 03.01.2019

प्रमुख मुख्य इंजीनियर

पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/नि०/दक्षिण एवं उत्तर

पूर्व मध्य रेल, महेन्द्रघाट, पटना।

विषय : स्वीकृत ड्राइंग के अनुसार निर्माण-कार्य का निष्पादन तथा कार्य-निष्पादन से पूर्व स्वीकृत ड्राइंग में परिवर्तन के अनुमोदन के संबंध में प्रणाली-सुधार।

सतर्कता विभाग द्वारा एक पुल को जैकेटिंग द्वारा सुदृढ़ करने के संबंध में निवारक जाँच के दौरान यह देखा गया है कि फील्ड कर्मचारियों ने स्वीकृत ड्राइंग का अनुसरण नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप किये गये कार्य में भिन्नता पायी गई। कार्य को स्थल आदेश-पुस्तिका में खींचे गए रेखाचित्र के आधार पर निष्पादित किया गया, न कि उपलब्ध स्वीकृत ड्राइंग के अनुसार अर्थात् स्वीकृत ड्राइंग में किये गये परिवर्तनों के पूर्व अनुमोदन लिए बगैर। कार्य-क्षेत्र भी बिना पूर्व अनुमोदन के संशोधित किया गया था। इस संदर्भ में जब सतर्कता विभाग द्वारा मामले को उठाया गया, तो बाद में स्वीकृत ड्राइंग में परिवर्तन की प्रक्रिया की गई और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे अनुमोदित कराया गया।

अतएव, उपर्युक्त को देखते हुए यह अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में केवल स्वीकृत ड्राइंग के आधार पर कार्य-निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए फील्ड इकाइयों को उपयुक्त निर्देश जारी किया जाए और किसी अंतर के होने पर स्वीकृत ड्राइंग में परिवर्तनों के संबंध में अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी से कार्य-निष्पादन के पूर्व प्राप्त किया जाए। इसे सभी संबंधित वरिष्ठ मंडल इंजीनियरों/उप मुख्य इंजीनियरों (नि०) द्वारा अवश्य सुनिश्चित कराया जाना चाहिए। इसके अलावा, ड्राइंग तैयार करने के लिए केवल वास्तविक स्थल-ब्यौरे पर आधारित फील्ड आकड़ों के संग्रहित करने पर पर्याप्त बल दिया जाना चाहिए और तदनुसार ड्राइंग तैयार किये जाने चाहिए ताकि भविष्य में परिवर्तनों से बचा जा सके। ड्राइंग के निर्माण में भारतीय रेल कार्य मैनुअल के अध्याय IX का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

जारी किए गए निर्देश की एक प्रति इस कार्यालय को सूचना एवं अभिलेख हेतु भेजी जाए।

(सौरभ मिश्र)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (इंजी)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 07/2019

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक - 22.02.2019

प्रमुइं, प्रमुसिदूइं, प्रमुविइं, प्रमुयांइं

पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / नि० / दक्षिण एवं उत्तर

पूर्व मध्य रेल, महेन्द्रघाट, पटना।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / आरडब्ल्यूपी / बेला,

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / जीएलपी / दीघा / पटना।

विषय : न्यूनतम पात्रता मापदंड के रूप में असामान्य / विशेष शर्त जोड़ने के संबंध में प्रणाली-सुधार।

एक निविदा के मामले में सतर्कता विभाग द्वारा निवारक जाँच के दौरान यह पाया गया है कि बिना वित्त-सहमति एवं सक्षम प्राधिकारी के पूर्व-अनुमोदन के एक असामान्य / विशेष शर्त न्यूनतम पात्रता मापदंड के भाग के रूप में जोड़ी गई थी जिससे उस विशेष निविदा में भागीदारी कम हो गई। ऐसे मामलों के लिए प्रधान विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित समान प्रकृति के कार्य की सूची से यह एक बदलाव / संशोधन था और इंजीनियरिंग संहिता के पैरा-1222 का उल्लंघन भी था।

उपर्युक्त को देखते हुए यह अनुरोध है कि इस संबंध में सभी फील्ड इकाइयों को उपयुक्त दिशा-निर्देश जारी किया जाए।

जारी किए गए दिशा-निर्देश की एक प्रति इस कार्यालय को सूचना एवं अभिलेख हेतु भेजी जाए।

(सौरभ मिश्र)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (इंजी)

कृते महाप्रबंधक / सतर्कता

“मैं दृढ़ता से महसूस करता हूँ कि देश के
भ्रष्टाचार मुक्त होने और सुन्दर मस्तिष्कों का
राष्ट्र बनने के लिए तीन मुख्य सामाजिक सदस्य हैं
जो कि बदलाव लेकर आ सकते हैं,
और वे हैं... माता, पिता और शिक्षक

— ए.पी.जे. अब्दुल कलाम



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 14/2019

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक - 29.03.2019

प्रमुख मुख्य इंजीनियर
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर।

विषय : रेल-पथ कार्य-निष्पादन के दौरान तैयार की गई कार्य पंजिकाओं (लॉगबुक) के समुचित अनुरक्षण एवं अद्यतन करने तथा विशिष्टियों के अनुसार सही क्रम सुनिश्चित करते हुए रेलपथ कार्य के निष्पादन के संबंध में प्रणाली-सुधार।

रेलपथ कार्यस्थल पर सतर्कता संगठन द्वारा किए गए निवारक जाँच के दौरान यह देखा गया है कि फील्ड कर्मचारी सही तरीके से कार्य पंजिकाओं (लॉगबुक) / अभिलेख में कार्य-प्रगति को दर्ज नहीं कर रहे हैं और उन्हें अद्यतन भी नहीं रख रहे हैं। इसके अलावा, विशिष्टियों के अनुसार कार्यकलापों के सही क्रम को सुनिश्चित करते हुए कार्यों का निष्पादन भी नहीं किया जा रहा है।

अतएव, अनुरोध है कि रेल पथ निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु कार्य पंजिकाओं (लॉगबुक) के समुचित अनुरक्षण एवं देख-रेख सुनिश्चित करने तथा विशिष्टियों के अनुसार कार्यकलापों के सही क्रम को सुनिश्चित करते हुए कार्य-निष्पादन करने हेतु कृपया फील्ड इकाइयों को इस संबंध में उपयुक्त निर्देश जारी किया जाए।

जारी किए गए निर्देश की एक प्रति इस कार्यालय को सूचना एवं अभिलेख हेतु भेजी जाए।

(सौरभ मिश्र)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (इंजी)
कृते महाप्रबंधक / सतर्कता

**यह भ्रष्टाचार है देश के पतन का कारण,
खत्म करने के लिए करे निवारण।**



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 15/2019

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक – 03.04.2019

प्रमुख मुख्य इंजीनियर
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर।

विषय : सकल सिविल संविदा टर्नओवर प्रमाण पत्रों के संबंध में प्रणाली-सुधार।

एक निविदा मामले की जाँच के दौरान यह देखा गया है कि पूर्व मध्य रेल के एक मंडल में 03 माह की समय अवधि में संबंधित सेक्शन के मंडल इंजीनियर/वरिष्ठ मंडल इंजीनियर द्वारा एक ही फर्म के लिए समान वित्त वर्ष के लिए सकल सिविल संविदा टर्नओवर के संबंध में दो विभिन्न प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। दोनों प्रमाण पत्रों में विभिन्न वर्षवार रकम दिखाए गए थे। यह पाया गया कि विशिष्ट निविदा मामले में पात्रता मापदंड के लिए निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों पर आधारित ये सकल सिविल संविदा टर्नओवर प्रमाण पत्र तैयार किए गए थे, न कि मंडल में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर।

अतएव, अनुरोध है कि सकल सिविल संविदा टर्नओवर प्रमाण पत्रों को जारी करने के संबंध में उपयुक्त निर्देश जारी किए जाएँ।

जारी किए गए निर्देश की एक प्रति इस कार्यालय को सूचना एवं अभिलेख हेतु भेजी जाएँ।

(सौरभ मिश्र)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (इंजी)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

आओ हम एक उम्मीद बनें, भ्रष्टाचार को दूर करें।



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 16/2019

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक - 29.04.2019

प्रमुख मुख्य इंजीनियर

पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/नि०/दक्षिण एवं उत्तर

पूर्व मध्य रेल, महेन्द्रघाट, पटना।

विषय : पेवर ब्लॉकों एवं चेकर्ड टाइलों पर अंकन/मार्किंग के संबंध में प्रणाली-सुधार।

एक स्टेशन पर सतर्कता विभाग द्वारा की गई निवारक जाँच के दौरान यह पाया गया कि स्टेशन के परिचालन क्षेत्र में तथा प्लेटफार्म पर लगाए गए पेवर ब्लॉकों एवं चेकर्ड टाइल्स पर कोई अंकन नहीं किया गया है। उपर्युक्त को देखते हुए यह अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में सभी फील्ड इकाइयों को यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त निर्देश जारी किया जाए कि नीचे दिए गए खण्डों/विशिष्टियों के अनुसार पेवर ब्लॉकों एवं चेकर्ड टाइलों पर समुचित अंकन सुनिश्चित की जाए।

- (1) चेकर्ड टाइल्स – कार्य एवं सामग्री – 2010 के लिए एकीकृत मानक विशिष्टियों के अध्याय-9 के मद 9.12 का खण्ड-12
- (2) पेवर ब्लॉक – आईएस 15658:2006 का खण्ड 10

जारी किए गए निर्देश की एक प्रति इस कार्यालय को सूचना एवं अभिलेख हेतु भेजी जाए।

(सौरभ मिश्र)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (इंजी)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

भ्रष्टाचार को अगर भगाना है, हर नागरिक को आगे आना है।



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 17/2019

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक - 02.05.2019

प्रमुख मुख्य इंजीनियर

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/नि०/दक्षिण एवं उत्तर

पूर्व मध्य रेल

महेन्द्रघाट, पटना।

विषय : स्वीकृत नक्शा के अनुसार निविदा अनुसूची तैयार करना एवं परीक्षण अभिलेख के उचित रख-रखाव के संबंध में प्रणाली-सुधार।

सीमित ऊँचाई के 1 x 5.00 मी. स्पैन सेगमेंटल बॉक्स, जिसमें प्रीकास्ट सेगमेंटल बॉक्स एवं प्रीकास्ट स्लैब दोनों स्थल पर ढाले गए थे, निर्मित कर मानवरहित समपार को समाप्त कर देने के लिए किये जा रहे निर्माण-कार्य की सतर्कता विभाग द्वारा की गई निवारक जाँच के दौरान यह पाया गया कि अनुमोदित जीएडी के अनुसार क्रमशः बॉक्स, आरसीसी रिटेनिंग (पुरता) दीवार व एप्रोच स्लैब तथा वियरिंग कोर्स आरसीसी बेस स्लैब के लिए एम-35 (नियंत्रित), एम-30 तथा एम-25 ग्रेड के कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन इसके लिए कार्य-अनुसूची में आवश्यक मदों को उपलब्ध नहीं कराया गया था। इस तरह की घटना से बचने के लिए निविदा अनुसूची में मदों को स्वीकृत नक्शा के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। कंक्रीट की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किए गए क्यूब परीक्षण के आवश्यक अभिलेख भी जाँच के दौरान गायब पाए गए।

उपर्युक्त को देखते हुए यह अनुरोध है कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति से बचने के लिए निविदा अनुसूची को स्वीकृत नक्शा के अनुसार तैयार करने के संबंध में फील्ड इकाइयों को उपयुक्त निर्देश जारी किया जाए। निर्माण कार्य के गुणवत्ता नियंत्रण हेतु आवश्यक परीक्षण किए जाने तथा उन अभिलेखों को समुचित रूप से सुरक्षित करने के लिए उन्हें निर्देश भी दिया जाए।

जारी किए गए निर्देश की एक प्रति इस कार्यालय को सूचना एवं अभिलेख हेतु भेजी जाए।

(सौरभ मिश्र)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (इंजी)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 21/2019

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक – 15.07.2019

प्रमुख मुख्य इंजीनियर
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर।

विषय : मछियारी अधिकार के लिए निविदा दस्तावेजों एवं संविदा/ठेका दस्तावेजों के संबंध में प्रणाली-सुधार।

एक मामले की जाँच के दौरान, यह पाया गया कि मंडल द्वारा विभिन्न सेक्शन (खंड) के मछियारी अधिकार के लाइसेंस के लिए निविदाएँ आमंत्रित की गईं। किन्तु, निविदा दस्तावेज को उचित रूप से तैयार नहीं किया गया था, जिसके कारण कार्यपालक द्वारा कई चूक/अनियमितताएँ हो गईं। संविदा करार भी सही नहीं था, इसलिए रेलवे के हित सुरक्षित नहीं थे।

उपर्युक्त को देखते हुए यह अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में उपयुक्त निर्देश यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किया जाए कि मछियारी अधिकार के लिए निविदा दस्तावेजों तथा संविदा करार को वर्तमान दिशा-निर्देशों और नियमों के अनुसार समुचित रूप से बनाकर मंडलों में मानकीकृत कर दिया गया है।

जारी किए गए निर्देश की एक प्रति इस कार्यालय को सूचना एवं अभिलेख हेतु भेजी जाए।

(सौरभ मिश्र)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (इंजी)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

देश की उन्नति को आगे बढ़ाये, देश को भ्रष्टाचार से बचाएँ।



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 23/2019

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50
प्रमुख मुख्य इंजीनियर
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर।

दिनांक – 02.08.2019

विषय : सभी क्षेत्रीय कार्यों को फाइनल बन्द करने के संबंध में प्रणाली-सुधार।

एक केस के जाँच में यह पाया गया कि क्षेत्रीय संविदाओं (कार्य पूरा करने का समय 30 जून) का अन्तिम बिल समय से नहीं बनाया गया। ऐसा पाया गया कि बिल जनवरी-फरवरी माह में तैयार किया गया है अर्थात् कार्य पूरा होने से 6 से 7 माह बाद, जो एक खराब प्रचलन है। जहाँ कही कार्य के क्रियान्वयन में संवेदक विफल हो गया, उनमें भी समय से निल बिल तैयार नहीं किया गया जो मण्डल स्तर पर घटिया संविदा प्रबंधन दर्शाता है। चूँकि क्षेत्रीय कार्यों के लिए समय सीमा निर्धारित है (कार्य पूरा करने का समय प्रत्येक वर्ष 30 जून तक), इसलिए नये क्षेत्रीय कार्य शुरू करने से पहले शिकायत से बचने एवं पारदर्शिता बढ़ाने हेतु पूर्व के क्षेत्रीय कार्यों का समापन होना आवश्यक है।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में आग्रह है कि क्षेत्रीय बिल तैयार करने (निल बिल एवं अन्तिम बिल) और समय से क्षेत्रीय कार्यों को फाइनल करने एवं बन्द करने संबंधी एस.आई.एल जारी करें।

जारी किए गए निर्देश की एक प्रति इस कार्यालय को सूचना एवं अभिलेख हेतु भेजी जाए।

(सौरभ मिश्र)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (इंजी)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

भ्रष्टाचार जड़ से मिटाना है, देश को तरक्की के पथ पर आगे बढ़ाना है।



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 01/2020

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक - 21.01.2020

पीसीईई, पीसीई, पीसीएसटीई, पीसीएमई,
पीएफए, पीसीओएम, पीसीसीएम
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।
सीएओ / कॉन / दक्षिण एवं उत्तर
पूमरे / महेन्द्रघाट, पटना।
सीएओ / आरडब्ल्यूपी / बेला।

विषय : जी.सी.सी. के अनुसार मूल्य परिवर्तन खंड के नकारात्मक पक्ष के
अनुपालन के संबंध में प्रणाली सुधार।

एक कार्य निविदा मामले की जांच के दौरान यह देखा गया है कि जी.सी.सी. के अनुसार मूल्य भिन्नता लागू नहीं की जा रही है। जिसके कारण ठेकेदारों को अतिरिक्त भुगतान किया गया है। इस तथ्य के बारे में जागरूकता के बावजूद भी जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद वस्तुओं की सामान्य कीमत कम हो गई। जी.सी.सी. के अनुसार राशि की कटौती उन निविदाओं के लिए रेलवे इकाई द्वारा नहीं की गई है, जिनका भुगतान जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद किया गया है। यह पीवीसी के संबंध में अनुबंध की सामान्य स्थिति का निरीक्षण करने में एक व्यवस्थित विफलता है।

इसलिए, उन निविदाओं के लिए पीवीसी क्लॉज लागू करने और जी.सी.सी. के अनुसार वसूली के लिए उपयुक्त दिशा-निर्देश जारी करने की सलाह दी जाती है। जिसमें जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद बिल का भुगतान किया गया है और पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिनों के अन्दर इस कार्यालय को भेजी जा सकती है।

इसे अत्यावश्यक समझा जाए।

(नीरज अग्रवाल)

वरिष्ठ उप महाप्रबंधक

न पैसे ले और न पैसे दे, भ्रष्टाचार दूर भगाने में अपना पूरा योगदान दे।



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 02/2020

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक – 23.01.2020

प्रमुख मुख्य इंजीनियर
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर।

विषय : संविदागत श्रमिक एवं विभागीय कर्मचारी द्वारा साइट पर
एक साथ कार्य किए जाने के संबंध में प्रणाली-सुधार।

एक मामले की जाँच की दौरान, यह देखा गया है कि संविदागत कार्य स्थल पर/के समीप यातायात ब्लॉकों में विभागीय निर्माण कार्य सही योजना बनाकर निष्पादित नहीं किये जा रहे हैं। एक कार्य स्थल पर यह देखा गया कि विभागीय कर्मचारी द्वारा स्लीपर सं.3 (मोटर स्लीपर) के बदलने का कार्य किया जा रहा था लेकिन वे ब्लॉक अवधि के दौरान सफलतापूर्वक कार्य पूरा करने में असमर्थ थे। इसलिए ब्लॉक अवधि में कार्य को पूरा करने के लिए कुछ संविदागत श्रमिकों को स्लीपर बदलने के कार्य हेतु लगाया गया तथा ब्लॉक के बस्टिंग से बचने के लिए विभागीय कर्मचारी को ग्लूइड रेल के बदलने के संविदा कार्य में लगाया गया जो उचित नहीं है।

उपर्युक्त को देखते हुए यह अनुरोध है कि उपर्युक्त के संबंध में एक प्रणाली सुधार पत्र जारी करने की कृपा करें जिससे संविदागत एवं विभागीय कर्मचारी का घाल-मेल न हो।

जारी किये गये निर्देश की एक प्रति इस कार्यालय को सूचना एवं अभिलेख हेतु भेजी जाए।

(सौरभ मिश्र)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (इंजी)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

“पुस्तकें वे साधन हैं जिनके माध्यम से
हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच
पुल का निर्माण कर सकते हैं।”

— सर्वपल्ली राधा कृष्णन



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 04/2020

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक — 11.02.2020

प्रमुख मुख्य इंजीनियर
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर।

विषय : टीबीएम के नियतन के संबंध में प्रणाली-सुधार।

एक मामले की जाँच के दौरान, यह संज्ञान में आया है कि निर्माण कार्य के निष्पादन के दौरान, अधिकांश टीबीएम को मध्य लाइन पिलर पर नियत किया गया जिसके कार्य-निष्पादन के दौरान गड़बड़ होने की संभावना थी। इंजीनियरी कोड पैरा 438 एवं 43 में स्पष्ट रूप से बताया गया है, “लाइन की बगल में तथा महत्वपूर्ण पुलों की साइटों पर बेंच मार्क एक किलोमीटर के अंतराल पर रहने दिया जाए। प्रत्येक मामले में किसी बेंच मार्क के लिए चयन की गई स्थिति ऐसी हो कि इसे निर्माण के दौरान सुविधाजनक तरीके से निर्दिष्ट किया जा सकता हो और उसी समय इसके साथ निर्माण की प्रगति के दौरान हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता हो। बेंच मार्क इस प्रकार या निर्माण के हों कि इसे शीघ्र हटाया न जा सके अथवा दुर्घटना अथवा उत्पात से क्षतिग्रस्त न हो सके। सभी बेंच मार्क इस प्रकार रखे जाएं तथा चिन्हित किये जायें कि आसानी से उसकी पहचान की जा सके और उनके सही विवरण और लोकेशन दर्ज किये जायें।”

उपर्युक्त को देखते हुए यह अनुरोध है कि निर्माण कार्य के निष्पादन के दौरान टीबीएम के नियतन के संबंध में एक प्रणाली सुधार सुधार पत्र जारी करने की कृपा करें।

(सौरभ मिश्र)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (इंजी)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

डीटीसी बुक और अन्य स्टेशन रिकॉर्ड में ओवराइटिंग और परिवर्तन से बचें।



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 05/2020

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक - 05.03.2020

पीसीईई, पीसीई, पीसीएसटीई, पीसीएमई,
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।

सीएओ / कॉन / दक्षिण एवं उत्तर,
पूमरे / महेन्द्रघाट, पटना।

सीडब्ल्यूएम / एचआरटी,
सीएओ / आरडब्ल्यूपी / बेला।

विषय : कार्य निविदा को अंतिम रूप देने के बारे में प्रणाली सुधार।

एक कार्य निविदा मामले की जांच के दौरान निविदाओं को अंतिम रूप देने में कुछ प्रक्रियात्मक अनियमितताएं पाई गई हैं, जो इस प्रकार हैं:-

- (i) निविदा दस्तावेज को सक्षम प्राधिकारी द्वारा नोटिंग के माध्यम से अनुमोदित नहीं किया गया था।
- (ii) टीसी कार्यवाही में प्रस्तुत विलेख की प्रामाणिकता की जांच नहीं की गई और
- (iii) केवल एक एलएआर (04वर्ष पुराने) के संदर्भ में प्रति वर्ष 5% की सामान्य वृद्धि को दर में लिया गया है।

इसलिए, उपयुक्त दिशा-निर्देश जारी करने की सलाह दी जाती है, ताकि ऊपर वर्णित प्रक्रियात्मक अंतराल के रूप में कार्य निविदाओं को अंतिम रूप देने के दौरान बचा जा सके। 15 दिनों के अन्दर पूरी कार्रवाई रिपोर्ट इस कार्यालय को भेजी जा सकती है।

इसे अत्यावश्यक माना जाए।

(नीरज अग्रवाल)
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 09/2020

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक - 28.04.2020

(1) प्रमुख मुख्य इंजीनियर

पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।

(2) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / दक्षिण एवं उत्तर

पूर्व मध्य रेल, महेन्द्रघाट, पटना।

विषय: आइआरडब्ल्यूएम के पैरा-720 के अनुसार वृक्ष पंजियों को तैयार करने एवं आइआरडब्ल्यूएम के पैरा-715 के अनुसार दृश्य बाधित करने वाले वृक्षों की कटाई तथा निर्माण परियोजनाओं के लिए सेक्शन सुपुर्द करने के समय चालू लाइन एवं निर्माण के बीच वृक्षों सहित सभी परिसम्पत्तियों के सही आदान-प्रदान के संबंध में प्रणाली-सुधार।

एक मामले की जाँच के दौरान, यह पाया गया कि आइआरडब्ल्यूएम के पैरा-720 के अनुसार वृक्ष पंजियों नहीं रखी जा रही हैं। यह भी पाया गया कि तिथि, कर्मचारियों के हस्ताक्षर, वृक्षों का क्रमांकन वृक्ष पंजी में उपलब्ध नहीं थे। आगे, संयुक्त जाँच में यह भी पाया गया कि निर्माण परियोजनाओं के लिए सेक्शन सुपुर्द करने के समय चालू लाइन एवं निर्माण संगठन के बीच वृक्षों सहित सभी परिसम्पत्तियों का ठीक से आदान-प्रदान नहीं किया गया।

आइआरडब्ल्यूएम के पैरा-720 के अनुसार प्रत्येक वर्ष उत्तरजीवी वृक्षों का एक सर्वे उस वर्ष के लिए किया जाना चाहिए तथा नीचे दिये गये प्रोफार्मा में तत्संबंधी जानकारी दी जानी चाहिए।

वृक्षों के लोकेशन	वृक्षों के प्रकार	50सेमी. घेरे से अधिक वाले वृक्षों की सं.	15सेमी. से 50सेमी. घेरे तक के वृक्ष	बाल वृक्ष जिन्हें सुरक्षा चाहिए	कुल	टिप्पणी
I	II	III	IV	V	VI	VII

उपर्युक्त सूचना प्रभारी सेक्शन इंजीनियर (कार्य/रेल पथ) द्वारा इस प्रयोजन हेतु एकत्रित कर उसकी प्रविष्टि वृक्ष पंजी में की जानी चाहिए। लगाए गये, काटे गये तथा नष्ट हुए वृक्षों की सं. से संबंधित सूचना को किसी अन्य पंजी में रखा जाना है। प्रत्येक वर्ष एक समेकित सूचना रेलवे बोर्ड को 30 अप्रैल तक भेजा जाना अपेक्षित है। ऐसे वृक्ष जो किसी ट्रेन से सिग्नलों, लेवल क्रॉसिंग अथवा कर्व के अंदर किनारे के दृश्य में बाधा पहुँचाते हों अथवा पहुँचाने वाले हों, उनकी कटाई आइआरडब्ल्यूएम के पैरा-715 के अनुसार की जानी चाहिए।

इस प्रकार, फील्ड में निम्नलिखित बातें सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है:-

- आइआरडब्ल्यूएम के पैरा-720 के अनुसार वृक्ष पंजी रखा जाना।
- आइआरडब्ल्यूएम के पैरा-715 के अनुसार दृश्य बाधित करने वाले वृक्षों की कटाई।
- निर्माण परियोजनाओं के लिए सेक्शन के सुपुर्द करने के समय चालू लाइन तथा निर्माण के बीच वृक्षों सहित सभी परिसम्पत्तियों का ठीक से आदान-प्रदान।

उपर्युक्त को देखते हुए यह अनुरोध है कि इस संबंध में उपयुक्त निर्देश/दिशा-निर्देश सभी फील्ड इकाइयों को जारी करने की कृपा करें। जारी किये गये निर्देश की एक प्रति इस कार्यालय को सूचना एवं अभिलेख हेतु भेजी जाए।

(सौरभ मिश्र)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (इंजी)

कृते महाप्रबंधक / सतर्कता



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 11/2020

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक — 14.07.2020

प्रमुख मुख्य इंजीनियर
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर।

विषय : अनुरक्षण प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के संबंध में प्रणाली-सुधार।

एक मामले की जाँच के दौरान यह देखा गया कि डीओसी के अंदर निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया था। अनुरक्षण अवधि के दौरान, न तो किसी कर्मचारी के द्वारा कोई खराबी पाई/दर्ज की गई और न ही सुधार हेतु एजेंसी को कोई सूचना दी गई। फील्ड कर्मचारी के द्वारा अदेयता प्रमाण-पत्र भी हस्ताक्षरित किया गया जिसके आधार पर पीजी जारी किया गया। संबंधित सहायक इंजीनियर के द्वारा मंडल को अंतिम बिल भी प्रस्तुत किया गया लेकिन अनुरक्षण प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया। जीसीसी के खंड 50(1) के अनुसार, अनुरक्षण प्रमाण-पत्र इंजीनियर द्वारा अनुरक्षण अवधि की समाप्ति पर दिया जाएगा अथवा इसके पश्चात् जैसे ही इन शर्तों के संबंध में उपखंड-2 से खंड-48 के अनुपालन में ऐसी अवधि के दौरान आदेश दिए गए किसी भी निर्माण कार्य को इंजीनियर की संतुष्टि के अनुरूप पूरा कर लिया जाएगा।

आगे अनुरक्षण अवधि की समाप्ति के छह माह के पश्चात् कुछ ऐसी खराबी जिसे ठीक से निर्धारित भी नहीं किया गया था उसे सुधार के लिए एजेंसी को सूचित किया गया और जिसके आधार पर अंतिम बिल को आज तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। संविदा को अंतिम रूप नहीं दिया जाना तथा भुगतान रोकना संविदाकारों के प्रति प्रताड़ना है। ऐसे मामले को टाला/कम किया जा सकता है जब अनुरक्षण प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के संबंध में जीसीसी के खंड 50(1) के प्रावधानों को ठीक से लागू किया जाए।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह अनुरोध है कि जीसीसी के अनुसार अनुरक्षण प्रमाण-पत्र समय पर जारी किए जाने के संबंध में एक प्रणाली सुधार पत्र जारी किया जाए।

जारी किए गए निर्देश की एक प्रति इस कार्यालय को सूचना एवं अभिलेख हेतु भेजी जाए।

(सौरभ मिश्र)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (इंजी)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 12/2020

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक — 11.08.2020

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / निर्माण / दक्षिण

पूर्व मध्य रेल

महेन्द्रघाट, पटना।

विषय : निर्माण कार्य निविदाओं में न्यूनतम पात्रता मापदंड हेतु समान प्रकृति के कार्य।

संदर्भ : रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2012/सीई-1/सीटी/ओ/5 दिनांक 09.04.2012

निविदा मामलों की जाँच के दौरान यह देखा जाता है कि निर्माण संगठन द्वारा आमंत्रित निविदाओं जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्य सम्मिलित किए गए हैं, हेतु समान प्रकृति के कार्य के लिए न्यूनतम पात्रता मापदंड को इस प्रयोजन हेतु जारी उप मुई/नि./दक्षिण के पत्र सं. ईसीआर/सीएओ/सी/डब्ल्यूटी/साउथ/टेंडर पॉलिसी 5394 दिनांक 01.11.17 में शामिल नहीं किया जाता है। यह भी देखा गया है कि रेलवे बोर्ड के पत्र के संदर्भ में निर्माण संगठन में नामित मुख्य इंजीनियर/मुसिदूई/मुविई की भूमिका स्पष्ट नहीं है।

उपर्युक्त संदर्भ (1) को ध्यान में रखते हुए आपसे अनुरोध है कि निर्माण कार्य निविदा में न्यूनतम पात्रता मापदंड हेतु समान प्रकृति के कार्य के संबंध में मामले को सरल एवं कारगर बनाया जाए ताकि अत्यधिक विवेचन और परस्पर विरोध से बचा जा सके।

जारी किए गए निर्देश की एक प्रति इस कार्यालय को सूचना एवं अभिलेख हेतु भेजी जाए।

(सौरभ मिश्र)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (इंजी)
कृते महाप्रबंधक / सतर्कता

प्रतिलिपि:

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी / निर्माण / उत्तर: इसी तरह की कार्यवाही के लिए सादर सूचनार्थ प्रेषित।



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 19/2020

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक - 23.11.2020

प्रमुख मुख्य इंजीनियर

पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/उत्तर एवं दक्षिण

पूर्व मध्य रेल, महेन्द्रघाट, पटना।

विषय : अभिलेखों एवं रिकॉर्डों के रखरखाव के संबंध में प्रणाली में सुधार।

एक मामले की जाँच के दौरान, यह देखा गया कि एक मामला विधि कार्यालय में निपटाया गया था और कानूनी राय जारी की गई थी लेकिन यह पाया गया कि कानूनी राय लेने के लिए जमा किए गए सहायक दस्तावेजों के विवरण सहित कई रिकॉर्ड विधि कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं, जो कि एक अच्छा रिवाज नहीं है। विधि कार्यालयों में कानूनी राय/सलाह के लिए निपटाए गए मामलों का रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए।

इसके अलावा, कानूनी मामले से संबंधित केस फाईल भी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण/उत्तर/महेन्द्रघाट कार्यालय के पास उपलब्ध नहीं थी क्योंकि इसे सी.बी.आई. ने जब्त कर लिया था। सभी फाइलों की डुप्लीकेट कॉपी तब रखनी चाहिए जब मूल फाइलें सी.बी.आई., सतर्कता आदि जैसे अन्य विभागों को सौंपी जाती हैं और साथ ही मूल फाइलों को वापस पाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए, कार्यालय में मानदंडों के अनुसार निपटाई गई समस्त फाइलों के अनुरक्षण एवं रखरखाव के संबंध में एक प्रणाली सुधार पत्र जारी करने का अनुरोध किया जाता है।

जारी किए गए निर्देश की एक प्रति इस कार्यालय को सूचना और रिकॉर्ड के लिए भेजी जा सकती है।

(सौरभ मिश्र)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (इंजी)

कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

प्रतिलिपि :- प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी/हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 20/2020

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक – 26.11.2020

प्रमुख मुख्य इंजीनियर
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर।

विषय : मछली पकड़ने के अधिकार की निविदा प्रक्रिया शुरू करने और निविदा आवंटन और वार्षिक लाइसेंस शुल्क समय पर जमा करने के प्रणाली सुधार के संबंध में।

एक मामले की जाँच के दौरान, यह पाया गया कि तीन वर्षों के लिए मछली पकड़ने के निविदा प्रक्रिया की शुरुआत और निविदा आवंटन, अवधि एक अप्रैल से शुरू होकर प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाली थी, समय पर नहीं की गई थी। निविदा का आवंटन 03 वर्ष की अवधि के प्रारंभ होने के 07 माह बाद नवम्बर माह में किया गया था जिसके लिए निविदा आमंत्रित की गई थी। अनुबन्ध के विशेष निबंधन एवं शर्त के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क 31 दिसम्बर तक अर्थात् कार्य वर्ष प्रारम्भ होने के 03 माह पूर्व जमा कर दिया जायेगा, ऐसा न करने पर अनुज्ञप्ति की जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी। लेकिन यह पाया गया कि वार्षिक लाइसेंस शुल्क की आवश्यक राशि जमा नहीं की जा रही है और अभी भी लाइसेंसधारी मछली पकड़ने के अधिकार का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा, यह पाया गया है कि चूक के मामले में, जमानत राशि को बहुत देर से जब्त किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप उस विशेष वर्ष के लिए कोई निविदा आमंत्रित नहीं की जा सकती है जिसमें अनुबंध की समाप्ति की जाती है। इससे लाइसेंसधारी को अनुचित लाभ होता है, जो उस विशेष वर्ष के लिए मछली पकड़ने के अधिकारों का उपयोग करना जारी रखता है जिससे रेलवे राजस्व का नुकसान होता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अनुरोध है कि कृपया इस संबंध में सभी क्षेत्रीय इकाइयों को उपयुक्त निर्देश/दिशा-निर्देश जारी किए जाए। जारी किए गए निर्देश की एक प्रति इस कार्यालय को सूचना और रिकॉर्ड के लिए भेजी जाए।

(सौरभ मिश्र)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (इंजी)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 08/2021

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक - 12.08.2021

प्रमुख मुख्य इंजीनियर

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर।

विषय : समाप्ति पत्र जारी करने के संबंध में प्रणाली सुधार पत्र।

एक सतर्कता मामले की जाँच के दौरान, यह पाया गया कि संवेदक ने काम पूरा नहीं किया और इसलिए संवेदक की बयाना राशि और सुरक्षा जमा राशि/ निष्पादन गारंटी को जब्त कर लिया गया था लेकिन सामान्य शर्त संविदा-2020 के पैरा 62 के अनुसार संविदा समाप्ति पत्र जारी नहीं किया गया था।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए कृपया एक प्रणाली सुधार पत्र जारी करने का अनुरोध किया जाता है जिसमें सामान्य शर्त संविदा-2020 के उपर्युक्त खंड के संदर्भ में कार्रवाई करने से पहले संवेदक द्वारा संविदात्मक कार्यों को पूरा नहीं करने के मामले में सभी संबंधितों को समाप्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया जाए साथ ही जारी किए गए पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को अभिलेख के लिए उपलब्ध कराने की कृपा करें।

(सुमन भारती)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/इंजी.

कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

चयन में, प्रश्न पत्रों की छपाई और वितरण में पूर्ण गोपनीयता बनाए रखें।



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 09/2021

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक – 17.08.2021

प्रमुख मुख्य इंजीनियर
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर।

विषय : रेलवे की जमीन और क्वार्टरों को बाहरी लोगों के अवैध कब्जे से खाली कराने के संबंध में व्यवस्था में सुधार।

एक मामले की जाँच के दौरान, यह पाया गया कि रेलवे की कई जमीनों और क्वार्टरों पर बाहरी लोगों का अवैध कब्जा है, जिससे रेलवे को राजस्व की हानि हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह के अतिक्रमणों को हटाने के लिए राज्य के अधिकारियों के साथ समन्वय में अधिक सुदृढ़ प्रयासों की आवश्यकता है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अनुरोध है कि इस संबंध में सभी क्षेत्रीय इकाइयों को उपयुक्त निर्देश/दिशानिर्देश जारी किए जाए ताकि रेलवे के राजस्व की हानि से बचा जा सके। जारी किए गए निर्देश की एक प्रति इस कार्यालय को सूचना और अभिलेख के लिए भेजी जाए।

(सुमन भारती)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/इंजी.
कृते महाप्रबंधक /सतर्कता

काम के निष्पादन के दौरान घटिया सामग्री के उपयोग की अनुमति न दें।



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 12/2021

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक – 16.09.2021

प्रमुख मुख्य इंजीनियर

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर।

विषय : संविदात्मक कार्य में विभिन्न मदों की मात्रा के उचित प्रारंभिक
मूल्यांकन के संबंध में प्रणाली सुधार पत्र।

एक मामले की जांच के दौरान, यह पाया गया कि एक संविदात्मक कार्य में बाद के बदलावों के कारण कार्य के लिए करारनामा मूल्य 69,51,272 /— रुपये से बढ़ाकर रु. 1,00,84,195 /— हो गया था, जो संविदा का (+) 44 प्रतिशत (उच्च पक्ष पर) था। इस तरह की भिन्नता के कारण, प्राक्कलन को संशोधित किया गया और पूरक अनुबंध बनाया गया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि कार्य के विभिन्न मदों की मात्रा का सही निर्धारण उचित ढंग से नहीं किया गया था, जिसके कारण संविदा में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ।

इसे देखते हुए, रेलवे बोर्ड का पत्र सख्यां 2013/सीई-1/सीटी/0/ 29/वीएआर दिनांक 05.03.2014 के निर्देशों का भविष्य में कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

कृपया उपरोक्त के संबंध में प्रणाली सुधार पत्र जारी करने का अनुरोध किया जाता है ताकि भविष्य में इस तरह के बृहद बदलाव से बचा जा सके।

जारी किए गए निर्देश की एक प्रति कृपया इस कार्यालय को सूचना और अभिलेख के लिए भेजी जाए।

(सुमन भारती)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/इंजी.
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 15/2021

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक – 16.12.2021

प्रमुख मुख्य इंजीनियर

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर

विषय : रेलवे कॉलोनी में सड़क कार्य के संबंध में प्रणाली सुधार पत्र।

एक मामले की जांच के दौरान, यह देखा गया है कि जोनल अनुबंध के माध्यम से निष्पादित कॉलोनी सड़क की मरम्मत के कार्य में, उच्च मूल्य की मद जैसे 50 मिमी कॉम्पैक्ट मोटार्ड (यूएसएसओआर-2012 की मद संख्या-231061), पुरानी सतह पर सतह की ड्रेसिंग (यूएसएसओआर-2012 की मद संख्या-232030) एवं 40 मिमी मोटी बिटुमैस्टिक शीट (यूएसएसओआर-2012 की मद संख्या-234020) को मंडल द्वारा संयोजन में संचालित किया गया था जो कॉलोनी सड़क के मरम्मत कार्य के लिए उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि कॉलोनी में भारी यातायात मौजूद नहीं है। इसलिए, कॉलोनी सड़क की मरम्मत के लिए, संचालित मदों को यूएसएसओआर-2012 में उपलब्ध अन्य किफायती और उचित मदों के साथ किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, कालोनी सड़क के मरम्मत कार्य के लिए मंडल में कोई मानक रेखाचित्र/स्केच उपलब्ध नहीं था।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए, रेलवे कालोनी में सड़क निर्माण कार्य के संबंध में व्यवस्था सुधार पत्र जारी करने के साथ-साथ कार्य के लिए मानक रेखांकन जारी करने का अनुरोध किया जाता है और साथ ही कालोनी सड़क की मरम्मत को किफायती रखने के लिए अनुसूची में संचालित मदों के लिए आवश्यकतानुसार निर्देश भी जारी किया जाए।

जारी किए गए निर्देश की एक प्रति इस कार्यालय को सूचना और रिकॉर्ड के लिए भेजी जाए।

(सुमन भारती)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/इंजी.

कृते महाप्रबंधक/सतर्कता



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 02/2022

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक — 11.04.2022

प्रमुख मुख्य इंजीनियर
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर

विषय : कार्यदेश में ठेकेदार के हस्ताक्षर मिलान के संबंध में प्रणाली सुधार ।

एक सतर्कता मामले की जांच के दौरान, यह पाया गया कि जोनल अनुबंध के कार्य आदेश पर साक्षी हस्ताक्षर संबंधित वरिष्ठ खंड अभियन्ता/कार्य द्वारा पाया गया था। लेकिन ठेकेदार/उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत पावर ऑफ अटॉर्नी पर किए गए हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते थे।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, कृपया एक सिस्टम सुधार पत्र जारी करने का अनुरोध किया जाता है, जिसमें सभी संबंधितों को निर्देश दिया जाता है कि जारी किए गए कार्य आदेश पर ठेकेदार/उसके प्रतिनिधि के साक्षी का हस्ताक्षर का मिलान, एजेंसी द्वारा प्रस्तुत पावर ऑफ अटॉर्नी पर किए गए हस्ताक्षर के साथ मेल खाता हो। साथ ही इसकी एक प्रति रिकार्ड के लिए इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

(सुमन भारती)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/इंजी.
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

“भ्रष्टाचार को पकड़ना बहुत कठिन काम है,
लेकिन मैं पूरे जोर के साथ कहता हूँ कि
यदि हम इस समस्या से गंभीरता और दृढ़ संकल्प के साथ
नहीं निकलते तो हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह
करने में असफल होंगे।”

— लाल बहादुर शास्त्री



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 14/2014

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.—ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक — 11.03.2014

भंडार नियंत्रक
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर ।

विषय : संयुक्त निरीक्षण के आह्वान के पश्चात् भी सामग्री का निर्गमन किया जाना ।

सामग्री की गुणवत्ता के संबंध में भंडार/डिपो/गड़हरा में एक सतर्कता जाँच के दौरान यह पाया गया कि 16 x 50 एमएम आकार के हेक्सागोनल हेड वोल्ट और नट के अनुपयुक्त होने से संबंधित शिकायत वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर/सोनपुर की ओर से डिपो को प्राप्त हुई थी। उक्त मद की आपूर्ति राइट्स/कोलकाता द्वारा पूर्व निरीक्षण किए जाने पर भंडार नियंत्रक/पूमरे के क्रयादेश के आधार पर की गई थी।

वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर/सोनपुर से शिकायत प्राप्त होने पर एक संयुक्त जाँच बुलाई गई। जाँच बुलाई जाने के बाद भी संबंधित डिपो के द्वारा सामग्री को वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर/सोनपुर के अधीन उसी परेषिती को निर्गमन किया जाता रहा था। फिर संयुक्त जाँच हुई किन्तु तब तक आपूर्ति की गई सामग्री का 50 प्रतिशत निर्गमन किया जा चुका था। संयुक्त जाँच में यह कहा गया कि चूँकि 50 प्रतिशत सामग्री का प्रयोग हो चुका है, अतः सामग्री को स्वीकार कर लिया जाए।

सामग्री के संबंध में शिकायत करने और संयुक्त जाँच बुला लिए जाने के बावजूद उसी परेषिती को सामग्री निर्गम किये जाते रहने की प्रथा अनुचित है। एक बार संयुक्त जाँच का आह्वान हो जाने के बाद सामग्री के निर्गमन को रोक दिया जाना चाहिए ताकि संयुक्त जाँच के दौरान सामग्री के निर्गमन को सामग्री की स्वीकार्यता का आधार न बनाया जाए। साथ ही इन घटिया/निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री का प्रयोग वैगन/कोच में करने के कारण चलती गाड़ियों की सुरक्षा से समझौता करना होगा।

सभी डिपो अधिकारियों को उचित निर्देश दिए जाएँ।

(महेश कुमार)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)
कृते महाप्रबंधक / सतर्कता

प्रतिलिपि : मुख्य यांत्रिक इंजीनियर/पूमरे/हाजीपुर : को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 36/2014

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.—ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक — 11.08.2014

भंडार नियंत्रक

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर ।

विषय : लीड एसिड (LA) व्हीआरएलए (VRLA) बैटरियों में निहित लीड की प्रतिशत मात्रा इंगित करने हेतु संयुक्त कार्यपद्धति आदेश (JPO) जारी करना ।

दानापुर मंडल के दूरसंचार विभाग में विभिन्न क्षमताओं वाले स्क्रेप 2 वोल्ट लीड एसिड/व्हीआरएलए बैटरियों के निष्पादन संबंधी मामलों के अन्वीक्षण के दौरान पाया गया कि इकाई के द्वारा स्क्रेप लेड एसिड/व्हीआरएलए बैट्री के वापसीकरण के संज्ञापन नोट में बैटरियों में उपलब्ध लेड की प्रतिशत मात्रा नहीं दिखाई गई ।

इन स्क्रेप बैटरियों की बिक्री के लिए बनाये गये लॉट के विवरण में भी लेड की प्रतिशत मात्रा का उल्लेख नहीं किया गया था । उक्त स्क्रेप बैटरियों के सर्वेक्षण शीट मुख्यालय द्वारा अनुमोदित करने तथा रिजर्व कीमत के आकलन के समय भी लेड की प्रतिशत मात्रा को ध्यान में नहीं रखा गया ।

लेड एसिड/व्हीआरएलए बैटरियों में लेड एक प्रधान घटक होता है और इसकी प्रतिशत मात्रा विभिन्न बैटरियों की क्षमता (एम्पीयर-आवर) एवं उनके वोल्टेज के साथ परिवर्तनशील होती है । लेड एसिड बैटरियों का निपटान मुख्य तौर पर संकेत एवं दूरसंचार, यांत्रिक एवं विद्युत विभाग द्वारा किया जाता है ।

विभिन्न इकाइयों के द्वारा जारी बैट्री के वापसीकरण के संज्ञापन नोट में स्क्रेप बैटरियों में लीड की प्रतिशत मात्रा के उल्लेख के पहलू पर संकेत एवं दूरसंचार, यांत्रिक एवं विद्युत विभाग के साथ एक संयुक्त कार्य पद्धति (JPO) जारी किए जाने की आवश्यकता है । चूँकि बैटरियों में लेड की प्रतिशत मात्रा, बैटरियों की क्षमता एवं वोल्टेज के साथ परिवर्तनशील होता है, अतः विभिन्न क्षमता एवं वोल्टेज के अनुसार प्रत्येक प्रकार की बैटरियों की संख्या एवं प्रतिशत लीड की मात्रा का उल्लेख वापसीकरण के संज्ञापन नोट में अवश्य किया जाना चाहिए । बैटरियों के लॉट के निर्माण के दौरान यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि बैटरियाँ खंडित न हो । पूर्ण बैट्री का लॉट लगाया जाना चाहिए और बिक्री संख्या के आधार पर की जानी चाहिए न कि वजन के आधार पर ।

कृपया इस कार्यालय को संयुक्त कार्य पद्धति आदेश (JPO) जारी करने के संबंध में एवं इनके कार्यान्वयन के संबंध में की गई कृत कार्रवाई से अवगत कराया जाए ।

(जे.के. वर्मा)

वरिष्ठ उप महाप्रबंधक

प्रतिलिपि : मुख्य विद्युत अभियंता, मुख्य संकेत एवं दूर संचार अभियंता एवं मुख्य यांत्रिक अभियंता को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 39/2014

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक - 01.10.2014

भंडार नियंत्रक
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर ।

विषय : स्क्रेप टर्निंग एवं बोरिंग का उत्पादन स्थल से नियमित निष्पादन ।

प्लांट डिपो, मुगलसराय के संरचना अनुभाग में सतर्कता जाँच के दौरान यह पाया गया कि 70 मैट्रिक टन स्क्रेप टर्निंग एवं बोरिंग बिना निष्पादन के युनिट परिसर में पड़ा हुआ था ।

स्क्रेप टर्निंग एवं बोरिंग का उत्पादन दैनिक कार्य के दौरान होता है तथा यह काफी मात्रा में युनिट परिसर में संचित होता है । पर्याप्त मात्रा (बिक्री की जाने के लायक) में स्क्रेप के इकट्ठा हो जाने के उपरान्त इसे विक्रय हेतु ऑफर किया जाता है । लम्बी अवधि तक स्क्रेप के पड़े रहने के कारण इसकी गुणवत्ता में ह्रास हो जाता है ।

अतः स्क्रेप टर्निंग एवं बोरिंग का निष्पादन उत्पादन स्थल से ही नियमित रूप से किया जाए, जिसके लिए पूर्व मध्य रेल के ऐसे सभी स्थानों से उत्पन्न इस स्क्रेप सामग्री का आकलन करने के उपरान्त एक नियत अवधि के लिए विक्रय ठेका निश्चित किया जाए । यह सामग्री के त्वरित निष्पादन में मदद करेगा और सामग्री की गुणवत्ता में कम ह्रास होने के कारण इसके अच्छे मूल्य भी प्राप्त होंगे । स्क्रेप टर्निंग एवं बोरिंग का उत्पादन स्थल से ही नियमित रूप से निष्पादन किया जाए ताकि सामग्री की गुणवत्ता में ह्रास होने से बचाया जा सके । कृत कार्यवाई से इस कार्यालय को सूचित करें ।

(महेश कुमार)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

**स्टोर टेंडर मामलों की स्वीकृति के समय
सुनिश्चित करें कि स्टॉक मदों के लिए
स्टॉक डिपो से डिमांड रिव्यू बुलाया गया है ।**



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 02/2015

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.—ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक — 20.02.2015

मुख्य चिकित्सा निदेशक

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर ।

विषय : रेलवे अस्पताल के अंतरंग रोगियों को प्रदान किए जाने वाले भोजन दर के निर्धारण व आवधिक पुनरीक्षण एवं संबंधित कर्मचारी को प्रदत्त भोजन प्रभार राशि की कटौती ।

रेलवे अस्पताल द्वारा अंतरंग रोगियों को प्रदान किए जाने वाले भोजन के दर निर्धारण एवं तीन वर्ष पर उस दर का आवधिक पुनरीक्षण व संबंधित कर्मचारी से प्रदत्त भोजन प्रभार की कटौती के बिन्दु पर रेलवे अस्पताल समस्तीपुर, धनबाद एवं मुगलसराय में की गई सतर्कता जाँच में मुख्यतः निम्न अनियमितताएँ प्रकाश में आई :-

- अंतरंग रोगियों को रेल अस्पताल द्वारा प्रदत्त भोजन के प्रभार का निर्धारण एवं पुनरीक्षण रेलवे बोर्ड द्वारा दिए गए लगातार निर्देशों एवं IRMM 2000, Para 642 में वर्णित प्रावधान के विपरीत काफी विलंब से दिनांक: 03.02.14 को किया गया । इसके पहले भोजन का प्रभार निर्धारण वर्ष 2002 में किया गया था ।
- मुख्यालय स्तर से पुनरीक्षित भोजन प्रभार के निर्धारण के बाद भी समस्तीपुर अस्पताल द्वारा कुछ मामलों में पुराने दर से कटौती किए जाने का आदेश दिया गया ।
- संबंधित कर्मचारी के मद से प्रदत्त भोजन प्रभार की राशि की कटौती कर लिए जाने का कोई आँकड़ा/प्रमाण संबंधित स्वास्थ्य इकाई के पास उपलब्ध नहीं पाया गया ।
- कुछ इकाई यथा इंजीनियरिंग, दूरसंचार, टेलकम एवं डीजल शेड, इत्यादि में बिल उन्हीं इकाइयों द्वारा बनाई जाती है । ऐसे मामलों में भी भोजन प्रभार की कटौती हेतु पत्र कार्मिक विभाग को प्रेषित हैं जबकि कटौती विवरण संबंधित इकाई या मंडल/रेलवे को प्रेषित किया जाना चाहिए था ।
- संबंधित कार्मिक विभाग के पास भी भोजन प्रभार की कटौती का कोई आँकड़ा उपलब्ध नहीं पाया गया ।

उपरोक्त अनियमितताओं के अवलोकन से यह पूर्णतः स्पष्ट है कि अंतरंग रोगियों को प्रदान किए जाने वाले भोजन प्रभार का निर्धारण व पुनरीक्षण एवं संबंधित कर्मचारी से उसकी कटौती की प्रक्रिया में शामिल कार्यालयी द्वारा अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई है । इसे प्रणाली विफलता के रूप में देखा जा सकता है । अतः उपरोक्त अनियमितता को दूर करने के लिए निम्न ठोस प्रणाली विकसित किया जाना आवश्यक है :-

- (क) IRMM 2000, Para 642 के तहत प्रत्येक तीन वर्षों के अंतराल पर भोजन प्रभार के पुनरीक्षण की प्रक्रिया को सरल करने की आवश्यकता है। इस बिन्दु पर अलग-अलग अस्पतालों की भोजन प्रभार पुनरीक्षण की समीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करने के स्थान पर मुख्यालय स्तर पर ही एक स्थाई समीक्षा समिति का गठन किया जाय जो प्रत्येक तीन वर्षों पर स्वतः निर्धारित तिथि के पूर्व अपनी समीक्षा रिपोर्ट समर्पित करे जिसके आधार पर संशोधित भोजन प्रभार की कटौती संबंधित रेलकर्मों से की जा सके।
- (ख) भोजन प्रभार के संबंधित कर्मचारी से कटौती की प्रक्रिया में एकरूपता एवं सरलता लाए जाने की आवश्यकता है। वर्तमान प्रक्रिया के तहत कार्मिक विभाग एवं संबंधित इकाई के बिल अनुभाग में अस्पताल द्वारा कटौती विवरण प्रेषित करने से कटौती की प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब होता है। इसके मुख्य कारण अस्पताल द्वारा संबंधित बिल यूनिट को समय से कटौती नहीं सुझाए जाने, सुझाई गई कटौती विवरण में सही तथ्य उपलब्ध नहीं कराए जाने तथा इसके अभाव में फिर बिल यूनिट द्वारा संबंधित अस्पताल के साथ कोई भी पत्राचार नहीं कर मामले को लंबित छोड़ देने, आदि हैं। अतः वर्तमान में मुगलसराय मंडल अस्पताल द्वारा भोजन प्रभार की राशि रेलवे रोकड़ में जमा कराकर पावती स्वरूप रेलवे रसीद प्राप्त करने की प्रक्रिया अन्य अस्पतालों द्वारा भी अपनाई जा सकती है।
- (ग) भोजन प्रभार के आवधिक दर का निर्धारण, भोजन प्रभार की वसूली एवं इसके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, इत्यादि से संबंधित सभी बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए एक संयुक्त प्रक्रिया आदेश (JPO) निर्गत की जाए। भोजन प्रभार की कटौती की निगरानी HMIS के माध्यम से की जाए तथा संबंधित रेलकर्मों के वेतन से समय पर उसकी पूरी वसूली के लिए इसको PRIME/AFRES से संबद्ध कराया जाए।

इस संबंध में कृपया प्रणाली सुधार का आदेश अपने स्तर से जारी कर इस कार्यालय को सूचित करें। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, समस्तीपुर के पत्र संख्या च/184/1 दिनांक 10.05.12 के अनुसार वर्ष-2002 में भोजन प्रभार का दर निर्धारित किया गया था। इसके बाद जनवरी-2014 में भोजन प्रभार का पुनर्निर्धारण किया गया। इस समयावधि में भोजन प्रभार की दर को हर तीन वर्षों पर पुनरीक्षित कर समस्त बकाया भोजन प्रभार की कटौती की जाए। जनवरी-2014 में भोजन प्रभार के दर निर्धारण के बाद भी जिन इकाइयों में कटौती पुराने दर से की गई है, वहाँ भी नये दर के अनुसार बकाया राशि की कटौती सुनिश्चित की जाए।

कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करायी जाए।

(जे.के. वर्मा)
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक

**इंडेंट तैयार करते समय अंकों के साथ-साथ शब्दों में
अनुमानित या अंतिम खरीद दर देना चाहिए।**



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 10/2015

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक - 09.10.2015

मु.सं.एवं दूरसंचार अभि.

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर।

विषय : फील्ड यूनिट के अधीनस्थ कर्मियों के द्वारा भंडार सामग्रियों के संचालन हेतु अभिलेखों के अनुरक्षण में एकरूपता लाने के संबंध में।

सतर्कता अन्वेषण के दौरान यह पाया गया कि भंडार सामग्रियों का संचालन करने वाले फील्ड यूनिट कर्मियों द्वारा नए व निर्मुक्त भंडार की प्राप्ति, लेखाकरण एवं निर्गम के लिए सही पद्धति नहीं अपनाई जाती है। इस परिप्रेक्ष्य में संबंधित अभिलेख का भी सही ढंग से रख-रखाव नहीं किया जाता है। मंडल के अधिकारियों द्वारा खंडशः निर्देश जारी किए गए हैं जो एक मंडल के विभिन्न विभागों तथा विभिन्न मंडलों में समरूप नहीं है।

अन्वेषण के दौरान यह पाया गया कि हालिया समय में कार्यकारी अधिकारियों, विशेष कर विद्युत तथा दूरसंचार व संकेत विभाग के द्वारा अनुरक्षण व कार्यसंविदा के तहत प्राप्त नई सामग्रियों व निर्मुक्त भंडार के लिए मंडल मुख्यालय में केन्द्रीकृत भंडार के संचालन पर जोर दिया जाता रहा है। केन्द्रीकृत भंडार के कर्मियों व अन्य अधीनस्थों जो नई भंडार सामग्रियाँ प्राप्त करते हैं तथा निर्मुक्त सामग्रियाँ केन्द्रीकृत भंडार को भेजते हैं, के मध्य भंडार सामग्रियों के लेन-देन की प्रक्रिया तथा इससे संबंधित अभिलेखों के रख-रखाव में स्पष्टता का अभाव है।

अलग-अलग समय पर उपरोक्त विषय को विभिन्न विभागाध्यक्षों के समक्ष उठाया गया है। कुछेक अवसरों पर विभाग के द्वारा यह सूचित किया गया है कि मेक-शिफ्ट भंडार संचालकों, केन्द्रीकृत भंडार संचालकों को छोड़कर, के द्वारा भंडार सामग्रियों का विशुद्ध आकलन नहीं रखा जाता है। सतर्कता अन्वेषण के क्रम में क्षेत्र इकाई (फील्ड यूनिट) द्वारा भंडार के आदान-प्रदान का लेजर/अभिलेख नहीं रखने, कार्य निविदा के तहत प्राप्त सामग्रियों को केन्द्रीकृत भंडार द्वारा संबंधित अधीनस्थ यूनिट को वर्षों तक नहीं भेजने, संवेदक को लोन पर बिना कॉन्ट्रैक्ट में प्रावधान के सामग्रियाँ निर्गत करने तथा निर्गत सामग्री के लिए राजस्व को न वसूले जाने, स्थानान्तरण पर भंडार का प्रभार नहीं देने एवं नए पदग्राही के द्वारा भंडार का प्रभार लिए बिना भंडार का संचालन प्रारंभ करने आदि के तथ्य संज्ञान में आये हैं। ये अनियमितताएँ रेल सामग्रियों के गबन में सहायक कारक हो सकती हैं।

इसलिए यह आवश्यक है कि नए एवं निर्मुक्त भंडार सामग्रियों की प्राप्ति, लेखाकरण एवं उनके निर्गम के लिए तथा इससे संबंधित अभिलेख के रख-रखाव के लिए समरूप प्रणाली अपनायी जाए। क्षेत्र इकाई (फील्ड यूनिट) के अधीनस्थों को भंडार सामग्रियों के संचालन तथा सही रूप से इस कार्य से संबंधित अभिलेख का रख-रखाव करने के प्रति सतर्क रहने के सुझाव दिए जाएँ। भंडार सामग्रियों के संचालन एवं संबंधित अभिलेखों के रख-रखाव के तौर-तरीकों का विस्तृत रूप में प्रक्रिया आदेश का ड्राफ्ट संलग्न है। इसे मुख्य विद्युत अभियंता एवं विसमुलेधि के परामर्श से सभी संबंधितों को जारी किए जाएँ।

कृत कार्रवाई से इस कार्यालय को कृपया अवगत कराया जाए।

(महेश कुमार)
उपमुख्यताधि/भंडार
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

प्रतिलिपि : मु.वि.अभि. एवं विसएवंमुलेधि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 11/2015

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.—ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक — 01.12.2015

मुख्य सुरक्षा आयुक्त

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर ।

विषय : रेसुब पोस्ट इकाइयों में दैनिक रोजनामचे की दूसरी प्रति तैयार नहीं करने के संबंध में।

दानापुर मंडल में सतर्कता जाँच के क्रम में पाया गया कि रेसुब रेगुलेशन के अध्याय 27 के बिंदु 64 का अनुपालन पोस्ट इकाई द्वारा नहीं किया जा रहा है। पोस्ट इकाइयों में दैनिक रोजनामचे की दूसरी प्रति तैयार नहीं की जा रही है। फलस्वरूप पोस्ट इकाई द्वारा दैनिक रोजनामचे की दूसरी प्रति को संबंधित सक्षम कार्यालयी को अग्रसारित भी नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में पोस्ट रोजनामचे की प्रविष्टियों को किसी गलत उद्देश्य से बदले जाने की संभावना बनेगी इससे इंकार नहीं किया जा सकता।

सतर्कता जाँच के क्रम में यह तथ्य भी प्रकाश में आया कि पोस्ट इकाई पर बुक प्रेषण मामलों के प्रथम दस्तावेज क्षति कमी संदेश की गार्ड फाईल भी उपलब्ध नहीं है, जिससे यह ज्ञात किया जा सके कि संबंधित पोस्ट क्षेत्राधिकार में कितने क्षति/कमी संदेश निर्गत हुए तथा उन निर्गत सभी क्षति कमी संदेश पर पोस्ट स्तर पर क्या कार्यवाही की गई।

उक्त के अलावा पोस्ट इकाई को सरकारी कार्य हेतु उपलब्ध कराया गया। सरकारी वाहन के लंबी अवधि से खराब पड़े रहने के बावजूद भी उसके मरम्मत या निस्तारण से संबंधित कोई प्रक्रिया पोस्ट द्वारा नहीं अपनाई जा रही है। इस स्थिति में सरकारी वाहनों की उपयोगिता सुनिश्चित नहीं हो पा रही है।

उपरोक्त के आलोक में अपने स्तर से इस संबंध में सभी संबंधित कर्मियों को आवश्यक दिशा—निर्देश निर्गत करते हुए अपेक्षित कार्यवाही कराना सुनिश्चित किया जाए। कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने की कृपा करें।

(महेश कुमार)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)

कृते महाप्रबंधक/सतर्कता



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 10/2017

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.—ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक — 20.07.2017

प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर ।

विषय : राइट्स निरीक्षण में निरीक्षण के स्थान के संबंध में प्रणाली सुधार की सिफारिश ।

संदर्भ : सीवीओ/राइट्स का पत्र सं. राइट्स/सीओ/विज/2016/11/सी-929/सी-930/सी-931

दिनांक 20.12.2016

उपर्युक्त पत्र के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि राइट्स/सतर्कता टीम ने फर्म के परिसर में औचक जाँच की। इनमें से एक जाँच मेसर्स फेयरडील मैन्युफैक्चरिंग एण्ड मार्केटिंग, गाजियाबाद के परिसर में आयोजित किया गया था, जहाँ पूर्व मध्य रेल के क्रयादेश सं. 3012141115111286 दिनांक 14.12.15 से संबंधित सामग्री की निरीक्षण प्रगति पर थी। हालांकि राइट्स/सतर्कता टीम ने पाया कि परिसर बंद है और निरीक्षण के तहत सामग्री सत्यापित नहीं की जा सकी। इसी प्रकार, अन्य जाँच में निरीक्षण के स्थान से संबंधित कुछ और अनियमितताओं, कार्टेल गठन का संदेह, राइट्स निरीक्षण आदि के दौरान आपूर्तिकर्ता/ठेकेदारों द्वारा फर्जी आंतरिक परीक्षण प्रमाण पत्र तैयार किए गए। विसंगतियों को देखते हुए राइट्स/सतर्कता ने क्षेत्रीय रेलवे में लागू होनेवाले निम्नलिखित प्रणाली सुधार की सिफारिश की हैं :-

- स्वदेशी सामग्री के मामले में क्रयादेश पर उल्लेख किए गए निरीक्षण स्थल के स्थान पर, हमेशा निर्माण स्थल होना चाहिए, निर्माता/ठेकेदार का गोदाम नहीं। खरीदकर्ता को हमेशा निर्माता के नाम का उल्लेख करना चाहिए, जिसमें विनिर्माण परिसर का पूरा पता हो।
- एक ही क्रयादेश में निरीक्षण स्थल के रूप में कई स्थानों को विनिर्दिष्ट करना तथा निरीक्षण स्थल में परिवर्तन हेतु बार-बार संशोधन आदि से खरीदकर्ता (पीसीएमएम) द्वारा बचा जा सकता है।

उपरोक्त के संदर्भ में यह आग्रह किया जाता है कि प्रणाली को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया जाए। इस संबंध में की गई कार्रवाई से यथाशीघ्र इस कार्यालय को अवगत करायी जाए।

(सन्नी सिन्हा)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 01/2018

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक - 07.02.2018

मंडल रेल प्रबंधक

पूर्व मध्य रेल

धनबाद

एवं

प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर ।

विषय : भारतीय रेलवे वित्त संहिता खंड-1 के पैरा 608 में निहित
निविदा खोलने के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में।

रेलवे अस्पताल, धनबाद में केशलेस सेवा के तहत सीटी स्कैन, एमआरआई, पैथोलॉजिकल एवं रेडियोलॉजिकल जाँच से संबंधित निविदा मामलों के जाँच के दौरान यह पाया गया था कि निविदा खोलने वाले अधिकारियों ने ऑफर के दरों में सुधार/ओवरराइटिंग/चूक वाले अधिकांश जगहों पर अपना हस्ताक्षर नहीं किया है। इसके अतिरिक्त भारतीय रेलवे वित्त संहिता खंड-1 के पैरा 608 में निहित निविदा खोलने के प्रावधानों की अक्षरशः पालन नहीं किया गया जैसे कि एक पृष्ठ पर निविदा खोलने वाले अधिकारियों के द्वारा कुल सुधारों की संख्या अंकित करते हुए उनके द्वारा प्रमाणित तो किया गया परन्तु ऑफर/कोटेशन के अन्य पृष्ठों पर इस क्रम का सुपालन नहीं किया गया। इसके अलावा ऑफर के पृष्ठों में से एक पर निविदा खोलने वाले अधिकारियों के द्वारा अधिलिखित दरों को उद्धृत किया गया, लेकिन अन्य पृष्ठों पर इसका अनुपालन नहीं किया गया जो निविदा खोलने वाले अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्रवाई में एकरूपता को नहीं दर्शाता है।

उपरोक्त को देखते हुए आग्रह है कि भारतीय रेलवे वित्त संहिता खंड-1 के पैरा 608 में निहित निविदा खोलने के प्रावधानों के अनुपालन हेतु उचित दिशा-निर्देश जारी करते हुए प्रणाली सुधार करायी जाए।

कृपया जारी किए गए निर्देश की एक प्रति इस कार्यालय को सूचनार्थ एवं अभिलेख हेतु भेजी जाए।

(सन्नी सिन्हा)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 04/2018

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.—ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक — 13.03.2018

प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर ।

विषय : भारतीय रेलवे मेडिकल खंड-1 के पैरा 539 (1) में निहित प्रावधानों के अनुकूल निरंतर सीक प्रमाण पत्र हेतु प्रणाली सुधार ।

रेलवे अस्पताल में सीक प्रमाण पत्र जारी करने के पहलू पर एक निवारक जाँच के दौरान यह देखा गया कि अंतरिम बीमार प्रमाण-पत्र सभी मामलों में जारी किया हुआ पाया गया जो भारतीय रेलवे मेडिकल खंड-1 के पैरा 539 (1) में निहित प्रावधानों के अनुकूल अक्षरशः पालन नहीं किया हुआ पाया गया ।

अतः आग्रह है कि भारतीय रेलवे मेडिकल खंड-1 के पैरा 539 (1) में निहित प्रावधानों के अनुपालन सुनिश्चित किया जाए ।

कृपया जारी किए गए निर्देश की एक प्रति इस कार्यालय को सूचनार्थ एवं अभिलेख हेतु भेजी जाए ।

(सन्नी सिन्हा)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

**टैंक लॉरी के प्रत्येक चैम्बरों का
डीआईपी रीडिंग लेना सुनिश्चित करें और एचएसडी तेल की
आपूर्ति लेते समय चालान पर इसका उल्लेख करें।**



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 08/2018

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक — 03.12.2018

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर।

विषय : CMP अनुबंधन में प्रणाली सुधार।

एक मामले की जाँच के दौरान यह नोट किया गया कि पूमरे में सीएमपी का अनुबंध बिना किसी जेपीओ के की जा रही है जबकि अन्य रेलवे जैसे पूमरे में इसके लिए एक जेपीओ बनाया गया है। रेलवे बोर्ड ने पत्रांक 2006/E(GR)II/11/1 दिनांक 28.02.17 एवं 06.12.17 के द्वारा पूमरे के JPO के आधार पर क्षेत्रीय रेलवे को एक JPO बनाने की सलाह जारी की है।

चूँकि सीएमपी का चयन एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, इसलिए सीएमपी के रिक्त पदों को भरने के लिए रेलवे बोर्ड के उपरोक्त दिशा-निर्देशों के मद्देनजर पूमरे के जेपीओ पर आधारित जेपीओ बनाने का सुझाव दिया जाता है जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं को भी शामिल किया जा सकता है:

- (क) जिन अभ्यर्थियों ने ऐसे संस्थानों से एमबीबीएस/पीजी/डिप्लोमा प्राप्त किया था जहाँ अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान किया जाता है, उन अभ्यर्थियों के चयन के लिए अपनाया गया मानदंड उचित नहीं पाया गया था। ऐसे अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंक दिये गए थे जो न्यायसंगत नहीं है। ऐसे उम्मीदवारों के अंकों के मूल्यांकन के लिए (जेपीओ में) उचित मापदंड का प्रावधान होना आवश्यक है और साथ ही इसे अधिसूचना में प्रकाशित कर पारदर्शी बनाया जाना चाहिए।
- (ख) साक्षात्कार के समय उम्मीदवारों के स्वप्रमाणित तस्वीरें और प्रमाण पत्रों की फोटो कॉपी स्वीकार की जानी चाहिए एवं उनसे मूल प्रमाण पत्र भी मांगे जाने चाहिए ताकि उनके साथ फोटो कॉपी का मिलान किया जा सके। फोटोग्राफ पर उम्मीदवारों के हस्ताक्षर सामने की ओर इस तरीके से लिया जाए कि इसका एक भाग आवेदन पत्र पर भी दिखाई दे। फोटोग्राफ के पीछे उम्मीदवारों के किये गए हस्ताक्षर या उनके द्वारा ब्लॉक लेटर्स में किये गए हस्ताक्षर को स्वीकर करने से भ्रष्ट आचरण को बल मिलता है। अतः इससे बचने की जरूरत है।
- (ग) JPO में उम्मीदवारों के चयन के बाद उनके दस्तावेजों के सत्यापन का प्रावधान होना चाहिए। सत्यापन संबंधित दस्तावेज निर्गत प्राधिकारी के यहाँ दस्तावेजों को भेजकर किया जाना चाहिए। उम्मीदवारों का पुलिस सत्यापन भी कराया जाना चाहिए ताकि उनके द्वारा यदि पूर्व में कोई धोखाधड़ी की गई हो, तो इसका पता लगाया जा सके।
- (घ) सीएमपी के उम्मीदवारों के साथ अनुबंध सीएमपी के चयन का एक अभिन्न अंग है। अनुबंध के समय रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 96/ई(जीआर) 11/09/16 दिनांक 23.02.2000 में निहित दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए। इस दौरान दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी उम्मीदवारों के चरित्र एवं antecedents प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाना चाहिए। उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों से उनकी जन्मतिथि और शैक्षणिक योग्यता की जाँच सुनिश्चित की जानी चाहिए।

उपरोक्त प्रणाली सुधार सुझाव को प्रभावी बनाने की दिशा में कृपया यथोचित दिशा-निर्देश जारी करें। जारी किए गए निर्देश की एक प्रति कृपया इस कार्यालय को सूचना और रिकॉर्ड के लिए भेजी जाए।

(सन्नी सिन्हा)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)

कृते महाप्रबंधक / सतर्कता



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 02/2019

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक – 08.01.2019

प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक

पूर्व मध्य रेलवे

हाजीपुर।

विषय : ग्लोबल टेंडर के माध्यम से पीएसी वस्तुओं की खरीद में प्रणाली सुधार।

ग्लोबल टेंडर के माध्यम से आयातित पीएसी मदों की खरीद से संबंधित एक मामले की अनुसंधान के दौरान यह पाया गया कि पेशकश दर की उपयुक्तता पर चर्चा करते समय JAG स्तर की निविदा समिति ने अन्य रेलवे के सिर्फ LPR को ध्यान में रखा और उन अनुमानित दरों को अनदेखा किया, जिन्हें SAG स्तर के TAA ने अनुमोदित किया गया था। कुल अनुमानित मूल्य की तुलना में कुल पेशकश मूल्य लगभग 77% अधिक था। इससे यह प्रकट होता है कि अनुमानित मूल्य उचित और वास्तविक नहीं था। अवास्तविक और अनुचित आकलन निविदा की जाने वाली मात्रा को मंजूरी देने वाले अनुचित प्राधिकारी के चयन, निविदा के अनुचित मोड को अपनाए जाने आदि के कारक हैं।

इसके अलावा, उपरोक्त एनआईटी में भुगतान की शर्तों के रूप में M/s ABC से आयात के लिए अनुबंध की विशेष शर्त के अनुसार का उल्लेख किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त भुगतान की शर्त M/s ABC को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से निविदा में दिया गया था जो एक सही परिपाटी नहीं है। इसके अलावा निविदा में 'सिंगल बिड सिस्टम' एवं PAC on M/s ABC दर्शाया गया था। रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 76/RS(G)/779/55 Pt दिनांक 27.10.15 में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार पीएसी वस्तुओं की खरीद के लिए भी यदि खरीद का अनुमानित मूल्य खुली निविदा सीमा से अधिक है तो खुली निविदा जारी की जानी चाहिए।

उपरोक्त को देखते हुए अनुमानित दरों के मूल्यांकन में पर्याप्त ध्यान देने एवं पेशकश मूल्य की उपयुक्तता सुनिश्चित करते समय इस पर पर्याप्त विचार करने एवं पीएसी वस्तुओं की खरीद हेतु यदि खरीद का अनुमानित मूल्य खुली निविदा सीमा से अधिक है तो रेलवे बोर्ड के उपरोक्त दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए खुली निविदा अपनाने के निर्देश जारी करने की सलाह दी जाती है।

जारी किए गए निर्देश की एक प्रति कृपया इस कार्यालय को सूचना और रिकॉर्ड के लिए भेजी जाए।

(सन्नी सिन्हा)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 04/2019

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक – 15.01.2019

प्र० मुख्य सुरक्षा आयुक्त

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर।

प्र० वित्त सलाहकार

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर।

विषय : Leaves / LWP के ससमय नियमन के संबंध में।

एक परिवाद के जाँच के क्रम में पाया गया कि परिवादी रे०सु० बल कर्मी जो 33 साल 05 माह 29 दिन की सेवा के उपरांत अंतिम वेतन के रूप में 39900/-रु. प्राप्त कर चुका था, के सेवानिवृत्ति के समय उसकी Leaves/LWP का नियमन करते हुए LWP अवधि (956 दिन) को घटाकर सेवा काल 30 साल 07 माह 25 दिन तथा वेतन 3990/- रु. घटाकर 35400/- रु. कर दिया गया एवं उसी अनुसार पेंशन निर्धारित किया गया। साथ ही उक्त वेतन विसंगति से कर्मचारी को किए गए 231639/-रु. Over Payment की कटौती Gratuity Bill से किया गया।

उक्त से स्पष्ट है कि कर्मी के Leaves/LWP का नियमन तथा सेवानिवृत्त कर्मी के पेंशन का भुगतान समय से नहीं किया गया जो परिवाद का कारण बना, साथ ही प्रशासनिक विफलता का द्योतक भी है।

उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि INDIAN RAILWAY ESTABLISHMENT CODE (Vol-I) के पैरा 513 का अनुपालन करते हुए Leaves/LWP के ससमय नियमन को सुनिश्चित करने हेतु अपने स्तर से सभी संबंधित को निर्देशित करें ताकि भविष्य में इस प्रकार की विसंगति/Over Payment की पुनरावृत्ति न हो तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत कराने की कृपा करें।

(सन्नी सिन्हा)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 05/2019

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक – 16.01.2019

प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर।

विषय : परिदान अवधि की समाप्ति के उपरान्त प्राप्त दवाओं की स्वीकृति के लिए
परिदान अवधि के विस्तार के संबंध में।

पूर्व मध्य रेल की अस्पताल इकाइयों में अप्रैल से सितंबर 2018 की अवधि के दौरान मुख्यालय द्वारा जारी किए गए क्रयादेश से संबंधित दवाओं के परिदान अवधि की समाप्ति के उपरान्त प्राप्त सामग्री के स्वीकृति के संबंध में जाँच की गई। जाँच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि 35% दवाओं की आपूर्ति परिदान अवधि की समाप्ति के उपरान्त की गई जिन्हें बिना परिदान अवधि विस्तार के ही स्वीकार कर ली गई। यह परिपाटी क्रयादेश में वर्णित शर्त के पैरा-8 का उल्लंघन है, जिसके अनुसार परिदान अवधि का विस्तार आपातकालीन स्थिति में सामग्री की आवश्यकता को देखते हुए मुख्य चिकित्सा निदेशक के स्वविवेक पर किए जाने का प्रावधान है।

परिदान अवधि के भीतर आपूर्ति नहीं होने से अस्पताल में दवाओं की कमी का गंभीर संकट पैदा हो सकता है, जो न केवल दवाओं की स्थानीय खरीद को आकर्षित करता है, बल्कि इससे मरीजों के स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है।

उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि परिदान अवधि के बाद आपूर्ति की गई दवाओं को स्वीकार किए जाने के बिन्दु पर एक प्रणाली सुधार लागू करने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश जारी किया जाए और यदि आवश्यक हो तो ऐसे सभी मामलों में परिदान अवधि विस्तार किया जाना सुनिश्चित किया जाए। परिदान अवधि के भीतर दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु भी आवश्यक कदम उठाए जाए।

जारी किए गए निर्देशों की एक प्रति कृपया इस कार्यालय को सूचना और रिकॉर्ड के लिए भेजी जाए।

(सन्नी सिन्हा)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता



पूर्व मध्य रेल

एस.आइ.एल.सं. 08/2019

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक - 22.02.2019

प्रधान मुख्य विद्युत इंजीनियर

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर।

विषय : आरसीडी में एचएसडी के रखरखाव में प्रणाली सुधार।

आरबी के जेपीओ संख्या 2006 / fuel / 282 / 5 pt दिनांक 09.03.10 के संबंध में एक आरसीडी इकाई में निवारक जाँच के दौरान कुछ विसंगतियाँ पायी गईं। भविष्य में इनकी पुनरावृत्ति से बचने के लिए निम्नलिखित प्रणाली सुधार उपाय लागू किए जाने की आवश्यकता है:-

- (1) भूमिगत भंडारण टैंकों की पेंटिंग पिछले पाँच वर्षों से नहीं की गई थी। जेपीओ के पैरा 33 के अनुसार इसे 5 वर्षों में एक बार सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है।
- (2) कुछ डिप-स्टिक्स और डिप-टेप्स वैधता समाप्त होने के बाद भी उपयोग में लाए जा रहे थे जो सही नहीं हैं। इसे तत्काल प्रभाव से बदला जाना चाहिए।
- (3) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा भंडारण टैंकों में एचएसडी तेल के डीकैंटिंग का निरीक्षण जेपीओ के पैरा 27 के आलोक में दो महीने में एक बार सुनिश्चित किया जाना नहीं पाया गया। जेपीओ के उपरोक्त पैरा का अनुपालन कृपया सुनिश्चित कराया जाए।
- (4) पलो मीटर की लॉग बुक में, दोष की तारीख, अंशांकन की तारीख और प्रतिस्थापन की तारीख नहीं दर्शाया जा रहा था जबकि जेपीओ के पैरा 4.5 के अनुसार यह अनिवार्य है। लॉग बुक में उपरोक्त का दर्शाया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- (5) जेपीओ में निर्धारित आवृत्ति के अनुसार एचएसडी तेल का स्टॉक सत्यापन कनिष्ठ और वरिष्ठ वेतनमान अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा था, जबकि जेपीओ के पैरा 7.1 के अनुसार कनिष्ठ वेतनमान अधिकारी द्वारा इसे वर्ष में दो बार और वरिष्ठ वेतनमान अधिकारी द्वारा वर्ष में एक बार सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- (6) ऐसे आरसीडी में जहाँ तेल कंपनियों द्वारा एचएसडी टैंक वैगनों से **said to contain RR** के माध्यम से इस स्पष्ट टिप्पणी के साथ की "लोडिंग किसी भी रेलवे स्टाफ द्वारा नहीं देखा गया है," यदि आपूर्ति की जाती है तो ऐसे मामलों में डीकैंटिंग के पूर्व लिए गए टैंक वैगनों की वास्तविक डीप रीडिंग के अनुसार ही एचएसडी स्वीकार किया जाना चाहिए। इस संबंध में **RC** के संबंधित खंड का पालन किया जाना चाहिए। रेलवे बोर्ड की **RC** के अनुसार यदि **said to contain RR** के माध्यम से तेल कंपनियों द्वारा एचएसडी टैंक वैगनों से आपूर्ति की जाती है तो कमी के लिए आपूर्तिकर्ता फर्म जिम्मेदार होगा। ऐसी स्थिति में रेलवे से डिलीवरी प्राप्त करने की तारीख से 30 दिन की अवधि समाप्त होने से पहले फर्म को नोटिस भेजना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

उपरोक्त सुझाव प्रणाली सुधार के रूप में लागू किया जा सकता है। जारी किए गए निर्देशों की एक प्रति इस कार्यालय को सूचना और रिकॉर्ड के लिए कृपया भेजी जाए।

(सन्नी सिन्हा)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)
कृते महाप्रबंधक / सतर्कता



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 09/2019

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक - 27.02.2019

प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर।

विषय : रेलवे अस्पताल में मरीजों के डाईट हेतु Foodgrains, Pulses, Milk,
Butter, Fruits and Vegetables के खरीदारी के संबंध में।

समस्तीपुर एवं सोनपुर मंडल के रेलवे अस्पताल में मरीजों के डाईट हेतु foodgrains, pulses, milk, butter, fruits and vegetables के खरीदारी के पहलू पर निवारक जाँच के दौरान निम्न तथ्य प्रकाश में आये—

- (1) मंडलों के द्वारा डाईट मदों के दरों के औचित्य पर विचार करते समय अन्य मंडलों से एल0ए0आर0 नहीं लिया जाना पाया गया। अतः अन्य मंडलों में उपलब्ध एल0ए0आर0 का संज्ञान निविदा समिति द्वारा ली जानी चाहिए जिससे प्राप्त दरें की प्रमाणिकता सिद्ध हो सके।
- (2) समस्तीपुर रेल अस्पताल के द्वारा प्रतिदिन प्राप्त एवं निर्गत डाईट मदों से संबंधित मदवार लेजर मेन्टेन की जा रही थी, परन्तु सोनपुर मंडल रेल अस्पताल के द्वारा प्रतिदिन प्राप्त डाईट मदों से संबंधित मदवार लेजर नहीं पायी गयी। अतः प्रतिदिन प्राप्त एवं निर्गत डाईट मदों के लेखांकन हेतु एक समान प्रणाली विकसित की जाए एवं इसे सभी मंडलों में लागू की जाए।
- (3) समस्तीपुर मंडल रेल अस्पताल के द्वारा निविदा के नियम एवं शर्त पैरा-5 के अनुसार ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किये गये खाद्य सामग्रियों के नमूने की जाँच समय-समय पर रेलवे द्वारा कराई जायेगी। परन्तु नमूने की जाँच कराये जाने के संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ। जबकि सोनपुर मंडल रेल अस्पताल के निविदा में नमूने के जाँच के संबंध में कोई नियम एवं शर्त अंकित नहीं था। इस प्रकार समान मदों के निविदा हेतु अलग-अलग मंडलों के अलग-अलग नियम एवं शर्तें थीं। अतः इस हेतु मुख्यालय स्तर पर एक Standard नियम एवं शर्त बनायी जाए एवं इसे सभी मंडलों में लागू की जाए।
- (4) प्रत्येक मंडल में तैनात Food Inspector को IRMM पैरा 1006(B) S.No.(g) के अनुसार रोगी को आपूर्ति डाईट के नमूने को समय-समय पर जाँच हेतु निर्देशित की जाए।

उपरोक्त तथ्यों पर समुचित कार्यवाही करते हुए इस कार्यालय को अवगत कराया जाए।

(सन्नी सिन्हा)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)
कृते महाप्रबंधक(सतर्कता)



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 11/2019

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक - 12.03.2019

प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर।

विषय : दवा मदों की स्थानीय खरीद में प्रणाली सुधार।

दवा मदों की स्थानीय खरीद के पहलू पर संभागीय अस्पताल में की गई निवारक जाँच के दौरान कई विसंगतियाँ पायी गईं। इनकी भविष्य में पुनरावृत्ति से बचने के लिए निम्नलिखित प्रणाली सुधार उपाय लागू किए जाने की आवश्यकता है:-

- (क) मदों की अनुमानित दरें एवं कुल मूल्य स्थानीय खरीद के प्रस्तावों में अनिवार्य रूप से उल्लेखित होना चाहिए जिससे दवाओं के क्रय हेतु सक्षम अधिकारी को नामित किया जा सके और इसकी तुलना निविदा के दौरान फर्मों द्वारा दिये गए प्रस्तावित दरों के साथ की जा सके।
- (ख) अंतिम सफल आपूर्तिकर्ता को स्थानीय क्रय निविदाओं में संभावित स्रोत के रूप में ध्यान में रखा जाना चाहिए।
- (ग) स्थानीय क्रय निविदाओं में सभी अनुमोदित फर्मों को निविदा प्रपत्रों की सुपुर्दगी होना सुनिश्चित की जानी चाहिए। फर्मों के बीच निविदा प्रपत्रों का वितरण इस तरह से सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी फर्म यह न जान सके कि निविदा प्रपत्र किस दूसरे फर्म को भी दिया गया है ताकि निविदा में कार्टेल गठन की संभावना न रहे।
- (घ) स्थानीय क्रय के दौरान पिछला स्वीकृत दर, यदि उपलब्ध हो तो, अनिवार्य रूप से विचार किया जाना चाहिए। अन्यथा, निकटवर्ती रेलवे इकाई द्वारा हाल ही में स्वीकृत दर/बाजार दर पर भी क्रय के दौरान विचार किया जा सकता है।
- (ङ) प्रस्तावों की स्वीकृति से पहले, उनकी तकनीकी उपयुक्तता एवं प्रस्तावित दरों की तार्किकता पर विशेष अस्पताल दर, यदि कोई हो, का उल्लेख करते हुए विशिष्ट टिप्पणी प्रस्तुत की जानी चाहिए।
- (च) विलंबित आपूर्ति की स्थिति में दंड एवं क्षतिपूर्ति का प्रावधान क्रयादेश में होना चाहिए।
- (छ) सुपुर्दगी की अंतिम तिथि का उल्लेख क्रयादेश में अवश्य की जानी चाहिए चाहे वह स्थानीय क्रय ही क्यों न हो। उपरोक्त सुझाव प्रणाली सुधार के रूप में लागू किया जा सकता है। जारी किए गए निर्देशों की एक प्रति इस कार्यालय को सूचना और रिकॉर्ड के लिए भेजी जा सकती है।

(सन्नी सिन्हा)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 12/2019

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक – 20.03.2019

सभी विभागाध्यक्ष
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर ।

विषय : मंडल स्तर पर भंडार की खरीद में प्रणाली सुधार ।

मंडल स्तर पर भंडार की खरीद के पहलू पर निवारक जाँच के दौरान कुछ विसंगतियों को नोट किया गया । इन विसंगतियों से बचने के लिए, निम्नलिखित प्रणाली सुधार उपाय सुझाए गए हैं:-

- (क) Consignee क्रयादेश के अंतर्गत आपूर्ति मदों का निरीक्षण करते समय प्रत्येक पैरामीटर पर अपने अवलोकन रिकॉर्ड नहीं करते । यह परिपाटी पारदर्शी नहीं है । कृपया अपने अधीन सभी निरीक्षण प्राधिकारियों को यह निर्देश दिया जाय कि मदों का निरीक्षण करते समय प्रत्येक पैरामीटर पर अपने अवलोकन अवश्य रिकॉर्ड करें और उन्हें भविष्य के संदर्भों के लिए संरक्षित रखें ।
- (ख) कुछ मामलों में ब्रांडेड वस्तुओं का क्रयादेश उन फर्मों को दिया जाना पाया गया जो न तो OEM थे और न ही अधिकृत डीलर । इन वस्तुओं की खरीद पर संबंधित क्रय अधिकारियों द्वारा उचित ध्यान दिया जाना चाहिए ।
- (ग) एक क्रयादेश में आपूर्ति की जाने वाली मद के निर्माता का नाम "मांग के अनुसार" दर्शाया गया था । यह एक अस्पष्ट शर्त है क्योंकि यह consignee को हेरफेर करने की गुंजाइश प्रदान करता है । स्वस्थ खरीद प्रणाली के लिए यह एक अच्छी परिपाटी नहीं है । सभी खरीद अधिकारियों को निर्देश दिया जाना चाहिए कि ऐसे अस्पष्ट शर्तों से परहेज करें और क्रयादेश में स्पष्ट और विशिष्ट विवरण का उल्लेख करें ।
- (घ) कुछ मामलों में 5 लाख रुपये से अधिक मूल्य वाले मदों की खरीद के लिए क्रयादेश में निरीक्षण शर्त को RITES/RDSO के स्थान पर "consignee द्वारा" दर्शाया गया जो रेलवे बोर्ड के पत्रांक 2000/RS(G)/379/2 दिनांक 06.09.17 के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है । सभी खरीद अधिकारियों को निर्देश जाना चाहिए कि वे क्रयादेश में निरीक्षण शर्त दर्शाते समय रेलवे बोर्ड के उपरोक्त दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें ।

उपरोक्त सुझाव प्रणाली सुधार के रूप में लागू किया जा सकता है । जारी किए गए निर्देश की एक प्रति इस कार्यालय को सूचना और रिकॉर्ड के लिए कृपया भेजी जाए ।

(सन्नी सिन्हा)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 18/2019

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक – 08.05.2019

प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर।

विषय : दवाओं की खरीद और आपूर्ति में प्रणाली सुधार।

- 1.0 : मुख्यालय स्तर पर दवाओं की खरीद के एक मामले की जाँच के दौरान यह नोट किया गया कि IREPS पर ई-टेंडर जारी करना चलन में तो था लेकिन ऑनलाइन क्रयादेश जारी करने की प्रथा शुरू नहीं की गई थी और यह ऑफलाइन जारी किया जा रहा था जबकि iMMS के माध्यम से IREPS पोर्टल पर ऑनलाइन क्रयादेश जारी करने का प्रावधान है। अन्य रेलवे जैसे NWR में, ऑनलाइन क्रयादेश जारी करने की प्रथा पहले से ही चलन में है। चूँकि मैनुअल क्रयादेश, रेलवे बोर्ड की अनुबंध को शुरू से अंत तक डिजिटलीकरण करने की परिकल्पना के उद्देश्य को समाप्त करता है, इसलिए मैनुअल क्रयादेश के स्थान पर ऑनलाइन क्रयादेश जारी करने हेतु iMMS प्रणाली अपनाने का सुझाव दिया जाता है।
- 2.0 : यह भी नोट किया गया है कि PCMD/HJP कार्यालय द्वारा दवा की आपूर्ति के लिए क्रयादेश निर्माताओं/विपणन फर्मों को आपूर्तिकर्ता के नाम एवं पते का उल्लेख करते हुए जारी किए जाते हैं। संबंधित अस्पताल इकाइयों में इन्हीं आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दवा की आपूर्ति की जाती है। बाद में ये आपूर्तिकर्ता, बिना निर्माताओं/विपणन फर्मों को सूचना दिए, रेलवे को अपने स्वयं के नाम से बीजक प्रस्तुत करते हैं और भुगतान प्राप्त करते हैं। जबकि अन्य रेलवे जैसे NWR में, निर्माताओं/विपणन फर्मों द्वारा निविदा प्रस्तुत की जाती है और क्रयादेश उन स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के नाम जारी किया जाता है जिन्हें निर्माता/विपणन फर्म निविदा विशिष्ट प्राधिकार देते हैं। यह परिपाटी पूरे में भी शुरू की जा सकती है।

अतः एतद् द्वारा उपरोक्त प्रस्तावित प्रणाली सुधार लागू करने का सुझाव दिया जाता है। कृत कार्यवाई से इस कार्यालय को सूचना और रिकॉर्ड के लिए कृपया अवगत कराया जाए।

(सन्नी सिन्हा)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 19/2019

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक – 31.05.2019

प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर।

विषय : चिकित्सा के आधार पर वैकल्पिक रोजगार मामलों के बोर्ड के माध्यम से निपटाने में प्रणाली सुधार।

एक मंडल रेलवे अस्पताल में आईएमजी बोर्ड के पहलू पर निवारक जाँच के दौरान कुछ अनियमितताएँ नोट की गईं। भविष्य में इन अनियमितताओं की पुनरावृत्ति से बचाव हेतु निम्नलिखित प्रणाली सुधार सुझाए जाते हैं:-

- (क) कर्मचारियों को आरंभ में लाईट ड्यूटी की सिफारिश किए बगैर अपने मूल पद से विवर्गीकृत किया गया जो भारतीय रेल चिकित्सा संहिता के पैरा 561 (ए) के निर्देशों का उल्लंघन है।
- (ख) कुछ मामलों में DMC के सदस्य ने स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी के भी कार्य का प्रदर्शन किया। ऐसे दोहरे कार्य का प्रदर्शन मेडिकल बोर्ड की हितों के विपरीत है एवं ऐसी स्थिति में लिए गए निर्णय मेडिकल बोर्ड की भावना और दायित्व दोनों को प्रभावित करते हैं। अतः ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उचित व्यवस्था को लागू करने की आवश्यकता है।
- (ग) कर्मचारी की बीमारी का विवरण डीएमसी फाइलों में संलग्न नहीं पाए गए। इसके अलावा, कर्मचारी के उपचार से संबंधित वे दस्तावेज भी डीएमसी फाइल में उपलब्ध नहीं थे जिनके आधार पर इलाज करने वाले डॉक्टर ने आईएमजी बोर्ड की सिफारिश की थी। उपरोक्त दस्तावेज आईएमजी / डीएमसी कार्यवाही के अंग बनाए जाने चाहिए।
- (घ) चिकित्सक के उपचार की अनुशंसा के बाद मेडिकल बोर्ड के संचालन में अत्यधिक विलंब किया जाना पाया गया। सभी संबंधितों को इस तरह की देरी से बचने के लिए आरबी पत्र क्रमांक-2010/एच/5/12 दिनांक-14.06.2010 में निहित दिशा-निर्देशों के सख्ती से पालन के लिए निर्देश दिया जाना चाहिए।

उपरोक्त सुझाव प्रणाली सुधार के रूप में लागू किया जा सकता है। जारी किए गए निर्देशों की एक प्रति इस कार्यालय को सूचना और रिकॉर्ड के लिए कृपया भेजी जाए।

(सन्नी सिन्हा)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 22/2019

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक — 18.07.2019

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर।

विषय : रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा के लिये मेडिकल मेमो जारी करने में प्रणाली सुधार।

प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा में अनियमितताओं के पहलू पर की गई निवारक जाँच के दौरान रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा के लिये मेडिकल मेमो जारी करने में अनियमितता पाई गई।

यह नोट किया गया था कि पूर्व निर्धारित/अधिसूचित चिकित्सा श्रेणी होने के बावजूद रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों का प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षा के लिये मेडिकल मेमो ए-1 और नीचे के अस्पष्ट चिकित्सा श्रेणी के साथ जारी किया जा रहा था।

ऐसी परिस्थिति में सबसे कम चिकित्सा मानकों वाले उम्मीदवार अर्थात् सी0-2 चिकित्सा मानक वाले भी उस पद के लिए फिट माने जा सकते हैं जिसके लिए उच्च चिकित्सा मानक की आवश्यकता है। यदि उम्मीदवार की नियुक्ति हेतु एक पद पूर्व निर्धारित है तो ऐसे मामलों में मेडिकल मेमो जारी करते समय आई.आर.एम.एम. में निर्धारित विशिष्ट चिकित्सा श्रेणी ए-1, ए-1, बी-1, ए-1, बी-1, बी-2 आदि का प्रमुखता से उल्लेख किया जाना चाहिए।

इसलिए चिकित्सा मेमो जारी करते समय पद की विशिष्ट चिकित्सा श्रेणियों का उल्लेख करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की सलाह दी जाती है।

जारी किए गए निर्देशों की एक प्रति सूचना और रिकॉर्ड के लिए इस कार्यालय को भेजी जा सकती है।

(सन्नी सिन्हा)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 24/2019

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक – 05.09.2019

प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर।

विषय : रेलवे अस्पताल में मरीजों के आहार प्रभार बिल की कटौती के संबंध में प्रणाली सुधार।

समस्तीपुर, सोनपुर, दानापुर, धनबाद एवं मुगलसराय स्थित मंडल रेलवे अस्पतालों में मरीजों के आहार प्रभार बिल के कटौती के पहलू पर निवारक जाँच के दौरान निम्न तथ्य प्रकाश में आये –

- (1) रेलवे बोर्ड के पत्रांक 98/एच/6-1/29 नई दिल्ली दिनांक 11.03.2003 के अनुसार रेलवे चिकित्सा विभाग के द्वारा प्रत्येक तीन वर्षों पर भोजन की दरों की समीक्षा की जानी चाहिए। पूर्व मध्य रेल के द्वारा वर्ष-2014 में पत्र सं० उप.मुचिनि(प्रशा०)/पूमरे/हाजीपुर के पत्रांक पूमरे/मेड/भोजन प्रभार/14/1274 दिनांक 03.02.14 के द्वारा आहार प्रभार के दर की समीक्षा की गयी थी उसी के अनुरूप पूर्व मध्य रेल पर स्थित सभी मंडल अस्पतालों के द्वारा आहार प्रभार शुल्क की कटौती की जा रही है।
- (2) रेलवे बोर्ड के पत्र सं० 2005/एच/23/6 दिनांक 13.06.18 के अनुसार जिन कर्मियों का मूल वेतन/पेंशन/परिवारिक पेंशन वेतन रु० 44900/- तक है वे सभी निःशुल्क आहार के पात्र हैं परन्तु दानापुर मंडल रेल अस्पताल के अलावा अन्य मंडल अस्पतालों के द्वारा उपरोक्त पत्र का सुपालन नहीं हो रहा है।
- (3) दानापुर मंडल रेल अस्पताल के द्वारा कार्यरत एवं अन्य कर्मचारियों के आहार प्रभार बिल का भुगतान Cash receipt के माध्यम से नकद प्राप्त कर उसे Misc.Receipt Transmit Note के द्वारा मंडल खजाने के पास जमा कराये जानी की प्रणाली अपनायी गयी है, जबकि समस्तीपुर, सोनपुर धनबाद एवं मुगलसराय मंडल रेल अस्पताल के द्वारा कार्यरत कर्मचारियों एवं अतिरिक्त कर्मियों से आहार प्रभार नकद प्राप्त कर बुकिंग कार्यालय/मंडल खजाने के पास जमा कराये जाने की प्रणाली अपनायी गयी है।
- (4) समस्तीपुर, सोनपुर धनबाद एवं मुगलसराय मंडल रेल अस्पताल के द्वारा कार्यरत कर्मचारियों के आहार बिल की कटौती हेतु संबंधित बिल इकाई एवं लेखा विभाग को भेजी जाती है, लेकिन न ही संबंधित बिल इकाई से न ही लेखा विभाग से कटौती से संबंधित सूचना संबंधित रेलवे अस्पताल में दी जानी पायी गयी। अतः प्रशासनिक स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों के आहार प्रभार बिल की वास्तविक वसूली संबंधित कर्मचारी के वेतन से हुई है अथवा नहीं के मामले में Reconciliation की प्रक्रिया अपनाने हेतु विशेष निगरानी, पर्यवेक्षण या Cross check के तंत्र को विकसित किया जाना चाहिए ताकि आहार बिल की वास्तविक कटौती को सुनिश्चित किया जा सके।

अतः रेलवे बोर्ड के पत्रांक 98/एच/6-1/29 नई दिल्ली दिनांक 11.03.2003 के अनुसार आहार प्रभार की समीक्षा करते हुए सभी मंडल अस्पतालों के द्वारा आहार प्रभार के बिल के कटौती हेतु एक समान प्रणाली विकसित की जाए।

उपरोक्त तथ्यों पर प्रधान वित्त सलाहकार एवं प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी कार्यालय के साथ मिलकर समुचित कार्यवाही करते हुए इस कार्यालय को अवगत कराया जाए।

(सन्नी सिन्हा)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 26/2019

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक – 05.11.2019

प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/बेला।

विषय : सुरक्षा कर्मियों की तैनाती व अनुबंध समझौते को पुरस्कृत करने के लिए निविदा शर्तों का मसौदा तैयार करने में प्रणाली सुधार।

एक इकाई में एक निवारक जाँच के दौरान यह पाया गया कि सुरक्षा कर्मियों की तैनाती व अनुबंध की मौजूदा शर्तें सुरक्षा कर्मियों की तैनाती एवं ठेकेदार के बिलों के भुगतान में विसंगतियों को रोकने में कारगर नहीं है। इस संबंध में रेलवे बोर्ड/सतर्कता के निर्देशों के आलोक में उपरोक्त कार्यों के लिए भविष्य में जारी किए जाने वाले सभी निविदाओं में निम्नलिखित शर्तों को निवारक उपायों के रूप में शामिल करने का सुझाव दिया जाता है:-

1 निरीक्षण:-

- (क) संवेदक द्वारा निविदा के तहत तैनात निजी सुरक्षा कर्मों की दैनिक उपस्थिति पंजिका नाम एवं पाली सहित मेंटेन की जाएगी। उक्त पंजिका में प्रत्येक सुरक्षा कर्मों अपनी उपस्थिति दर्ज करने हेतु अपना हस्ताक्षर करेगा। सिर्फ 'P' अंकित उपस्थिति पंजिका मान्य नहीं होगा।
- (ख) संबंधित कार्य प्रभारी/निरीक्षक प्रभारी आरपीएफ/बेला द्वारा दैनिक रूप से तीनों पाली में उपस्थिति पंजिका एवं भौतिक उपस्थिति के आधार पर निविदा के तहत तैनात निजी सुरक्षा कर्मों की चेकिंग की जाएगी। सक्षम पदाधिकारियों द्वारा भी इसकी औचक चेकिंग की जाए। चेकिंग विवरण पर संवेदक या उसके द्वारा नामित प्रतिनिधि द्वारा जाँच के साक्षी के रूप में अपना हस्ताक्षर किया जाएगा।
- (ग) कार्य प्रभारी/निरीक्षण प्रभारी आरपीएफ/आरडब्ल्यूपी/बेला द्वारा माह के अंत में दैनिक चेकिंग के आधार पर परफॉरमेंस सार्टिफिकेट कार्य के संतोषप्रद/असंतोषप्रद टिप्पणी के साथ निर्गत किया जाएगा एवं इस दौरान सुरक्षा कर्मियों के किसी भी असामान्य कृत्य जैसे रेल सम्पत्ति की चोरी या अन्य अवांछनीय कृत्य को भी ध्यान में रखा जाएगा।
- (घ) संवेदक अपने निजी सुरक्षा कर्मों के किसी भी अनुशासनहीन, अशोभनीय, नशे में पाए जाने या नियम विरुद्ध कार्य के लिए सीधे तौर पर जवाबदेह होगा। उक्त कृत्य के पाए जाने पर निर्दिष्ट जुर्माना या निविदा को निरस्त किए जाने की कार्यवाही की जा सकती है।

- (ड.) तैनाज निजी सुरक्षा कर्मों की किसी तरह की दुर्घटना या चोट लगने पर रेल प्रशासन जवाबदेह नहीं होगा।
- (च) संवेदक द्वारा शस्त्र के साथ तैनात निजी सुरक्षा कर्मों के शस्त्र का निविदा अवधि तक वैध लाइसेंस होना सुनिश्चित किया जाएगा।
- (छ) संवेदक मजदूर (रेगुलेशन और एबोलीसन) अधिनियम 1970 एवं अनुबंध (रेगुलेशन और एबोलीसन) केन्द्रीय नियम 1971 एवं इसके संशोधनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

2. जुर्माना :

- (क) निविदा में वर्णित संख्या से कम निजी सुरक्षा कर्मों की तैनाती या उनके अनुपस्थिति पाए जाने पर ठेकेदार से यथा निर्धारित जुर्माना वसूला जाएगा। तैनाती में निर्धारित संख्या से कम पाए जाने की स्थिति में निविदा निरस्त की जा सकेगी।
- (ख) यदि सुरक्षाकर्मों नशे में/सोते हुए पाए जाते हैं तो निर्धारित दरों के अनुसार जुर्माना ठेकेदार से वसूला जाएगा, ऐसे सुरक्षा कर्मियों को अनुबंध के प्रावधानों के तहत आगे तैनाती के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।
- (ग) सुरक्षाकर्मियों की लापरवाही के कारण हुई रेल संपत्ति की किसी भी तरह की क्षति—हानि या चोरी के लिए निर्धारित दरों के अनुसार जुर्माना ठेकेदार से वसूला जाएगा।

3. भुगतान :

- (क) प्रत्येक माह के अंत में ठेकेदार मासिक बिल एवं संबंधित दस्तावे प्रस्तुत करेगा जिसका परीक्षण दैनिक चेकिंग, औचक निरीक्षण विवरण, कम संख्या में निजी सुरक्षा कर्मों की तैनाती, अनुपस्थित पाए गए सुरक्षा कर्मों की संख्या या उनके द्वारा किसी असामान्य/अवांछनीय घटना इत्यादि के आधार पर समर्पित की गई परफॉरमेंस सर्टिफिकेट के आधार पर किए जाने के बाद बिल भुगतान प्रक्रिया हेतु लेखा विभाग को अग्रसारित की जाएगी।
- (ख) ठेकेदार को अग्रिम भुगतान भी कोई नहीं रहेगी।

4. अवधि विस्तार प्रावधान :

- (क) निविदा अवधि की समाप्ति पर यदि नई निविदा प्रक्रिया में विलंब की संभावना हो तो सुरक्षा कार्य की महत्ता को देखते हुए निविदा में अवधि विस्तार प्रदान की जा सकेगी बशर्ते निविदा निरस्त करना वांछनीय न हो और ठेकेदार का कार्य अब तक संतोषजनक रहा हो, फिर भी यह अवधि विस्तार किसी भी स्थिति में 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी तथा निविदा दर एवं शर्त पूर्व निविदा की तरह ही रहेगी।
- (ख) अवधि विस्तार के लिए निविदाकर्ता की सहमति और सक्षम कार्यालयी का अनुमोदन आवश्यक होगा।

5. श्रमिक की संख्या कम/अधिक का प्रावधान :

निविदा में सुरक्षा कर्मों के संख्या की आवश्यकता के अनुसार कमी/अधिक की जा सकेगी। इस प्रावधान के तहत कार्यावाही से पूर्व एक विस्तृत समीक्षा रपट सक्षम कार्यालयी को समर्पित किया जाना आवश्यक होगा।

उपरोक्त प्रणाली सुधार को लागू करने का सुझाव दिया जाता है। जारी किए गए निर्देशों की एक प्रति इस कार्यालय को सूचना और रिकॉर्ड के लिए भेजी जा सकती है।

(सन्नी सिन्हा)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 03/2020

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक - 07.02.2020

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर।

विषय : संरक्षा श्रेणी के अंतर्गत कार्यरत रेलवे कर्मचारियों की आवधिक चिकित्सा जाँच।

सतर्कता मामले की जाँच के दौरान यह पाया गया कि आईआरएमएम पैरा 2000 में दिए गए निर्देशों के अनुसार सुरक्षा श्रेणी के अंतर्गत कार्यरत रेलवे कर्मचारी के पीएमई का संचालन नहीं किया जा रहा है। चिकित्सा श्रेणी ए-3 के तहत एक कर्मचारी के एक मामले में यह देखा गया कि उसकी नियुक्ति के 12 वर्ष बीत जाने के बाद भी पीएमई आयोजित नहीं की गई जो आईआरएमएम 2000 के पैरा 514 में निर्दिष्ट निर्देशों का उल्लंघन है।

आईआरएमएम 2000 के पैरा 514 के अनुसार, सुरक्षा श्रेणी के रेलवे कर्मचारियों को उनके पूरे सेवा काल तक समय-समय पर निम्न अंतराल पर जाँच की जानी चाहिए :-

(अ) श्रेणी ए-1, ए-2 और ए-3

(1) नियुक्ति की तिथि से 45 वर्ष की आयु तक प्रत्येक 4 वर्ष की समाप्ति पर, 55 वर्ष की आयु तक प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर तदोपरांत सेवा के समापन तक प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर।

(2) यदि चिकित्सा श्रेणी ए के किसी कर्मचारी की 45 वर्ष की आयु प्राप्त करने से 2 वर्ष के भीतर किसी भी समय चिकित्सकीय जाँच की गई है तो उसकी अगली चिकित्सा परीक्षा अंतिम चिकित्सा परीक्षा की तारीख से 2 वर्ष और उसके बाद प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर 55 वर्ष तक और उसके बाद सेवानिवृत्ति तक वार्षिक रूप से आयोजित की जानी चाहिए। यदि इस तरह के कर्मचारी की 45 वर्ष की आयु प्राप्त करने से 2 वर्ष पहले किसी भी समय चिकित्सकीय जाँच की गई है तो उसकी अगली चिकित्सा परीक्षा उस तारीख को आयोजित की जानी चाहिए जब वह 45 की आयु प्राप्त करता है और उसके बाद प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर चिकित्सा जाँच होनी चाहिए।

(ब) श्रेणी बी-1 और बी-2 के कर्मचारी की 45 वर्ष की आयु प्राप्त करने के उपरांत प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि समाप्ति पर।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि आईआरएमएम के पैरा 515 के अनुसार रेलवे कर्मचारी को मेडिकल जाँच के लिए भेजने की जिम्मेदारी उसके संबंधित विभाग या शाखा की है।

उपरोक्त शिड्यूल के अनुसार, आईआरएमएम 2000 के पैरा 514 में निर्दिष्ट निर्देशों के अनुपालन, निर्धारित पीएमई का संचालन सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है। उपरोक्त प्रणाली सुधारात्मक सुझाव लागू की जा सकती है।

कृत कार्यवाई की सूचना जल्द से जल्द इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।

(सन्नी सिन्हा)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)

कृते महाप्रबंधक/सतर्कता



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 06/2020

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक — 18.03.2020

प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर।

विषय : पैनलबद्ध निजी अस्पतालों में रेफर करने के पूर्व रोगी या उनके परिचर से विकल्प लिये जाने के पहलू पर प्रणाली सुधार।

पूर्व मध्य रेल के मुगलसराय, सोनपुर, दानापुर, धनबाद, एवं समस्तीपुर स्थित मंडल रेल अस्पतालों तथा सीएसएसएच, पटना में रेलवे बोर्ड के पत्र सं० 2016/एच-1/11/58/पॉलिसी दिनांक 21.06.18 के आलोक में रोगी को पैनलबद्ध निजी अस्पतालों में रेफर करने के पूर्व रोगी या उनके परिचर से विकल्प लिये जाने के पहलू पर निवारक जाँच के दौरान निम्न तथ्य प्रकाश में आए :-

(1) उपरोक्त पत्र के आलोक में पैनलबद्ध निजी अस्पतालों की सूची ओपीडी एवं कार्यालय में जहाँ पर रेफरल लेटर तैयार किया जाता है, प्रदर्शित किया जाना चाहिए। जबकि दानापुर मंडल में पैनलबद्ध निजी अस्पतालों की सूची बाहर एक दीवार पर चिपका हुआ, सीएसएसएच, पटना में केवल ओपीडी एरिया में प्रदर्शित किया हुआ पाया गया, धनबाद मंडल अस्पताल में नोटिस बोर्ड पर एवं आकस्मिक विभाग में प्रदर्शित किया हुआ पाया गया एवं समस्तीपुर मंडल अस्पताल में कार्यालय के गेट पर सटा हुआ पाया गया, जबकि सोनपुर मंडल रेल अस्पताल में कहीं भी नहीं लगा हुआ पाया गया।

(2) सभी मंडल रेल अस्पतालों में पैनलबद्ध निजी अस्पतालों में रेफर से पूर्व लिखित रूप से मरीजों अथवा उनके परिचर से विकल्प लिये जाने तथा इस तथ्य को रेफरल लेटर पर अंकित करने का प्रचलन नहीं पाया गया।

(3) सभी मंडल अस्पतालों के द्वारा रेफरल लेटर पर रोगी अथवा उनके परिचर का हस्ताक्षर/बायें या दाहिने हाथ के अंगूठे का निशान भी लिये जाने का प्रचलन नहीं पाया गया।

(4) कुछ मंडल अस्पताल के द्वारा मरीजों को पैनलबद्ध निजी अस्पतालों में रेफर से संबंधित सभी अस्पतालों के लिए एक ही लेजर में मेन्टेन किया जा रहा है जबकि कुछ मंडल अस्पतालों के द्वारा अलग-अलग पैनलबद्ध निजी अस्पताल में रेफर से संबंधित अलग-अलग लेजर मेन्टेन किया जा रहा है जबकि समस्तीपुर मंडल अस्पताल के द्वारा रेफर से संबंधित लेजर ही मेन्टेन नहीं किया जा रहा है। अतः सभी मंडल अस्पतालों में एक समान कार्यप्रणाली अपनायी जाए।

अतः रेलवे बोर्ड के पत्र सं० 2016/एच-1/11/58/पॉलिसी दिनांक 21.06.18 में निहित प्रावधानों के अनुरूप कार्यप्रणाली विकसित की जाए।

उपरोक्त तथ्यों पर समुचित कार्रवाई करते हुए इस कार्यालय को अवगत करायी जाए।

(सन्नी सिन्हा)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)

कृते महाप्रबंधक/सतर्कता



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 07/2020

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक — 19.03.2020

प्रमुख मुख्य सिंगनल एवं दूर संचार इंजीनियर
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर।

विषय : स्क्रेप सामग्रियों के रख-रखाव के संबंध में।

सिंगनल स्टोर बरौनी, मुजफ्फरपुर, सोनपुर, खगड़िया एवं समस्तीपुर में स्क्रेप सामग्री के लेखाकरण एवं निष्पादन से संबंधित पहलू निवारक जाँच के दौरान निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये —

(1) भंडार संहिता के पैरा 3202 के अनुसार Stores with Imprest holders का भंडार सत्यापन दो वर्ष में एक बार की जानी चाहिए। परन्तु जाँच के दौरान सिंगनल स्टोर, सोनपुर मंडल की इकाइयों में 4-5 वर्ष बीत जाने बावजूद भी भंडार सत्यापन नहीं किया हुआ पाया। वही समस्तीपुर मंडल की इकाई में 12-16 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी रीलीज्ड सामग्रियों का भंडार सत्यापन किया हुआ नहीं पाया गया।

(2) पूर्व मध्य रेल के जेपीओ (JPO for handing of stores and maintenance of records thereof by field units) के पैरा 5 (a) के अनुसार खंड के सभी प्रभारी को डीएमटीआर एवं लेजर मेन्टेन करना चाहिए, परन्तु खंड के किसी भी सिंगनल इस्पेक्टर के द्वारा किसी प्रकार का लेजर मेन्टेन नहीं किया जा रहा है। अतः पूर्व मध्य रेल के जेपीओ के प्रावधान के अनुरूप कार्यप्रणाली सुधारी जाए।

(3) खंड से प्राप्त रीलीज्ड बैट्री किस नये बैट्री के निर्गमन के विरुद्ध प्राप्त हुआ है का तथ्य लेजर में उल्लेखित किया हुआ नहीं पाया गया। यदि प्रत्येक नये बैट्री के निर्गमन के विरुद्ध उसके बदले प्राप्त रीलीज्ड बैट्री का विवरण लेजर में दर्शायी गयी होती तो यह ज्ञात किया जा सकता था कि किस खंड से कितने नये बैट्री के निर्गमन के विरुद्ध कितना रीलीज्ड बैट्री की प्राप्ति लंबित है। साथ ही यदि सिंगनल स्टोर के द्वारा नये स्थानों (New installation) पर बैट्री की निर्गमन की जाती है तो इस संबंध में सक्षम अधिकारी का अनुमोदन लिया जाना चाहिए। अतः नये बैट्री के निर्गमन एवं रीलीज्ड बैट्री की प्राप्ति हेतु एक सुदृढ़ प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।

(4) व0अनु0 इंजी0/सिंगनल/बरौनी की इकाई में 19.48 MT (Fe) 355 Kg(NF) 269 Nos.(diff. types Batteries), व0अनु0 इंजी0/सिंगनल/मुजफ्फरपुर की इकाई में 17.826 MT (Fe) 740.5 Kg (NF) 407 Nos.(diff. types Batteries), व0अनु0 इंजी0/सिंगनल/सोनपुर की इकाई में 10.83 MT (Fe) 269 Kg(NF) 456 Nos.(Batteries), व0अनु0 इंजी0/सिंगनल/खगड़िया की इकाई में 25 MT (Fe) 183 Nos.(Batteries), व0अनु0 इंजी0/सिंगनल/समस्तीपुर की इकाई में 681 Kg(Fe) released materials निष्पादन हेतु लंबित पायी गयी। इन सामग्रियों के यथाशीघ्र निष्पादन हेतु कार्यप्रणाली विकसित करायी जाए।

उपरोक्त वर्णित तथ्य पर यथाशीघ्र कार्रवाई करते हुए इस कार्यालय को अवगत कराया जाए।

(सन्नी सिन्हा)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

प्रतिलिपि — प्रधान वित्त सलाहकार/पूमरे/हाजीपुर को सादर सूचनार्थ एवं आग्रह है कि कम सं.-1 पर वर्णित अनियमितताओं को यथाशीघ्र निवारण करायी जाए।



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 08/2020

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक – 20.03.2020

प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर।

विषय : रेलवे सुरक्षा बल के आवधिक चिकित्सा जाँच कराने के पहलू पर प्रणाली सुधार।

पूर्व मध्य रेल के उप मंडलीय अस्पताल, गया तथा मंडल अस्पतालों दानापुर, समस्तीपुर, सोनपुर, धनबाद, एवं दीन दयाल उपाध्याय में रेलवे सुरक्षा बल के आवधिक चिकित्सा जाँच के पहलू पर निवारक जाँच की गई। निवारक जाँच के दौरान निम्न तथ्य प्रकाश में आये:-

- (1) किसी भी मंडल के द्वारा रेलवे सुरक्षा बल में तैनात किसी भी कर्मि का नियमित आवधिक चिकित्सा जाँच नहीं कराया हुआ पायी गयी जो भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली के पैरा 514 (बी) नोट-1 के निर्देशों का उल्लंघन है।
- (2) कुछ मंडल अस्पताल में रेलवे सुरक्षा बल का चिकित्सीय जाँच कराया हुआ पायी, लेकिन वे सभी नियमित आवधिक चिकित्सा जाँच से संबंधित नहीं थे। वे सभी किसी न किसी प्रकार के ट्रेनिंग में भेजने के पूर्व चिकित्सा जाँच कराए गए थे। जबकि भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली के पैरा 514 (बी) नोट-1 के निर्देशानुसार-

रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति की तारीख से सेवा के समापन तक हरेक तीन साल की अवधि की समाप्ति पर शारीरिक फिटनेस के लिए फिर से जाँच की जाएगी। हालाँकि, रेलवे सुरक्षा बल के निरीक्षकों, उप-निरीक्षकों और सहायक निरीक्षकों को शारीरिक फिटनेस और Visual acuity test के लिए 45 वर्ष की आयु और उसके बाद पाँच साल की हर अवधि की समाप्ति पर पुनः जाँच किये जाने का प्रावधान है।

अतः भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली के पैरा 514 (बी) नोट-1 में निहित प्रावधानों के अनुरूप कार्यप्रणाली विकसित की जाए।

उपरोक्त तथ्यों पर समुचित कार्रवाई करते हुए इस कार्यालय को अवगत करायी जाए।

(सन्नी सिन्हा)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)

कृते महाप्रबंधक/सतर्कता



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 10/2020

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक – 01.06.2020

प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर।

विषय : दवा की स्थानीय खरीद में प्रणाली सुधार।

दवा की स्थानीय खरीद के पहलू पर मंडल अस्पतालों में निवारक जाँच के दौरान कुछ विसंगतियों पाई गईं। इन विसंगतियों से बचने के लिए निम्नलिखित प्रणाली सुधार सुझाए गए हैं:-

(i) रेलवे बोर्ड/सतर्कता के पत्रांक: आरबी/विज एल नं. ; (i) 2008/V-1/CVC/1/4 दिनांक 11.09.2020 (ii) 2008/V-1/CVC/1/4 दिनांक 18.02.09 और (iii) 2017/V-1/ALSL/1/1 दिनांक 10.12.19 के आलोक में प्रत्येक चार साल में प्रोक्योरमेंट फार्मासिस्ट का रोटेशनल स्थानांतरण अनिवार्य रूप से किया जाना है इसके बावजूद एक्स, फार्मासिस्ट और वाई, मुख्य फार्मासिस्ट दोनों को उनकी संबंधित इकाइयों अर्थात् इकाई एक्स..एक्स..एक्स और डीआरएच/वाई..वाई..वाई द्वारा संबंधित इकाइयों में चार वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्रोक्योरमेंट फार्मासिस्ट के रूप में बनाए रखा गया है जो उक्त निर्देशों के विपरीत है। उपरोक्त कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से उक्त संवेदनशील पद से स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।

(ii) डीआरएच/वाई..वाई..वाई को छोड़कर अन्य सभी डीआरएच आईआरईपीएस पोर्टल पर दवाओं की खरीद के लिए ई-टेंडर आमंत्रित कर रहे हैं। डीआरएच/बाइ..बाइ..बाइ अभी भी मैनुअल टेंडर आमंत्रित कर रहा है। चूँकि मैनुअल टेंडर रेलवे बोर्ड के आपूर्ति में पारदर्शिता एवं इसके पूर्ण डिजिटलीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा पहुँचाते हैं इसलिए डीआरएच/वाई..वाई..वाई के द्वारा मैनुअल टेंडर के स्थान पर आईआरईपीएस पोर्टल पर दवाओं की खरीद सुनिश्चित करने का सुझाव दिया जाता है। सभी डीआरएच को यह सलाह दी जा सकती है कि खरीद प्रणाली के शुरुआत से अंत तक डिजिटलीकरण को सुनिश्चित करें ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

उपरोक्त सुझाए गए प्रणाली सुधार को स्पष्ट रूप से लागू किया जा सकता है। जारी किए गए निर्देशों की एक प्रति इस कार्यालय को सूचना और रिकॉर्ड के लिए भेजी जा सकती है।

(सन्नी सिन्हा)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 13/2020

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक – 07.09.2020

प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर।

विषय : भंडार निविदाओं में कार्टेल फॉरमेशन के संबंध में प्रणाली सुधार।

एक मामले की जाँच के दौरान, जिसमें अनुमोदित स्रोतों के माध्यम से खरीद के लिए विशेष सीमित निविदा जारी की गई थी, यह पाया गया कि निविदा आमंत्रण 16 फर्मों को भेजा गया था, लेकिन उनमें से केवल 5 ने भाग लिया। इन पाँच फर्मों में से, तीन फर्मों के बीच परस्पर संबंध का साक्ष्य पाया गया जैसे कि दो फर्मों के मालिक किसी तीसरे फर्म के निदेशक थे। ऐसी स्थिति में भाग लेने वाले निविदाकारों के हितों में टकराव की स्थिति बनती है। ऐसी स्थिति, जहां एक फर्म का अपने सहयोगी संस्था या फर्मों के साथ परस्पर संबंध है, से निपटने के लिए पर्याप्त दिशा-निर्देश का उपलब्ध होना नहीं पाया गया।

इसके अलावा, यह भी पाया गया कि आर.डी.एस.ओ. के वेन्डर डायरेक्टरी में अनुमोदित फर्मों के सहयोगी संस्था का नाम, यदि कोई है, तो प्रकाशित होना पाया गया परन्तु यह आई.सी.एफ. जैसी अन्य अनुमोदन करने वाली एजेंसियों के वेन्डर डायरेक्टरी में होना नहीं पाया गया।

उपरोक्त स्थिति से निपटने हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश के अभाव में, निविदा का कार्य देखने वाले कार्यालयों को एक अनपेक्षित त्रुटि की ओर ले जा सकती है। इसलिए, उपरोक्त के संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने के लिए उपयुक्त स्तर पर मामला उठाया जा सकता है।

उपरोक्त मामलों में की गई कार्यवाही और साथ-साथ जारी किये गए निर्देशों की प्रति इस कार्यालय को सूचना और अभिलेख के लिये भेजी जाए।

(सन्नी सिन्हा)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)
कृते महाप्रबंधक / सतर्कता



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 14/2020

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक – 09.09.2020

प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर।

विषय : सिक-फिट प्रमाण पत्र जारी करने में अनियमितता।

एक शिकायत की जाँच के दौरान फिट प्रमाण पत्र जारी करने में कुछ प्रक्रियात्मक खामियां पाई गईं, जो निम्न हैं :-

(1) संविदा चिकित्सक के साथ अनुबंध के नियमों और शर्तों का उल्लंघन करते हुए, दो सीएमपी के निकटतम अस्पताल/औषधालय/स्वास्थ्य इकाइयों में उपलब्ध नियमित रेलवे चिकित्सा अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर प्राप्त किए बिना 7 दिनों से अधिक समय तक सिक अवधि के लिए अन्य क्षेत्रों के कर्मचारियों को सिक-फिट प्रमाण पत्र जारी किए।

(2) भारतीय रेल चिकित्सा नियमावली के पैरा 541(4) का उल्लंघन करते हुए पूर्व मध्य रेल के चार मंडलों की स्वास्थ्य इकाइयों/अस्पतालों द्वारा मामले में कर्मचारी के मुख्यालय स्टेशन पर रेलवे चिकित्सक को बीमार सूचीबद्ध कर्मचारियों के संबंधित केस पेपर नहीं भेजे गए।

(3) फिट/अनफिट प्रमाण पत्र शुरू में तीन/सात दिन की निर्धारित अवधि से अधिक फिट प्रमाण पत्र जारी होना पाया गया। यह आईआरएमएम के पैरा 539 के निर्देशों का उल्लंघन है। इस पहलू पर पत्र सं. ईसीआर/विज./सिस्टम इंप्रूवमेंट/50 दिनांक 13.03.2018 (एसवाईएल-04/2018) के माध्यम से एक प्रणाली सुधार पत्र पहले जारी किया गया था लेकिन इसे भी लागू होना नहीं पाया गया है।

अतः उपरोक्त खामियों पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की सलाह दी जाती है ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। कृत कार्यवाई की सूचना जल्द से जल्द इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए।

(सन्नी सिन्हा)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 21/2020

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक — 21.12.2020

सभी विभागाध्यक्ष
पूर्व मध्य रेलवे
हाजीपुर।

विषय : गैर स्टॉक मांगों के प्रापण के संबंध में प्रणाली में सुधार।

एक फील्ड यूनिट द्वारा स्टोर की खरीद से संबंधित मामले की सतर्कता जाँच के दौरान, यह देखा गया कि पोस्ट टेंडर चरण में, इंडेंटिंग ऑफिसर (आईओ) ने उल्लेख किया कि सामग्री आरडीएसओ द्वारा अनुमोदित आपूर्ति की होनी चाहिए, हालांकि उनके द्वारा सुझाए गए संभावित स्रोत मांग पर आरडीएसओ अनुमोदित स्रोतों की सूची से नहीं थे। इसके अलावा, जिन फर्मों को खरीद कार्यालय द्वारा निविदाएं जारी की गई थीं, वे भी आरडीएसओ द्वारा अनुमोदित स्रोतों की सूची में नहीं थीं।

आईओ द्वारा निविदा के बाद के चरण में ऐसी नई शर्तों का सुझाव देना उचित नहीं माना जाता है। स्टोर्स को डीएस-2 अग्रेषित करने से पहले, मांगकर्ता को निविदा में शामिल करने के लिए आवश्यक सभी शर्तों को प्रस्तुत करना चाहिए और बाद के चरण में निगमन के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, उपरोक्त प्रणाली सुधार सुझाव को ईमानदारी से लागू किया जा सकता है। जारी किए गए निर्देशों की एक प्रति सूचना एवं अभिलेख के लिए इस कार्यालय को भेजी जाए।

(सन्नी सिन्हा)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 10/2021

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक – 19.08.2021

प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर।

विषय : रेलवे लाभार्थियों को रेफर करने के लिए निजी अस्पताल की सूची में सुधार और मरीजों को निजी अस्पतालों में रेफर करने की प्रक्रिया।

विषय : रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 2014/एच-1/19/3/पीएनएम दिनांक-05.10.2015,
पत्र सं. 2016/एच-1/11/69/ अस्पताल मान्यता दिनांक-23.12.2016 और
रेलवे बोर्ड पत्र सं. 2016/एच-1/11/58/पॉलिसी दिनांक-25.04.2018।

रेलवे बोर्ड के पत्र के संदर्भ में, केंद्रीय अस्पताल, पटना की इकाई और डीआरएच/डीडीयू डीएनआर, सीई, एसपीजे और डीएचएन जैसे सभी मंडल रेलवे अस्पतालों में निवारक जांचें आयोजित की गई थीं ताकि रेलवे लाभार्थियों को रेफर करने के लिए निजी अस्पतालों की सूची की प्रक्रिया और मरीजों को निजी अस्पतालों में रेफर करने की प्रक्रिया की जाँच की जा सके, जिनमें कुछ अनियमितताएं नोट की गई हैं :-

- (1) पूमरे की दो रेलवे इकाइयों अर्थात् डीआरएच/डीएचएन और डीआरडीयू ने एम/एस पॉपुलर हेल्थ केयर लिमिटेड को पैनल में शामिल किया है। वाराणसी क्रमशः सीजीएचएस दरों से विचलन के मामले में अस्पताल टैरिफ पर विभिन्न छूटों यानी 15% और 20% पर एक ही सुविधाओं के लिए अलग-अलग है जो रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2016/एच-1/11/69/अस्पताल मान्यता दिनांक-23.12.2016 के पैरा 5 के निर्देशों का उल्लंघन है।
- (2) पूमरे के सभी डीआरएच और सीएसएसएच, पटना में निजी पैनल में शामिल अस्पतालों का प्रदर्शन रजिस्टर नहीं रखा जा रहा था, हालांकि रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2016/एच-1/11/58/पॉलिसी दिनांक-25.04.2018 में अनिवार्य है।
- (3) मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में या तो निजी पैनल वाले अस्पतालों या रेलवे अस्पतालों में ईलाज करने वाले रोगी से फीडबैक भी प्राप्त नहीं किया जा रहा था जो रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2016/एच-1/11/58/पॉलिसी दिनांक-25.04-2018 के मद्देनजर मान्यता के नवीकरण के समय आवश्यक है।

- (4) रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2016/एच-1/11/69/अस्पताल मान्यता दिनांक-23-12-2016 के संदर्भ में एमओयू के सामान्य प्रारूप के एनेक्सचर 16 में उल्लिखित रोगी को रेफर करने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है।
- (5) रोगी को सूचीबद्ध निजी अस्पताल में रेफर करने के लिए रेफरल पेपर अभी भी ऑफ लाईन तैयार किया जा रहा था जबकि एमओयू के अनुसार, रेफरल की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद यूटीआईआईटीएसएल के वेबसाइट से इसे ऑनलाइन तैयार किया जाना है।
- (6) पूर्व मध्य रेल का जोनल वेबसाइट में चिकित्सा विभाग के पहले वेब पेज पर पैनल में शामिल निजी अस्पतालों की सूची प्रमुखता से प्रदर्शित नहीं की जा रही है। जिसके कारण रेलवे के लाभार्थियों को अभी भी रेफरल के लिए ऐसे निजी अस्पतालों में सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में अच्छी जानकारी नहीं है। उपरोक्त सूची यूटीआईआईटीएसएल वेबसाइट पर भी अपडेट की जानी चाहिए।

पूर्व मध्य रेल का जोनल वेबसाइट में चिकित्सा विभाग के पहले वेब पेज पर पैनल में शामिल निजी अस्पतालों की सूची प्रमुखता से प्रदर्शित नहीं की जा रही है। जिसके कारण रेलवे के लाभार्थियों को अभी भी रेफरल के लिए ऐसे निजी अस्पतालों में सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में अच्छी जानकारी नहीं है। उपरोक्त सूची यूटीआईआईटीएसएल वेबसाइट पर भी अपडेट की जानी चाहिए।

उपरोक्त प्रणाली सुधार सुझाव को ईमानदारी से लागू किया जाए। जारी किए गए निर्देशों की प्रति इस कार्यालय को सूचना और रिकार्ड के लिए भेजी जाए।

(उदयाचल कुमार)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)

कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

**सुनिश्चित करें कि चयन के लिए सूचना जारी होने के बाद
रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन नहीं किया गया है।**



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 01/2022

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक - 17.01.2022

प्रधान मुख्य चिकित्सा निदेशक

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर

विषय : रेफरल पत्र बनाने से पूर्व रोगी से निजी सूचीबद्ध अस्पतालों का विकल्प लिखित रूप में लेने पर प्रणाली सुधार।

निवारक जाँचों के दौरान, यह देखा गया कि ईसीआर की विभिन्न अस्पताल इकाइयों में रोगियों/रिश्तेदारों से निजी अस्पतालों के विकल्प/पसंद को लिखित रूप में लेने में कोई समान प्रथा नहीं है। कुछ इकाइयों द्वारा एक अलग प्रोफार्मा पर विकल्प लिया जाता था और कुछ इकाई द्वारा रेफरल पेपर पर ही। अतः एकरूपता लाने एवं इस संबंध में भविष्य में विसंगतियों से बचने के लिए, निम्नलिखित प्रणाली सुधार को लागू करने की आवश्यकता है: -

(क) रेफरल फॉर्म के मौजूदा प्रोफार्मा में निजी सूचीबद्ध अस्पतालों के रोगी की पसंद का उल्लेख करने के लिए कोई स्तंभ नहीं है। इसलिए, मौजूदा प्रोफार्मा को एक अतिरिक्त कॉलम को शामिल करके संशोधित किया जाना चाहिए ताकि रोगियों को रेफरल निजी अस्पतालों के अपने विकल्प को निर्दिष्ट करने की सुविधा प्रदान की जा सके।

रोगियों की सुविधा के लिए मौजूदा रेफरल फार्म की बैकसाइड पर निजी अस्पतालों की सूची उनकी विशेषताओं के साथ मुद्रित की जानी चाहिए ताकि रोगी या उनके परिजन उस सूची को देखकर अपना विकल्प दे सकें। अतिरिक्त कॉलम का नमूना नीचे दिया गया है

“ रोगी की पसंद :

1. मैं स्वेच्छा से स्वयं या मेरे संबंधी श्री/श्रीमति.....के उपचार के लिएअस्पताल चुनता हूँ। (जैसा कि अनुलग्नक बैकसाइड में दिया गया है)।
2. मेरे आश्रित परिवार के सदस्यों को रेलवे बोर्ड के नियमों के अनुसार उपचार दिया जा सकता है। इसके अलावा मैं किसी भी झूठी घोषणा / उपरोक्त मेरे द्वारा दिया गए किसी में घोषणा के गलत पाए जाने पर जिम्मेदार होऊंगा।

कर्मचारी/रोगी के हस्ताक्षर

(ख) निजी सूचीबद्ध अस्पतालों की सूची को कागज के ए -4 आकार में प्रदर्शित किया गया था, जो आकार में बहुत ही छोटा है। इसे ई0सी0आर0 की सभी अस्पताल इकाइयों में डिस्पले बोर्ड के उचित आकार पर प्रमुखता से निजी सूचीबद्ध अस्पतालों की सूची प्रदर्शित किया जाना चाहिए। बोर्ड पर प्रदर्शित पैनल में शामिल अस्पतालों की सूची की जाँच की जानी चाहिए और समय-समय पर अद्यतन किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त प्रणाली सुधार सुझाव को परिचालित एवं निष्ठापूर्वक कार्यान्वित किया जाए। इस संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना जल्द से जल्द इस कार्यालय को दी जाए।

(उदयाचल कुमार)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (भंडार)



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 27/2012

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक - 20.09.2012

मुख्य यांत्रिक इंजीनियर

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर ।

विषय : एसी कोच की चादर की धुलाई के लिए मानक निविदा प्रपत्र ।

दिनांक 27.07.2012 को 12397 महाबोधि एक्सप्रेस में चादर की धुलाई के पहलू पर एक निवारक जांच के दौरान 08 चादरों में तेल का दाग पाया गया जिसे साधारण धुलाई से साफ नहीं किया जा सकता था और उन्हें ऑक्सैलिक एसिड एवं एसीटोन से साफ करने की आवश्यकता थी। मुगलसराय मंडल में संबंधित निविदा प्रपत्र में तेल के दाग हटाने के लिए उपलिखित रसायनों के प्रयोग का कोई प्रावधान नहीं था, जबकि धनबाद मंडल के निविदा प्रपत्र में सभी तरह के दाग हटाने के लिए ऑक्सैलिक एसिड और एसीटोन के इस्तेमाल का प्रावधान किया गया है।

चूँकि सभी मंडल चादर धुलाई के लिए निविदा आमंत्रित कर रहे हैं। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि मुख्यालय के द्वारा अनुमोदित एक मानक निविदा प्रपत्र पूर्व मध्य रेल के सभी मंडलों को परिपत्रित किया जाए।

मुख्य यांत्रिक इंजीनियर से अनुरोध है कि उक्त सलाह पर आवश्यक कार्रवाई करें।

इस संबंध में कृत कार्रवाई से शीघ्रताशीघ्र अवगत कराया जाए।

(बी.पी. गुप्ता)

वरिष्ठ उपमहाप्रबंधक
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर।

**चयन में यह सुनिश्चित करें कि
अनकोडेड उत्तर पत्रक परीक्षा के तुरंत बाद एक सील कवर में
मूल्यांकन अधिकारी को सौंप दिए जाए।**



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 08/2013

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.—ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक — 15.03.2013

सभी प्रधान विभागाध्यक्ष / मुख्य विभागाध्यक्ष

सभी मंडल रेल प्रबंधक

पूर्व मध्य रेल ।

विषय : हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध करने की शक्ति ।

हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध की योजना तथा करार करने की शक्ति रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2006/सीएंडआइएस/शक्तियों का प्रत्यायोजन/36 दिनांक 10.12.2008 द्वारा निर्धारित की गई है और तदनुसार विविध मामले से संबंधित पूर्व मध्य रेल के एसओपी में (पृ./165) पर विशेष प्रावधान किया गया है ।

एक मंडल में सतर्कता निवारक जांच के दौरान यह पाया गया कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के वार्षिक अनुरक्षण करार को सामान्य कार्य की तरह मानकर, कार्य मामले से संबंधित एसओपी के पारा 10ए के अनुसार किया गया जो कि सही नहीं है । इस मामले में करार अवर मंडल रेल प्रबंधक के स्तर पर किया गया जो कि सही नहीं है । इस करार को करने की पूर्ण शक्ति केवल महाप्रबंधक/मंरेप्र एस.ए.जी (स्वतंत्र प्रभार) को दी गई है ।

इस तथ्य को विसमुलेधि ने अपने अर्द्धशासकीय पत्र संख्या पूमरे/ए/विसमुलेधि/गोपनीय/04 दिनांक 14.03.2013 के द्वारा सभी मंडलों तथा वरीय मंडल वित्त प्रबंधकों को अवगत कराया है ।

अनुरोध है कि रेलवे बोर्ड के द्वारा इस विषय पर जारी किए गए अनुदेश तथा पूर्व मध्य रेल के विविध मामले से संबंधित एसओपी को सर्व संबंधित की जानकारी में लाया जाए तथा कड़ाई से उसका पालन किया जाए ।

(एस.पी.एस.यादव)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/विद्युत
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

**यह सुनिश्चित करें कि
चयन पदों के लिए चयन से पहले रक्तियों की संख्या का
आकलन और अनुमोदन किया गया है ।**



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 12/2013

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.—ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक — 07.05.2013

मुख्य यांत्रिक इंजीनियर

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर ।

विषय : कोच सफाई कार्य का टेस्ट चेक ।

संदर्भ : कार्यकारी निदेशक/यांत्रिक अभि. (कोचिंग)/रेलवे बोर्ड का पत्र सं. 95/M(C)/141/1 Vol-II

दिनांक 21/28.05.2010

एक सतर्कता जाँच के दौरान यह पाया गया कि सहायक यांत्रिक अधिकारी के द्वारा माप-पुस्तिका में जाँच किए गए विशिष्ट मद, रेल रिक और जाँच किए जाने वाले दिन की तरीख को पृष्ठांकित नहीं किया गया। सामान्य पृष्ठांकन 'यथा 20÷ सैंपल चेक किया गया' रिकॉर्ड किया गया।

रेलवे बोर्ड के उपरोक्त संदर्भित पत्र में यांत्रिक विभाग के पर्यवेक्षकों तथा अधिकारियों (स.यां.अ./सीडीओ तथा व.मं. या.अ) द्वारा किए जाने वाले टेस्ट चेक का निर्धारण किया गया है।

यह सलाह दी जाती है कि जो भी कर्मचारी/अधिकारी कोचिंग डिपो में चेक करते हैं वे इस आशय के लिए रखी गई अनुबंध वार पंजिका में पृष्ठांकन/अभिलेखन अवश्य करें। ओबीएचएस के लिए रेलगाड़ी वार पर्यवेक्षकों का नामांकन जैसा कि रेलवे बोर्ड के संदर्भित पत्र में उल्लिखित है, जारी किए जाएं तथा जाँच के अभिलेख ठेके की पंजिका/संचिका में रखे जाएं।

किसी भी कमी के लिए ठेका के प्रावधान के अनुसार कार्रवाई अवश्य की जाए। माप-पुस्तिका में टेस्ट चेक का अभिलेखन करने के समय पर्यवेक्षक तथा स.यां.अ./सी.डी.ओ. चेक किए मदों का विस्तृत विवरण यथा ट्रेन सं./रेक एवं चेक की तारीख का अवश्य उल्लेख करें। इसे बिल पासकर्ता कर्मचारी/अधिकारी द्वारा अवश्य सुनिश्चित किया जाए।

यह अनुरोध किया जाता है कि सभी मंडलों को उचित अनुदेश दिए जाएं।

(बी.पी.गुप्ता)

वरि. उप महाप्रबंधक

प्रतिलिपि : सभी मंरेप्र/पूमरे — धनबाद, मुगलसराय, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

यात्री को टिकट सौंपने से पहले सही किराया प्राप्त कर लें।



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 05/2015

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.—ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक — 17.03.2015

मुख्य विद्युत इंजीनियर

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर ।

विषय : कार्य संविदा के माध्यम से उच्च दरों पर स्टोर सामग्री की खरीद ।

मुगलसराय मंडल के एक कार्य संविदा के परिवाद की जांच के दौरान यह देखा गया कि विद्युत विभाग के 25 केवी सिंगल पोल वैक्यूम/एसएफ6 इन्टरपटर 5,50,638/— रुपये प्रति की दर से खरीद की गई जबकि स्टोर संविदा में इस सामग्री की दर 3,04,595/— रुपये प्रति है। अतः यह सामग्री कार्य संविदा द्वारा 81% अधिक दर से खरीदी गई। फर्म को इस सामग्री के लिये प्रत्युत्तर प्रस्ताव अद्यतन उच्चतम अंतिम स्वीकृत दर से दिया गया। यह भी देखा गया कि आरडीएसओ अनुमोदित फर्म ने रेलवे को भंडार निविदा में भी 64% अधिक दर से सामग्री आपूर्ति किया। जबकि प्राप्त प्रलेखों से उद्धृत होता है कि उसी आपूर्तिकर्ता ने यह सामग्री 1,85,635/— रुपये प्रति की दर से संवेदक को बेचा है।

आपूर्ति सामग्री की दर की तर्कसंगतता पर निर्णय लेने के दौरान निविदा कमिटी ने स्टोर संविदा के स्वीकृत दर को संज्ञान में नहीं लिया जो कि रेलवे बोर्ड के पत्रांक 2008/Elect (G)/180/Misc dated 19.05.2010 का उल्लंघन है। आपूर्ति, संस्थापना एवं प्रतिस्थापना का समेकित दर कार्य संविदा में एक साथ मांगे जा रहे हैं जिससे इस सामग्रियों की दर का स्टोर संविदा के स्वीकृत दर से तुलना करना कठिन हो जाता है।

वर्तमान में प्रचलित, कार्य संविदा में अद्यतन दरों का आकलन, 5-10% प्रतिवर्ष औसत दरों में वृद्धि की प्रक्रिया विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के लिये उचित नहीं है, जहां दरें या तो स्थिर हैं या कम हो रही हैं। यह देखा गया कि है कि आर.डी.एस.ओ. के द्वारा अनुमोदित आपूर्तिकर्ता रेलवे की निविदा में ऊँचे दर पर सामानों की आपूर्ति करते हैं जबकि संवेदकों को कम दर पर सामान की आपूर्ति करते हैं जो इनके भेदभावपूर्ण दरों को दर्शाता है।

कार्य संविदाओं में आपूर्ति सामग्रियों का विवेकहीन समावेश किया जा रहा है। परिणामस्वरूप, इन सामग्रियों की मांगपत्र तैयार कर एवं उनकी खरीद की निगरानी की प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दिया जाता है जैसा कि एक स्टोर खरीद के केस में यह देखा गया कि निविदा को बारम्बार निविदा कमिटी के स्तर पर उचित स्पेसिफिकेशन न होने के कारण खारिज किया गया।

अतः निम्नलिखित सुझाव दिये जा रहे हैं :

- (क) कार्य संविदा में आपूर्ति सामग्रियों का समावेश अपवाद स्वरूप होना चाहिए एवं मंडल में मंडल रेल प्रबंधक द्वारा एवं मुख्यालय में प्रधान विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित होना चाहिए।
- (ख) आपूर्ति सामग्रियों की दर अनुसूची में अलग से होनी चाहिए ताकि स्टोर संविदा के एलपीआर से तुलना कर दर की तर्कसंगतता पर निर्णय किया जा सके। रेलवे बोर्ड का यह आवश्यक निर्देश पिफिल्ड इकाइयों को पुनः बताना चाहिए।
- (ग) आपूर्ति सामग्री के लिए स्टोर संविदा की स्वीकृत दरों को कार्य संविदा के संपादन में संदर्भ हेतु मंडलों/फिल्ड इकाइयों को समय-समय पर संचारित किया जाना चाहिए।
- घ) आरडीएसओ अनुमोदित फर्म द्वारा विभेदपूर्ण उच्च दरों पर पैनी नजर रखनी चाहिए एवं दण्डात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। इस केस में मेसर्स द अल्यूमीनियम इंडस्ट्री लिमिटेड, कविनपुरम, विलाप्पिसाला, त्रिवेद्रम, केरल के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।
- (ङ) समय से मांग की उत्पत्ति एवं उसकी खरीद की निगरानी हेतु मजबूत प्रणाली स्थापित करनी चाहिए।

अतः यह अनुरोध है कि उपरोक्त मामलों पर तत्काल कार्रवाई की जाए जिसे परियोजना के संचालन एवं परिसंपत्ति के अनुरक्षण के लागत में किफायत की जा सके। कृपया की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को भी सूचना एवं रिकार्ड हेतु अवगत कराया जाए।

(जे.के.वर्मा)

वरिष्ठ उप महाप्रबंधक

**निविदाओं के मूल्यांकन से पहले
सुनिश्चित करें कि टेंडर समिति विधिवत रूप से
शक्तियों की अनुसूची के अनुसार अधिकारियों के
सक्षम स्तर पर गठित है।**

पूर्व मध्य रेल



कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.—ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक — 08.07.2015

मुख्य विद्युत इंजीनियर

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर ।

विषय : विद्युत कार्यों के निविदा को संपादन में अनियमितताएँ।

मुगलसराय मंडल द्वारा एक कार्य निविदा संख्या एमजीएस/ ईएल/ डब्ल्यूसी/ई/ ऑपन/ 13-14/26 को रुपये 26,36,000/- पर प्रदान किया गया था। अधिसूचित मदों में पावर सेवर की आपूर्ति एवं संस्थापना सम्मिलित था। परिवाद की जांच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएँ प्रकाश में आई :-

- अनुसूची के अनुसार, पावर सेवर को आर.डी.एस.ओ. के विनिर्दिष्ट संख्या आर.डी.एस.ओ/पीई/एसपीईसी/पीएस/0098 (पुनरीक्षण 0)-2008 संशो-1 के अनुरूप आपूर्ति करना था। हालांकि, स्वीकृति पत्र/करारनामा में आर डी एस ओ के विनिर्दिष्ट संदर्भ को हटा दिया गया।
- निविदा आमंत्रण के समय पावर सेवर का मेक क्लासिक, उषापावर, पंकज एवं ग्रीप इंडिया अनुसूची में विनिर्दिष्ट था। एक फर्म द्वारा उपकरण हेतु दो अधिक मेक सर्वोमैक्स और छवि का प्रस्ताव दिया गया जिसे निविदा कमिटी द्वारा स्वीकार किया गया था।
- निम्नतम निविदाकर्ता ने जिसका प्रस्ताव स्वीकृत किया गया था पावर सेवर हेतु मजदूरी दर एवं सामग्री घटकों के दर को विलगित कर उद्धृत किया गया था, जबकि निविदाकर्ता हेतु निविदा प्रलेख में केवल अनुसूची के अनुसार दर उद्धृत करने का निर्देश दिया गया था।

निविदा खुलने के उपरांत निविदा प्रलेख में किसी प्रकार का बदलाव एवं निविदा कमिटी द्वारा अन्य मेकों की स्वीकृति को उचित एवं नियमानुसार सही नहीं ठहराया जा सकता है। यह भी आश्चर्यजनक है कि दो अन्य निविदा कमिटी सदस्य यथा एडीएफएम-। एवं डीएसटीई/मुगल. ने भी निविदा खुलने के उपरांत निविदा प्रलेख में बदलाव के लिए किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की।

संभवतः निविदा संपादन के नियमों/प्रक्रियाओं की जानकारी के अभाव के कारण निविदा कमिटी के सदस्यों द्वारा उपरोक्त अनियमितताएँ की गई हो। इसलिए यह प्रतीत होता है कि निविदा कमिटी के सदस्यों के रूप में कार्यरत अधिकारियों को इन मुद्दों पर जागरूक करना आवश्यक है ताकि वे इस प्रकार की गलतियां न दोहराएं जो परिवाद एवं सतर्कता केसों को आमंत्रित करें।

आपसे अनुरोध है कि मामले को दृष्टांत करते हुए मंडलों को उचित दिशा-निर्देश जारी करें ताकि भविष्य में उनसे इस प्रकार की अनियमितताएँ न हो।

(जे.के. वर्मा)

वरिष्ठ उप महाप्रबंधक



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 13/2015

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक - 08/14.12.2015

मुख्य विद्युत इंजीनियर

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर।

भंडार नियंत्रक

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर।

विषय : मंडल में विद्युत (सामान्य) मद की खरीद।

सतर्कता अन्वेषण के दौरान यह पाया गया कि मंडल स्तर पर भारी मात्रा में विद्युत (सामान्य) सामग्रियाँ, गैर-स्टॉक माँगपत्रों को जारी कर, खरीद की जा रही है। दर की उचितता सुनिश्चित करने के लिए मंडल के माँगकर्ताओं एवं क्रय अधिकारियों द्वारा मदों की खरीद के दौरान सिर्फ निर्माता के मूल्य सूची को ही आधार बनाया जाता है, परन्तु उनके द्वारा न तो मद का प्रचलित बाजार मूल्यों और न ही भंडार नियंत्रक कार्यालय, पूर्व मध्य रेल द्वारा खरीद किए गए दर को ध्यान में रखा जाता है। स्थानीय खरीद के लिए मंडल के स्थानीय इलाके में स्थित फर्मों को ही मुख्य रूप में टेन्डर इन्क्वारी के लिए चुना जाता है जिसके कारण प्रतिस्पर्धात्मक दर प्राप्त नहीं हो पाते हैं।

भंडार नियंत्रक का कार्यालय आदेश सं. 03/2007, जो पत्र सं. ईसीआर/एसएमएम/स्टॉक कन्ट्रोल/कार्यालय आदेश/07 दिनांक 27.09.07 के माध्यम से परिपत्रित किया गया है, के अनुसार सिर्फ वैसे मद जो रेल परिचालन से सीधे तौर पर संबंधित हों, को ही गैर-स्टॉक माँग पत्रों को प्रस्तुत कर खरीदा जा सकता है। मंडल स्तर पर खरीदे जा रहे सभी विद्युत (सामान्य) मद सीधे तौर पर रेल परिचालन और चल स्टॉक के अनुरक्षण से संबंध नहीं रखते। अतः किसी मद का इंडेंट तैयार करने से पूर्व विस्तृत पुनरीक्षण आवश्यक है, ताकि सामग्री की वास्तविक जरूरत को देखते हुए उसकी न्यूनतम मात्रा की माँग प्रेषित किया जाना सुनिश्चित हो सके।

बहुतायत विद्युत (सामान्य) मदों पर इनके निर्माताओं के द्वारा 50% या ज्यादा की भारी छूट दी जाती है। इस तथ्य की संपुष्टि इससे होती है कि 10 वर्ग मिमी केवल (कॉपर कन्डक्टर), जिसे मंडल सामग्री प्रबंधक/मुगलसराय ने दिनांक 05.01.15 को रु. 127.95 प्रति मीटर छूट 30% अर्थात वास्तविक दर रु. 89.57 प्रति मीटर की दर से खरीदा है, का निर्माता के मूल्य सूची में दर रु. 146 प्रति मीटर प्रदर्शित हो रहा था। इस प्रकार आदेशित दर मूल्य सूची में वर्णित दर से 38.65% कम था। अतः प्रस्तावों के दर की उचितता प्रमाणित करने के पूर्व प्रचलित बाजार मूल्य की विस्तृत जाँच आवश्यक है, बजाए कि सिर्फ निर्माता की दर सूची के आधार पर ही दर की उचितता प्रमाणित की जाए।

सिर्फ उपलब्ध स्थानीय प्रतिष्ठानों को सीमित निविदा देने की बजाए बुलेटिन निविदा आमंत्रित करने का परामर्श दानापुर मंडल को दिया गया था। परिणामस्वरूप इस मंडल में बुलेटिन निविदा के अन्तर्गत प्रतिष्ठानों द्वारा प्रस्ताव किए गए दर माँगपत्र की दर से 50% तक कम पाए गए। विभिन्न मंडलों ने सामग्रियों की खरीद के लिए ई-निविदा प्रक्रिया को अपनाया है, पर यह प्रक्रिया कारगर सिद्ध नहीं होगी यदि ई-निविदा के अन्तर्गत सिर्फ स्थानीय प्रतिष्ठानों को ही प्रस्ताव देने के लिए चुना जाता है। सभी मंडलों में स्थानीय खरीद के लिए इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन निविदा पद्धति को व्यवहार में लाया जाए ताकि स्थानीय खरीद के अन्तर्गत प्रतिस्पर्धात्मक दर का प्राप्त होना सुनिश्चित किया जा सके।

सही दरों पर सही मात्रा की खरीद सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधितों को सुधारात्मक कार्रवाई करने की सलाह दी जाए। इस संबंध में की गई कार्रवाई से इस कार्यालय को अवगत कराया जाए।

(जे.के. वर्मा)

वरिष्ठ उप महाप्रबंधक



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 07/2016

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.—ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक — 26.10.2016

मुख्य विद्युत इंजीनियर
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर ।

विषय : निर्माण संगठन/मंडलों के प्राक्कलन के समय एवं निविदा के निष्पादन में
उपयोग होनेवाले दरों का दूसरे रेलवे एवं मंडलों से तुलना किया जाना ।

एक परिवार के जांच के दौरान निर्माण संगठन एवं पूर्व मध्य रेल के विभिन्न मंडलों में एक समान कार्य के लिए करार में प्रयुक्त दर में काफी अंतर पाया गया । निर्माण संगठन में प्रयुक्त दर दूसरे मंडलों की दर से काफी ज्यादा होता है । ऐसा प्रतीत होता है कि निर्माण संगठन में दूसरे रेलों/मंडलों में प्राक्कलन में प्रयुक्त दरों को उपयोग एवं क्रॉस चेक करने का कोई प्रणाली नहीं है ।

आपसे आग्रह है कि एक उचित दिशा-निर्देश जारी करें जिससे सभी मंडलों/निर्माण संगठन में दरों की समय-समय पर तुलनात्मक जांच की जा सके ताकि दरों में अंतर ज्यादा न हो । दिशा-निर्देश संबंधी एक प्रति इस कार्यालय को सूचनार्थ भेजें ।

(एस.पी.एस.यादव)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/विद्युत
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

**विनम्र बनें और यात्रियों के लिए
सहायक स्वैया प्रदर्शित करें।**



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 09/2018

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक - 20.12.2018

प्रधान मुख्य संकेत एवं दूरसंचार इंजीनियर
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर।

विषय : अधिकारिक ई-मेल आई.डी के साथ-साथ रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से
एल.ओ.ए. जारी करने के संबंध में।

एक शिकायत के जांच के दौरान, यह देखा गया कि एल.ओ.ए. पर हस्ताक्षरित होने के एक महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी संबंधित फर्म को न तो ई-मेल द्वारा और न ही रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा गया। इससे काम के निष्पादन में देरी हुई और संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की मंशा पर सवाल उठने लगे। यह भी देखा गया है कि अधिकृत संचार व्यवस्था में आधिकारिक ई-मेल का उपयोग नहीं किया जा रहा है।

इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि इस संबंध में उपयुक्त दिशा-निर्देश जारी किए जा सकते हैं ताकि हस्ताक्षरित एल.ओ.ए. पी.डी.एफ. प्रारूप में आधिकारिक ई-मेल आई.डी. के माध्यम से और पंजीकृत डाक के माध्यम से जारी किए जाएं और इस संबंध में इस कार्यालय को भी अवगत कराया जाय ताकि रेलवे बोर्ड को सूचित किया जा सके।

(बी. के. सिंह)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (विद्युत)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

**उचित तौल के बाद पार्सल और माल
रेलवे रसीद जारी करना सुनिश्चित करें।**



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 10/2018

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक - 20.12.2018

प्रधान मुख्य संकेत एवं दूरसंचार इंजीनियर,
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर।

विषय : यू.डी.एस./पी.आर.एस. में प्रयुक्त Fare Display Repeater के विनिर्देश में एकरूपता लाने के लिए मेक, मॉडल, आकार और विशेष विवरण का निर्देश जारी करने के संबंध में।

एक शिकायत की जांच के दौरान, पूर्व मध्य रेल के अलग-अलग मंडलों से जारी पी.ओ./सी.ए. को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद यह देखा गया कि यू.टी.एस./पी.आर.एस. में प्रयुक्त Fare Display Repeater का मेक, मॉडल, आकार और विशेष विवरण के बारे में निर्दिष्ट निर्देश/दिशा-निर्देश में या तो कमी है या समान नहीं है।

इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि इस संबंध में उपयुक्त निर्देश/दिशा-निर्देश जारी किया जा सकता है। जारी किए गए निर्देशों की एक प्रति इस कार्यालय को सूचना और रिकॉर्ड के लिए भेजी जा सकती है।

(बी. के. सिंह)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (विद्युत)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

**काम के निष्पादन के दौरान घटिया
सामग्री के उपयोग की अनुमति न दें।**



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 03/2019

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक - 08.01.2019

प्रधान मुख्य विद्युत इंजीनियर
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर।

विषय : विद्युत कार्यों के निविदा को संपादन में अनियमितताएँ।

संदर्भ : रेलवे बोर्ड पत्रांक संख्या 2016/वी3/ईसी/विद्युत/ 02-कम्प दिनांक 09.03.19

पावर सेवर की आपूर्ति एवं संस्थापना के एक शिकायत मामले की जांच के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएँ प्रकाश में आई है:-

- (क) अनुसूची के अनुसार पावर सेवर को आर.डी.एस.ओ. के विनिर्देश के अनुरूप आपूर्ति करना था। हालांकि, स्वीकृत पत्र/करारनामा में आर.डी.एस.ओ. के विनिर्देश संदर्भ को हटा लिया गया।
- (ख) निविदा आमंत्रण के समय पावर सेवर मेक अनुसूची में विनिर्देशित था। एक फर्म द्वारा उपकरण हेतु दो अधिक मेक का प्रस्ताव किया गया जिसे निविदा कमिटी द्वारा स्वीकार किया गया था।
- (ग) निविदा अनुसूची में निर्दिष्ट आर.डी.एस.ओ. विनिर्देश के अनुसार सामग्री की आपूर्ति नहीं की गई थी।

इसलिए, अनुरोध है कि उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए निविदा दस्तावेज में विशिष्ट मेक का उल्लेख करने के बजाय स्पष्ट उत्पाद विनिर्देशों को शामिल करने के उपयुक्त दिशा-निर्देश जारी करें।

रेलवे बोर्ड के अनुपालन के लिए ऐसे दिशा-निर्देशों की एक प्रति इस कार्यालय को भेजी जाए।

(बी. के. सिंह)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (विद्युत)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

यात्री को कभी भी ओवरचार्ज न करें।



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 20/2019

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50
प्रधान मुख्य विद्युत इंजीनियर
पूर्व मध्य रेल
हाजीपुर।

दिनांक – 24.06.2019

विषय : मुख्य लोको निरीक्षकों के फुटप्लेट ड्यूटी की निगरानी के लिए प्रभावी तंत्र/प्रणाली।

मुख्य लोको निरीक्षकों के फुटप्लेट ड्यूटी के एक शिकायत मामले की जांच के दौरान यह देखा गया है कि मुख्य लोको निरीक्षकों द्वारा किए गए फुटप्लेट ड्यूटी की निगरानी का कोई प्रणाली नहीं है।

इसलिए मुख्य लोको निरीक्षकों द्वारा किए जाने वाले वास्तविक फुटप्लेट ड्यूटी पर प्रभावी निगरानी के लिए उपयुक्त दिशा-निर्देश जारी करना आवश्यक है। जैसे कि सी.एम.एस. के माध्यम से साइन “ऑन” और साइन “ऑफ” की सुविधा या स्टेशन मास्टर द्वारा वास्तविक फुटप्लेट का सत्यापन।

उपर्युक्त दिशा-निर्देशों की एक प्रति इस कार्यालय को भेजी जाए।

(संतोष कुमार)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (विद्युत)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

**अंडरचार्ज को साकार करने के लिए ओवरवेइंग का
पता लगाने के लिए पार्सल को रीवाइज करें।**



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 04/2021

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक – 03.06.2021

प्रमुख मुख्य विद्युत इंजीनियर

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर।

विषय : मिश्रित कार्य और निविदा दस्तावेज का अनुमोदन ई-निविदा के भाग के रूप में समान प्रकृति के कार्य के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देशों के संबंध में प्रणाली सुधार।

एक कार्य निविदा मामले की जांच के दौरान यह देखा गया है कि (i) मिश्रित कार्यों के लिए समान प्रकृति को परिभाषित करने के संबंध में अस्पष्टता थी क्योंकि वोल्टेज के विभिन्न ग्रेड (33 केवी/11 केवी) वाले मिश्रित कार्य के लिए समान प्रकृति के काम को अपनाने के लिए कोई विशिष्ट दिशा-निर्देश शामिल नहीं किए गए थे और विभिन्न इकाइयां अलग-अलग मानदंड अपना रही है और (ii) निविदा दस्तावेजों के अनुमोदन के बिना ई-निविदा आमंत्रित की गई थी, भारतीय रेल में ई-निविदा को अपनाने से पहले निविदा प्रक्रिया में सक्षम प्राधिकारी से निविदा दस्तावेजों का अनुमोदन लिया जा रहा था।

इसलिए यह सलाह दी गई है कि (i) विभिन्न वोल्टेज स्तर वाले मिश्रित कार्य के समान प्रकृति के कार्य के लिए उपयुक्त स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी हों और (ii) इस संबंध में प्रणाली में सुधार लाने के लिए ई-निविदा के हिस्से के रूप में निविदा दस्तावेज के अनुमोदन की प्रणाली जारी हों।

कृपया इस संबंध में की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को यथाशीघ्र अवगत कराने की कृपा करें।

(सुजीत कुमार मिश्रा)

वरिष्ठ उप महाप्रबंधक

पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 13/2021

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक – 07.09.2021

प्रमुख संकेत एवं दूरसंचार इंजीनियर

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर।

विषय:- सामग्री एवं खाता बही के रखरखाव के संबंध में प्रणाली सुधार।

वरिष्ठ मंडल संकेत एवं दूरसंचार इंजीनियर/सोनपुर मंडल के अधीन सिगनल/भंडार में सामग्री के लेखा-जोखा के संबंध में एक निवारक जांच के किया गया। जांच रिपोर्ट एवं अन्य संलग्न कागजातों के आधार पर यह निम्नानुसार है:-

- (i) एसएसई/सिगनल/भंडार, सोनपुर में सामग्री एवं खाता-बही का रख-रखाव संतोषजनक नहीं है। इस संबंध में कार्यकारी द्वारा पर्यवेक्षकों एवं कार्यालय अधीक्षकों को उचित परामर्श की आवश्यकता है।
- (ii) 2014 से लेखा विभाग द्वारा कोई स्टॉक सत्यापन नहीं किया गया है। इसे आवधिक के अनुसार करने की आवश्यकता है।
- (iii) अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों द्वारा सामग्री का निरीक्षण ठीक ढंग से नहीं किया जाता है और प्रेषिती द्वारा जारी कोई सामग्री निरीक्षण प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है।

बहरहाल, वर्तमान समय में, यह व्यवस्था के कुशल संचार के लिए और उपरोक्त त्रुटि से बचने के लिए प्रशासन द्वारा प्रणाली सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

(संतोष कुमार)
उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/विद्युत
पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर



पूर्व मध्य रेल

एस.आई.एल.सं. 03/2022

कार्यालय
महाप्रबंधक (सतर्कता)
हाजीपुर

सं.-ईसीआर/विज./प्रणाली सुधार/50

दिनांक - 20.04.2022

प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी

पूर्व मध्य रेल

हाजीपुर।

विषय : सर्विस रिकार्ड में सजा की प्रविष्टि की रिकॉर्डिंग के संबंध में प्रणाली सुधार।

एक मामले की जाँच के दौरान, यह देखा गया कि सेवा रिकार्ड बुक में सजा की प्रविष्टियों की रिकॉर्डिंग दो साल से अधिक समय तक एनआईपी जारी करने के बाद भी नहीं की जा रही है। डीएआर मामलों के रजिस्टर को बनाए रखने में अनियमितता दिखाई देती है। पर्याप्त जानकारी की कमी होना जैसे कि कर्मचारी संख्या और पिता का नाम डीएआर रजिस्टर में आरोपित कर्मचारी के नाम और पदनाम की प्रविष्टि में दर्ज नहीं किया गया था जिस कारण एक समान नाम एवं पदनाम वाले कर्मचारियों के बीच भ्रम पैदा करता है। इस तरह की अनियमितताओं से बचने के लिए सर्व संबंधितों को निम्नलिखित प्रणाली सुधार उपायों का सुझाव दिया जाता है:-

- (i) जब आरोपित कर्मचारी को एनआईपी जारी किया जाता है तो उसी समय सर्विस रिकार्ड में एक साथ दर्ज कर सकते हैं। सजा का कार्यान्वयन निर्धारित समय के भीतर सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
- (ii) मास्टर सर्कुलर 5 के पैरा सं. 7 के अनुसार एक आंतरिक जांच का तंत्र होना चाहिए। इसे रेलवे सुधार समिति की सिफारिश संख्या 151 की उसी पंक्ति को लागू किया जाना चाहिए कि कल्याण निरीक्षकों को उनके बीट के डीएआर रजिस्टर को देखने के लिए सौंपा जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सजा देने संबंधी कर्मचारी के सर्विस रिकॉर्ड में दर्ज की गई है और सर्विस रिकॉर्ड को वर्तमान स्थिति में अद्यतन किया जाना चाहिए।
- (iii) डीएआर मामले में आरोपित कर्मचारियों का रजिस्टर, कर्मचारी संख्या, पिता का नाम, जन्म तिथि, रेलवे में नियुक्ति की तिथि और आधार संख्या का विवरण दर्ज किया जाना चाहिए जो कि डीएआर रजिस्टर में एक समान नाम के मामले में कर्मचारियों की पहचान में अस्पष्टता को समाप्त कर देगा।

जारी किए गए निर्देश की एक प्रति इस कार्यालय को सूचना एवं रिकॉर्ड के लिए भेजा जाए।

(संतोष कुमार)

उप मुख्य सतर्कता अधिकारी (विद्युत)
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता

सतर्कता गतिविधियाँ



सतर्कता जागरूता सप्ताह 2021 के अवसर पर RED FM 93.5 पर प्रसारित पूमरे के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक श्री सुजीत कुमार मिश्रा का साक्षात्कार



दिनांक 01.11.2021 को धनबाद मंडल में आयोजित सतर्कता कार्यशाला



दिनांक 04.03.2022 को पूमरे/सतर्कता का पश्चिम मध्य रेल के वरिष्ठ उप महाप्रबंधक व उनके टीम द्वारा सतर्कता ऑडिट



सतर्कता संगठन

पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

भ्रष्टाचार संबंधित शिकायत हेतु

रेल मदद  139 पर संपर्क करें



06224-272494



sdgm@ecr.railnet.gov.in

 कार्यालय 

महाप्रबंधक (सतर्कता)

पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर

पिन - 844101